पांचवीं पंचवर्षीय जिला योजना

1974-75 से 1978-79

उत्तर प्रदेश सरकार

[illegible].246
[illegible]09.26
[illegible]TT-P

पिथौरागढ़

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....................
Date.........................

UTT-P
309.26
-5246

National Institute of Educational Planning and Administration
★ LIBRARY ★

विषय सूची

अध्याय संख्या	विवरण	पृष्ठ
1	प्राकृतिक आकृति	1
2	जन संख्या एवं व्यवस्था	3
3	प्राकृतिक संसाधन	9
4	पाँचवीं योजना के उद्देश्य एवं नीति	13
5	सेक्टोरल कार्यक्रम	
5.1	कृषि	14
5.2	उद्यान	19
5.2.2	आलू	36
5.3.1	लघु सिंचाई	39
5.3.2	राजकीय सिंचाई	43
5.4	भूमि संरक्षण	44
5.5.1	पशुपालन	48
5.5.2	मत्स्य	60
5.6	वन	61
5.7	सहकारिता एवं दुग्ध	64
5.8.1	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	72
5.8.2	पंचायत	74
5.8.3	प्रादेशिक विकास दल	76
5.9	विद्युत	79
5.10.1	उद्योग	84
5.10.2	खादी एवं ग्रामोद्योग	94
5.10.3	हथकरघा	96
5.11	संचार एवं सेतु	99
5.12	शिक्षा	107
5.13	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	112
5.14	जल सम्पूर्ति	115
5.15	पिछड़ी जातियाँ	119
5.16	पौष्टिक आहार योजना	123
5.17	पर्यटन	125
5.18.1	आवास	126
5.18.2	श्रम	127
5.19	आर्थिक सेवायें	128

चित्र

6		विक्षेप संरचना	130
7		[illegible]	131
8		[illegible] कार्यक्रम	132
9		[illegible] का कालिका	133
10		[illegible]	135
11		[illegible] का विकास	136
12		[illegible] का विवरण	137

तालिकायें

प्रश्न पत्र - 1	138
प्रश्न पत्र - 2	148
विवरण पत्र - 1	19[illegible]

अध्याय -1

प्राकृतिक आकृति

1.0 पिथौरागढ़ जनपद जिसका स्थानीय नाम सोरघाटी है, उत्तर में 29° 25' तथा पूर्व में 30° 15' तक के क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके उत्तर में तिब्बत, दक्षिण व पश्चिम में अल्मोड़ा तथा पूर्व में नेपाल की सीमा है। इसे तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है।

1- ऊँची पर्वत श्रेणियाँ

2- पहाड़ी पट्टियाँ

3- नीची घाटियाँ

उत्तरी भाग अधिकतर खड़ा नीचा एवं हिमाच्छादित है और कुछ छोटी छोटी बस्तियों में आबाद है। घाटियाँ एवं सघन बस्तियाँ इन नीची नीची घाटी के मुख्यतः निवासी है। एक मोटर सड़क टनकपुर से चम्पावत, लोहाघाट पिथौरागढ़, असकोट, जौलजीबी होते हुए धारचूला तक जाती है। रेल हैड टनकपुर है जो पिथौरागढ़ से 151 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त जनपद में सब कुछ मुख्य भागों को जोड़ते हुए अन्य सड़कों का भी निर्माण हुआ है। पश्चिमी काली नदी की घाटी का पिथौरागढ़ तहसील का भाग अधिक आबादी वाला क्षेत्र है।

1.1 इस जनपद का उत्तरी भाग हिमालय की पश्चिमी श्रेणी की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में है जो काफी ऊँचाई से कटी हुई घाटियों और नदियों की घाटियों में विभक्त है इस जनपद का समुद्रतल से ऊँचाई 2000' से 20,000' है। मुख्य दर्रे ऊँटाधूरा, कैलाशधूरा, दौली, लिपु एवं लाम्पियाधूरा है। मुख्य नदियाँ सरयू, रामगंगा, गोरी, काली एवं धौली आदि नदियाँ है जो बर्फीली पहाड़ियों के अलग अलग भागों से निकल कर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व को बहती है। सरयू नदी सेरा पट्टी, अठगाँव के ओर से बहती हुई रामेश्वर में राम गंगा से मिलती है। राम गंगा जो नामिक ग्लेशियर से निकलती है गंगोली के मध्य से बहती हुई रामेश्वर में सरयू का आलिंगन करती है। गोरी नदी इस जनपद के अन्तिम स्थान मिलम ग्लेशियर से अपना प्रवाह आरम्भ करती हुई जौलजीबी में काली नदी से मिलती है। सरयू नदी पंचेश्वर नामक स्थान जो कि नेपाल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की सीमा का क्षेत्र है, से होते हुए काली नदी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। इन नदियों के काफी गहरी घाटियों में बहने के कारण आज तक सिंचाई के हेतु इनका कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं हो सका है और न ही कोई विद्युत

योजना को इनके द्वारा साकार रूप दिया जा सका ।

1-3 यहाँ मुख्यतया (1) बलवा (2) दोमट (3) क्लेमुदा प्रकार की मिट्टी पायी जाती है । यहाँ उत्तरी भाग, ढलानों तथा नीचे क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी की किस्में पायी जाती है ।

1-4 ऊँची पहाड़ियों में मौसम काफी ठंडा रहता है और नीचे घाटी वाले भाग में मौसम काफी गरम रहता है । आम तौर पर इस जनपद में नवम्बर से मार्च तक काफी ठंड पड़ती है । घाटी का क्षेत्र दिन को अधिक गरम तथा रात को अधिक ठंडा रहता है । जलवायु शीतल व नम रहती है । यहाँ की औसत वर्षा 1500 मिली मीटर है ।

अध्याय-2

जनसंख्या तथा व्यवसाय

2-1 1971 के जनगणना अनुसार इस जनपद की आबादी 415,163 है जिसमें पुरुष 204,913 तथा स्त्रियाँ 210,250 हैं । जिले के क्षेत्रफल का अनुपात [illegible] है जिसका [illegible] है । आबादी का घनत्व 9-67 है । पर्वतीय [illegible] होने से इसका [illegible] अनुसार [illegible] है । 1971 की जनगणना अनुसार [illegible] के [illegible], [illegible] एवं [illegible] की आबादी संलग्न तालिका 2-1 में दी हुई है । सबसे अधिक आबादी पिथौरागढ़ एवं सबसे कम आबादी [illegible] की है । चम्पावत, लोहाघाट, [illegible], बेरीनाग, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ और मुनाकोट विकास खंडों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है । जिले में भी स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक हैं ।

2-2 1961-71 के दशवर्षीय [illegible] वर्षों में 20-6 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है । जनपद की जन संख्या का घनत्व 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है पुरुष व स्त्रियों का अनुपात निम्न तालिका से स्पष्ट होगा :-

तालिका 2-2 पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात

क्र०सं०	तहसील का नाम	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या			
		1961		1971	
		ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
1-	चम्पावत	1008	-	1003	-
2-	धारचूला	936	-	1023	-
3-	डीडीहाट	1055	-	1065	-
4-	मुनस्यारी	973	-	970	-
5-	पिथौरागढ़	1084	-	1094	720
	पिथौरागढ़ जनपद	1044	-	~~1038~~ 1037	720

2-3 जिले की पाँच तहसीलों में कुल का [illegible] [illegible] [illegible] बस्तियों में पुरुष व स्त्री का प्रतिशत संलग्न तालिका में दिया है ।

तालिका 2.3 साक्षरता का प्रतिशत

क्र० सं०	तहसील/जिला	तहसील की कुल जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत	तहसील के कुल साक्षर व्यक्तियों में प्रतिशत	
			पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5
1.	चम्पावत	24.98	87.34	12.66
2.	धारचूला	44.96	76.00	24.00
3.	डीडीहाट	32.85	77.28	22.72
4.	पिथौरागढ	39.48	66.46	33.54
5.	मुनस्यारी	27.42	81.06	18.94
	योग	31.42	77.62	22.38

2.4 ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति कुल ग्रामीण जन संख्या का 43.6 प्रतिशत है । कर्मकरों की संख्या का अनुपात पुरुष एवं महिलाओं में 1.3:1 है । आर्थिक दृष्टि से मुख्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों का विवरण निम्न तालिका 2.4 में दिया है । चम्पावत तहसील में कृषकों की संख्या सबसे अधिक एवं मुनस्यारी तहसील में सबसे कम है, जिसका कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति मजदूरी करने वाले व्यक्ति मुनस्यारी एवं धारचूला तहसील में अधिक है । तालिका 2.1 से यह स्पष्ट होगा कि डीडीहाट तहसील तथा बाराकोट विकास खण्ड में कर्मकरों की अधिक संख्या महिलाओं की है ।

तालिका 2.4 कर्मकरों के आर्थिक वर्गीकरण के विभाजन का प्रतिशत

क्र० सं०	तहसील का नाम	कर्मकर		
		कृषक	कृषक मजदूर	अन्य
1	2	3	4	5
1.	चम्पावत	91.0	0.4	8.6
2.	धारचूला	78.7	2.7	18.6
3.	डीडीहाट	83.8	0.8	15.4
4.	पिथौरागढ	73.2	2.2	24.6
5.	मुनस्यारी	76.5	1.0	22.5
	योग	83.0	1.0	16.0

2-5 1971 की जन संख्या अनुसार पिछडे वर्ग की जन संख्या निम्न प्रकार है ।

तालिका 2-5 अनुसूचित जाति / जन जाति की जन संख्या

पद	योग	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4
1- कुल (नगरीय + ग्रामीण)	41,5163	2,04,913	2,10,250
2- अनुसूचित जाति (ग्रामीण)	81,122	41,307	39,815
3- अनुसूचित जनजाति (ग्रामीण)	15,118	7,649	7,469
4- शेष (ग्रामीण)	96,240	48,956	47,284

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन जाति कुल ग्रामीण आबादी का 23.9 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति सबसे अधिक [illegible] एवं सबसे कम [illegible] में है । इनके मुख्य ग्राम [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] और [illegible] है । जनजातियों [illegible] धारचूला तथा मुनस्यारी विकास खण्डों में है । इनमें [illegible] एवं बन रावत मुख्य है । बन रावत के लगभग 58 परिवार है, जो [illegible], [illegible], [illegible], तथा धारचूला में [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] में है । बन रावतों की [illegible] की [illegible] अभी तक [illegible] है, क्यों कि इनके पास अपनी [illegible] पर भूमि नहीं है इनका मुख्य पेशा लकड़ी का सामान बनाना तथा [illegible] व सड़कों में मजदूरी का काम करना है । [illegible] जाति के लोग अधिकतर [illegible] व्यवसाय करते हैं । ये [illegible] विभिन्न प्रकार की वस्तुयें जैसे [illegible], [illegible], [illegible] उत्पादित करते हैं । साथ ही साथ ये भेड़ पालन भी करते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा जन जाति का ग्रामीण क्षेत्र में कुल ग्रामीण आबादी का क्रमशः [illegible] तथा [illegible] है ।

2.6 1978 में उस जनपद की [illegible] [illegible] 471000 तथा 1979 में 481000 [illegible] ।

2-7 1971 की जन गणना के अनुसार इस जिले में कुल 2272 ग्राम है जिनमें से 2151 ग्राम आबाद है । 1000 से कम आबादी वाले 2130 तथा 1000 से 4999 आबादी वाले 21 ग्राम है ।

2-8 1971 की जन गणना के अनुसार इस जनपद में एक नगर पालिका पिथौरागढ़ है, जिसकी जन संख्या 11942 है । धारचूला व [illegible] नगर क्षेत्र तथा [illegible] नोटिफाइड क्षेत्र 1971 की जन गणना के उपरान्त स्थापित हुए ।

[illegible]

2.9 यहाँ की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। परन्तु कृषि उत्पादन न्यूनतम जीवन निर्वाह के नाते अपर्याप्त है। इसी कारण यहाँ के अधिकांश युवक, सेना, राजकीय एवं गैर राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि 18 से 50 वर्ष के आयुवर्ग के पुरुष जनपद के बाहर रहते हैं और कुछ समय पश्चात् अपने घर वापस लौटते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है। फौज में काफी संख्या में यहाँ के व्यक्ति कार्यरत हैं।

नोट :- जनगणना अधीक्षक के निर्देशानुसार जन संख्या के सभी आँकड़े अस्थायी (प्रोविजनल) हैं।

तालिका 2-1 क्रमशः

विकास खंड/तहसील का नाम	जन जाति कुल	पुरुष	स्त्री	कर्मकर कुल	पुरुष	स्त्री
	8	9	10	11	12	13
1- चम्पावत तहसील	-	-	-	53,602	27,841	25,761
1- चम्पावत	-	-	-	17,367	10,188	7,179
2- बाराकोट	-	-	-	19,552	9,042	10,510
3- लोहाघाट	-	-	-	16,683	8,611	8,072
2- डीडीहाट तहसील	1,093	587	506	52,850	24,588	28,262
4- कनालीछीना	72	40	32	18,978	8,344	10,634
5- डीडीहाट	588	350	238	16,514	8,172	8,342
6- बेरीनाग	433	197	236	17,358	8,072	9,286
3- धारचूला तहसील	7,452	3,800	3,652	17,011	11,307	5,704
7- धारचूला	7,452	3,800	3,652	17,011	11,307	5,704
4- पिथौरागढ़ तहसील	44	25	19	39,906	26,335	13,571
1- विण पिथौरागढ़	15	10	5	12,171	7,975	4,196
2- मूनाकोट	3	1	2	11,542	7,033	4,509
3- गंगोलीहाट	26	14	12	16,193	11,327	4,866
5- मुनस्यारी तहसील (मुनस्यारी खण्ड)	6,529	3,237	3,292	12,688	9,518	3,170
ग्रामीण योग	15,118	7,649	7,469	176,057	99,589	76,468
नगरीय	-	-	-	3,487	3,221	266
योग				1,79,544	1,02,810	76734

तालिका 2-1 पिथौरागढ़ जन पद की जन संख्या

विकास खण्ड/तहसील का नाम	जन संख्या कुल	पुरुष	स्त्री	अनुसूचित जाति कुल	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7
1- चम्पावत तहसील	1,01,416	50,615	50,801	16,092	8,251	7,84
1- चम्पावत	33,479	17,331	16,148	4,055	2,180	1,87
2- बाराकोट	34,100	16,717	17,383	6,360	3,212	3,14
3- लोहाघाट	33,337	16,567	17,270	5,877	2,859	2,81
2- डीडीहाट तहसील	1,04,684	50,788	54,096	22,066	11,298	10,
4- कनालीछीना	38,556	18,169	20,387	8,198	4,108	4,
5- डिगतड़	30,117	15,243	14,874	5,560	2,997	2,
6- बेरीनाग	36,211	17,376	18,835	8,368	4,193	4,
3- धारचूला तहसील	37,815	19,644	18,171	8,307	4,401	3,
7- धारचूला	37,815	19,644	18,171	8,307	4,401	3,
4- पिथौरागढ़ तहसील	1,24,415	59,399	65,016	28,477	14,198	14
1- पिथौरागढ़	37,862	18,234	19,628	8,805	4,422	4,
2- मूनाकोट	35,844	16,551	19,293	6,986	3,381	3
3- गंगोलीहाट	50,709	24,614	26,095	12,686	6,395	6,
5- मुनस्यारी तहसील एवं विकास खण्ड	34,691	17,523	17,168	6,180	3,159	3,
जिला ग्रामीण	4,03,221	1,97,969	2,05,252	81,122	41,307	3[illegible]
नगरीय	11,942	6,944	4,998	—	—	
योगः-	4,15,163	2,04,913	2,10,250			

अध्याय - 3

प्राकृतिक संसाधन

3-0 इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 9, 06, 681 हैक्टेयर है । जनपद में भूमि उपयोगिता की सूचना निम्न तालिका से ज्ञात होगी ।

तालिका 3-0 भूमि उपयोगिता :- हैक्टेयर में (अस्थाई एवं अनुमानित)

1- कुल क्षेत्रफल	9, 06, 681
2- वन का क्षेत्र	280467
3- कृषि योग्य बंजर भूमि	26, 030
4- ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि	60496
5- कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लाई गई भूमि	426090
6- स्थाई एवं अन्य चरागाह	29, 103
7- अन्य उद्यानों एवं वृक्षों के अधीन क्षेत्र जो बोये गये क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं हैं ।	6758
8- परती भूमि	12, 570
9- बोया गया शुद्ध क्षेत्र	65, 167
10-एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	52353

बोया गया क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 7:19 प्रतिशत है । जनपद में समुद्र तल से ऊँचाई 2000 फीट से 20, 000 फीट तक है । 10, 000 फीट से ऊँचाई वाला स्थान हमेशा हिमाच्छादित रहता है । इसके विपरीत घाटी वाला स्थान 2500 फीट से 4500 फीट तक स्थित है । यह भाग काफी गरम है । अतः जलवायु के अनुरूप ही यहाँ विभिन्न प्रकार की मृदा ( ) पाई जाती है । मुख्यतः जनपद में निम्न प्रकार की मृदा पाई जाती है । (1) बलुवा (2) की मृदा (3) दोमट 3: । जल साधन तो यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं । यहाँ की मुख्य नदियाँ सरयू, रामगंगा, गोरी, काली एवं धौली हैं । इन नदियों के काफी गहरी घाटियों में बहने के कारण अभी तक सिंचाई हेतु इनका विशेष उपयोग सिद्ध नहीं हो पाया है । इसका पूर्ण उपयोग सिंचाई एवं बिजली के लिये वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है । सिंचाई साधनों के अधिक विस्तार की आवश्यकता है । अधिकतर स्रोत बड़ी गूलों एवं नहरों के लिये अयोग्य हैं । अभी तक सिंचाई की पूर्ति छोटी छोटी सहायक नदियों, नालों एवं गधेरों से होती है । पंचेश्वर योजना से 2250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, परन्तु अभी तक इस पर नियमित रूप से कार्य प्रारम्भ

नहीं हुआ है । क्योंकि इस योजना में अभी कुछ सरकारों का समावेश होना है।

3.2 कृषि के उपरान्त पशुधन यहाँ की अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व रखता है । इस जनपद में वर्ष 1972 में कुल पशुधन की संख्या 526169 है । दुधारू पशुओं की संख्या 1,47,906 है । यहाँ दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है । दूध की प्रति पशु औसत क्षमता यहाँ पर बहुत कम है । अतः यह प्रयास होना चाहिये कि अच्छे नस्ल के पशु यहाँ उपलब्ध हो सकें । इसके साथ ही भेड़ पालन के अन्तर्गत भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है । ताकि ऊन काफी मात्रा में और अच्छी किस्म की प्राप्त हो सके ।

3.3 पिथौरागढ़ वन क्षेत्र में आने वाला आरक्षित वन क्षेत्र निम्न प्रकार है :-

पिथौरागढ़ जिला	79619-510 हैक्टेयर
अल्मोड़ा जिला	1109-900 हैक्टेयर
नैनीताल जिला	6078-877 हैक्टेयर
योग:-	86,808-287 हैक्टेयर

प्राप्त सूचना के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद में कुल विभिन्न वन क्षेत्र निम्न तालिका में आया है :

	(हैक्टेयर में) इकाई
1- आरक्षित वन (मुनस्यारी तहसील अर्थात् पूर्वी अल्मोड़ा के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए)	112526
2- सिविल (राजस्व वन)	105540
3- पंचायत वन	62401
योग:-	280467

यहाँ के वनों में चीड़, देवदार, सुरई, कैल, राँगा, तानसेन, अँगूर, पाँगर, अखरोट, खनिसा, मेहो, उत्तीस, चमखड़िक, जमनोज, फाल्स, दालचीनी, भारल्वाँन, फल्यांत, सियाज, किलौज, अयाड़, बुरूँश, साल, सैन, सादन, सिमर, हल्दू, हीड़, काफल, पोरो, जामुन, बेहल, हरड़, बेर, आला, सैजाने, इत्यादि प्रजातियों के वन हैं । मुख्यतया यहाँ के वनों में चीड़ एवं देवदार हैं । जो कि 14,31,366 तथा 2,89,70 घन मीटर में है । यहाँ निम्न प्रजातियाँ हैं :-

तालिका 3-3

[illegible]

मिर्जापुर में पाई गई [illegible] प्रजातियाँ

प्रजातियाँ	[illegible] हेक्टेयर	प्रतिशत कुल का
[illegible]		
[illegible]	4,961-00	5.2
[illegible]	71-00	0.6
[illegible]	[illegible]	9.2
[illegible]	[illegible]	0.3
[illegible]	[illegible]	0.6
[illegible]		
[illegible]	675-00	0.3
[illegible]	-	-
[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] बकायन इत्यादि	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] में [illegible] के [illegible] में [illegible] पाये जाते हैं जो वृटो अधिक [illegible] है [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कथर, [illegible]

[illegible] [illegible] से [illegible] का [illegible] की जा सकती है :

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]

तालिका 3-4

क्र०सं०	नाम खनिज	अनुमानित मात्रा	प्राप्ति स्थान
1-	चूने का पत्थर	30 मि०टन	गंगोलीहाट
2-	मैगनासाइट	50 मि०टन	चन्डाक, नाइ, देवलथल तडोगाँव, बोराबकेड़,
3-	सोप स्टोन	20 ,,	थल, झाल थल, तेजम गोल, सानदेव, कनालीछीना क्षेत्र

कॉपर और फॉसफोराइट की अभी तक की खोज एवं अनुसंधान से ये अलाभकारी सिद्ध हुए हैं ।

3:4:1 पर्वतीय विकास निगम ने रेजिन एण्ड टरपनटाइन इकाई चम्पावत में स्थापित कर दिया है । इसमें लगभग 80% निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है । इन इकाईयों के पास ही वार्निश इकाई लगाने के लिये भी कैटल तैयार होकर शीघ्र ही आने की आशा है । सीमेन्ट कारपोरेशन गंगोलीहाट में सीमेन्ट का कारखाना खोलने पर विचार कर रहा है । इसके लिये प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

3:4:2 मैगनेसाइट के खनन का कार्य भी चन्डाक में हो रहा है । इस कारखाने से इस जनपद के औद्योगिक विकास की काफी सम्भावना है । इसके अतिरिक्त यहाँ खड़िया मिट्टी बनाने का भी एक लघु उद्योग स्थापित किया जा चुका है । जिससे खड़िया मिट्टी निकाल कर बाहर भेजी जाती है ।

अध्याय - 4

पाँचवीं योजना के उद्देश्य एवं नीति

4.0 पाँचवीं पंच वर्षीय योजना का मुख्य ध्येय बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करना तथा न्यूनतम् आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । सभी न्यूनतम् कार्यक्रमों को योजना में सम्मिलित किया गया है इसके साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के लोगों तथा भूमिहीन मजदूरों एवं कृषक परिवारों के उत्थान हेतु प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनायें प्रस्तावित की गई हैं ।

4.1 बेरोजगारी से निपटने के वास्ते संचार, जल सम्पूर्ति एवं विद्युत कार्यक्रमों को लिया गया है । लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कई योजनायें चालू हैं । प्रस्तावित राम गंगा जल परियोजना से तथा गौरीहाट में सीमेन्ट कारखाना खुल जाने से काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा आयेगा ।

4.2 जनपद के उत्थान एवं विकास हेतु बिजली, पेयजल, संचार सिंचाई के कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर लेना है ताकि इससे कृषि, बागवानी, उद्योग एवं पर्यटन का विकास हो और यहाँ की जनता के आर्थिक स्थिति में उन्नति हो ।

4.3 सिंचाई सुविधा, उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक से कृषि उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है । उद्यान विकास को भी प्राथमिकता दी गई है । इसके अतिरिक्त भेड़ पालन, ऊन विकास के कार्यक्रमों को विशेष रूप से रखा गया है ताकि लघु उद्योगों के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके, क्यों कि यहाँ ऊन से निर्मित अनेक प्रकार की ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है जो कि यहाँ का पैतृक धन्धा है ।

4.4 पाँचवीं योजना में सबसे अधिक परिव्यय संचार, पेयजल, एवं विद्युत योजनाओं के वास्ते प्रस्तावित है ।

5-1 कृषि

5-1-1 भूमिका :- पिथौरागढ़ को वर्ष 1960 में जिले का रूप दिया गया और 1972 में चम्पावत तहसील भी जिले में मिलाई गई । वर्ष ~~1967~~ 1965 में यहाँ कृषि कार्यालय की स्थापना हुई । यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का, आलू, मसूर तथा मडुवा है । ऊँचाई के क्षेत्र में वर्फ होने के कारण कोई फसल नहीं उगाई जाती है । यहाँ दोमट, मटियार, दोमट कंकरीली किस्म की मिट्टियाँ हैं ? 2000' से 5000' की ऊँचाई तक विभिन्न फसल चक्र अपनाया जाता है ।

1- धान, गेहूँ - एक वर्ष ।
2- मडुवा, मक्का, धान, गेहूँ - 2 वर्ष ।
3- धान, गेहूँ या जौं, मक्का, गेहूँ - 2 वर्ष ।
4- मडुवा पड़ती -मक्का, गेहूँ - 2 वर्ष ।
5- धान, गेहूँ, मडुवा, पड़ती - 2 वर्ष ।
6- धान, गेहूँ, जौं, मक्का - 2 वर्ष ।
7- धान, गेहूँ/जौं, मादिरा, गेहूँ - 2 वर्ष ।
8- मादिरा, गेहूँ, मडुवा, पड़ती - 2 वर्ष ।

यहाँ औसत उत्पादन असिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर धान 8-75 कुन्तल, मक्का 11-7 कुन्तल, गेहूँ 7-2 कुन्तल है। सिंचित क्षेत्र में धान 15 कुन्तल, प्रति हेक्टेयर, मक्का 15-00 कुन्तल, गेहूँ 13-00 कुन्तल है । हरी खाद का प्रचलन यहाँ नहीं है । रासायनिक खाद का प्रचलन भी कम है ।

5-1-2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- जिला बनने से पूर्व इस जनपद में कृषि के विकास में प्रगति बहुत कम रही । कृषि का सकल क्षेत्रफल 117520 हेक्टेयर है । चतुर्थ योजना तक रासायनिक खाद की प्रगति इस प्रकार थी :-

कुल खाद	71-72	72-73	73-74
1- नत्रजन	66	61	67
2- फास्फेटिक	41	53	68
3- पोटेशिक	21	12	15

5-1-3 चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन:- इस जनपद में अभी तक मैदानी भागों की तरह पड़ताल नहीं हुई है जिसके कारण सही अनुमान निकालने में कठिनाई होती है । अतः सर्व प्रथम यहाँ पड़ताल कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

वर्तमान वर्ष 74-75 में जिले में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के अन्तर्गत सम्भावित सिंचन क्षमता 15259 हैक्टेयर है। यह विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र के आधार पर धान 4296 है०, मक्का 157 हैक्टेयर, गेहूँ 8478 हैक्टेयर है। अधिक उत्पादन बौने एवं विदेशीय तथा धान 6030 हैक्टेयर, मक्का 2264 हैक्टेयर, और गेहूँ 4190 हैक्टेयर, उन्नत उ०प्र० किस्म के अन्तर्गत पूर्ति हुई। संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हो पाया है। पंचम योजना 78-79 के अन्त तक सिंचाई की जाने वाली बढ़ती क्षमता को ध्यान में रखते हुए बौने एवं विदेशीय किस्म के अन्तर्गत धान 2250 हैक्टेयर, मक्का 350 हैक्टेयर, गेहूँ 2600 हैक्टेयर एवं उन्नत उ०प्र० के अन्तर्गत धान 3000 हैक्टेयर, मक्का 350 है० गेहूँ 3900 हैक्टेयर लाने का प्रस्ताव रखा है। वाणिज्य फसल में मुख्य फसल आलू की है। वर्ष 74-75 में 2975 हैक्टेयर की पूर्ति हुई। वर्ष 78-79 में 3475 हैक्टेयर क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 100197 मै० टन उत्पादन होने का अनुमान है। आलू की पैदावार 18732 मै० टन वर्ष 78-79 तक होने का अनुमान है।

बीजों की खपत वर्ष 74-75 में इस प्रकार रही।

1- बौना किस्म:- गेहूँ 123 क्विंटल
धान 129 ,,
मक्का 22 ,,
सोयाबीन 1 क्वि०

2- उत्तर प्रदेश किस्म :-
गेहूँ 25:30 क्वि०
धान 9-90 क्वि०

चतुर्थ योजना काल में कृषकों को उन्नत किस्म के बीजों को बोने के बारे में प्रोत्साहित किया गया ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। विभाग से अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का बीज ऐसे कृषकों में दिया जाता है जो उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। रबी में सितम्बर प्रथम पखवाड़े तक बाहर से प्राप्त होने वाले बीज जनपद में उपलब्ध हो जाने चाहिये तथा खरीफ में 15 मार्च तक।

5-1-4 दीर्घ कालीन परियोजना :- वर्ष 74-75 में 3:51 लाख रुपया परिव्यय स्वीकृत हुआ था जिसमें 27500 रुपया व्यय हुआ। वर्ष 75-76 के लिये 2:90 लाख रुपया रखा गया है। पंचम पंचवर्षीय योजना का इस मद-प्रस्तावित परिव्यय 39:5 लाख रुपया है।

योजना का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षों में कृषि उत्पादन का बढ़ाना है इसके लिये विभिन्न कार्यक्रम जैसे अधिक उत्पादन देने वाले बीज रासायनिक खाद, भूमि संरक्षण, सिंचाई की सुविधा, इत्यादि दी जाती है। इस वर्ष 1975-76 में हमारा अन्न का उत्पादन 95.,828 मैट्रिक टन है। यह अनुमान किया जाता है कि पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक यह उत्पादन खाद्यान्न एवं दाल से बढ़ कर 100197 मै० टन हो जावेगा।

पाँचवीं योजना वर्ष 78-79 के अन्त तक नत्रजन 400 मै०टन, फास्फेटिक 200 मै०टन, तथा पोटास 150 मै०टन वितरण करने का प्रस्ताव रखा है। पाँचवीं योजना वर्ष 78-79 में 5200 हेक्टेयर अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का क्षेत्र फल बढ़ाया जायेगा। और 6350 हेक्टेयर में उन्नत शील किस्मों के बीज बोये जावेंगे।

दो फसली क्षेत्र भी 1725 हेक्टेयर अधिक बढ़ाया जावेगा। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

मद	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	अतिरिक्त
1-खाद्यान्न	1,11,990	112150	112220	112265	112310	112335	355
2-वाणिज्य फसल	5687	5852	6207	6487	6767	7067	1380

खाद्यान्न के अन्तर्गत दो फसली क्षेत्र सिर्फ 345 हेक्टेयर बढ़ाये जाने का लक्ष रखा गया है। प्राथमिकता वाणिज्य फसलों को दी गई है। ताकि अधिक से अधिक आय बढ़ाई जा सके।

रासायनिक खादों में वर्ष 75-76 में 100 मै०टन नत्रजन, 40 मै०टन फास्फेटिक, तथा 30 मै०टन पोटैशिक खाद बाँटने का लक्ष रखा गया है। गत् योजना में साधनों की कमी तथा जनता की खाद क्रय करने की क्षमता के अभाव में प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही। इस क्षेत्र में अब पहिले की अपेक्षा अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करने व बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। पाँचवीं योजना के अन्त तक क्रमशः नत्रजन 400 मै०टन, फास्फेटिक 200 मै०टन, तथा पोटैशिक 150 मै० टन रासायनिक खाद वितरण करने का लक्ष रखा गया है।

वर्ष 74-75 में रासायनिक खादों की कीमत में वृद्धि हो जाने से वितरण में कमी आ गई है ।

राजकीय गोदामों के अभाव में बफर गोदाम तथा 8 कृषि बीज भण्डार किराये के गोदामों में रासायनिक खाद की सुरक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिक मात्रा में संग्रहित नहीं की जा सकती । इसके कारण उर्वरक तत्वों का विनाश हो जाता है । विभागीय सेल पौइन्टों की कमी का भी एक कारण है ।

5-1-5 व 5-1-6 विकास के लिये मुख्य क्षेत्रीय नीति :- पाँचवीं योजना में प्राथमिकता वाणिज्य फसलों को दी गई है ताकि कृषकों की आय बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त एवं उन्नतशील किस्मों का बीज वर्ष 78-79 में धान 145 क्वि0, गेहूँ 225 क्वि0, शंकर मक्का 22 क्वि0, तथा स्थानीय किस्में धान 30 क्वि0, गेहूँ 35 क्वि0, मक्का 25 क्वि0, शुद्ध एवं स्वस्थ बीज बीज बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है । इसके साथ साथ वर्ष 78-79 में 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र फसल सुरक्षा कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा गया है । घाटी वाले और नीचे के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है कृषि का सघन विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

सोयाबीन की खेती वर्ष 74-75 में 402 हैक्टेयर में हुई थी जो बढ़ कर अब 75-76 में 1910 हैक्टेयर तक बढ़ाई गई है । इस कार्यक्रम को चलाने के लिये जनपद में लगभग 125 प्रदर्शन आयोजित हुए हैं । जिनमें राज सहायता भी प्रस्तावित है । व्यापक रूप से सोयाबीन की खेती कराई गई । वर्ष 75-76 में लगभग 200 क्वि0 सोयाबीन का बीज वितरण किया गया ।

5-1-7 संसाधनों का जुटाया जाना :- यह संसाधन आयोजनागत के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । संस्थागत वित्त से कोई धनराशि उपलब्ध करने का विचार नहीं है ।

5-1-8:- विकास कार्यक्रम के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- कोई टिप्पणी नहीं है ।

5-1-9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न:- यहाँ के कृषि के विकास के लिये भूमि का पड़ताल होना अत्यन्त ही आवश्यक है क्योंकि पड़ताल के न होने के कारण खरीफ व रबी के आँकड़े अनुमानित ही हैं। इसके अभाव में कुल उत्पादन के आँकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अनुमानित आँकड़ों को आधार मान कर योजना बनानी पड़ती है ।

जनपद मुख्यालय पर एक बफर गोदाम तथा आठ विकास खण्डों में बीज भण्डारों का निर्माण, सेल पौइन्टों की संख्या में वृद्धि तथा खाद बीज वितरण पर राज सहायता जारी रखना उचित है ।

मृदा परीक्षण हेतु एक चलित दल की जनपद में आवश्यकता, मिनीकिट बीज वितरण पर राज सहायता, उर्वरक में खाद, बीज, पर राज - सहायता, कृषि रक्षा कार्यों पर 50 % अनुदान जारी रखना उचित होगा ।

वर्ष 74-75 व 75-76 में जनपद में कोई भी बीज भण्डार निर्माण नहीं किया गया । जनपद के सिर्फ तीन विकास खण्डों में बीज भण्डार बने हैं, शेष 8 विकास खण्डों में व जनपद के मुख्यालय पर बफर गोदाम का निर्माण किया जाना आवश्यकीय है, जिससे खाद बीज का रख रखाव व सुरक्षा हो सके ।

- - - - -

5-2 बागबानी और फलोपयोग

5-2-1 भूमिका :- अन्य पर्वतीय जिलों के अनुसार इस जिले की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु प्रदेश के शेष क्षेत्रों से सर्वथा भिन्न है, जिससे सम्पूर्ण जनता के लिये खाद्य सामग्री उपलब्ध होना असम्भव है। कृषि पर अपेक्षा कृत व्यय अधिक और प्रति एकड़ उपज कम होती है। जनता का जीवन स्तर निश्चय ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा निम्न है। यही कारण है कि समस्त जिला राज्य का प्रमुख पिछड़ा एवं अविकसित क्षेत्र माना जाता है। इस स्थिति को निपटने का एक ही आशातीत विकल्प यह है कि यदि इस जिले में वैज्ञानिक आधार पर औद्यानिक विकास की ओर प्रयास किया जाय तो अपेक्षाकृत कम समय में ही यहाँ के निवासियों के आर्थिक स्तर को उन्नत की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इस सर्वमान्य तथ्य को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1953 से जिले में उद्यान विकास का कार्य निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग उ0प्र0 द्वारा प्रारम्भ किया गया।

5:2:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जिले के भौगोलिक हैसियत के दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए औद्यानिक विकास के लिये काफी मात्रा में साधन उपलब्ध हैं। समुद्र तल से जिले के औद्यानिक क्षेत्र की ऊँचाई 762 मीटर से लेकर 2583 मीटर तक होने से यहाँ निचली घाटियों से लेकर ऊँची पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान हैं। घाटियों की जलवायु मैदानी क्षेत्रों की तरह गर्म है तथा ऊँची पर्वत श्रेणियों में वर्ष के अधिकतर भाग में बर्फ रहती है। अतः जिले की जलवायु दोनों प्रकार के फलों (शीतोष्ण तथा सम शीतोष्ण) के लिये उपयुक्त है।

वर्ष 1971-72 तक जिले में उद्यानों के अन्तर्गत 4939 हैक्टेयर भूमि लाई गई है। तथा वर्ष 73-74 तक 6336 हैक्टेयर के अन्तर्गत लाई जा चुकी है। पंचम पंच वर्षीय योजना काल में बेनाप भूमि वन विभाग तथा वन पंचायत भूमि में से कुछ भूमि उद्यानों के अन्तर्गत लेकर फलोपयोग को इस जिले में भविष्य में और विकसित करने के कार्यक्रम बनाये गये हैं। जिले में कृषि से काश्तकारों की आमदनी कम होने के कारण वे किसी उत्साहवर्द्धक कार्य को नहीं अपना पा रहे हैं। कृषि उत्पादन जिले में सिंचाई के साधनों के अभाव, कृषकों के पास कम जमीन होने के कारण तथा मौसम के कुप्रभावों के कारण असिंचित क्षेत्रों में प्रायः असफल रहा है।

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए फलोपयोग को अधिक विकसित करने के साधन मौजूद हैं जिसके लिये पंचम पंच वर्षीय योजना में निम्न लिखित भूमि उद्यानों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है :-

1- असिंचित भूमि में से	2300	हैक्टेयर
2- सिंचित बेनाप भूमि में से	1000	,,
3- वन विभाग तथा वन पंचायत भूमि में से । -	200	,,
योग :-	3500-00	

अब तक किये गये विभागीय कार्य कलापों की समीक्षा निम्न प्रकार है । पाँचवीं योजना काल में कार्यक्रमों के अन्तर्गत 13039-1 हजार रु0 राज्य आयोजनागत 2100-00 संस्थागत वित्त तथा 314-00 हजार रुपये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित से व्यय किये जाने का प्राविधान है । जिसमें से वर्ष 1975-76 में 551-800 हजार रुपये राज्य आयोजनागत, 44-900 केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रोन्नति तथा 1-250 हजार रुपये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होगया है । अभी तक संस्थागत वित्त के अन्तर्गत होने वाले व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत 237-700 हजार रुपये राज्य आयोजनागत से ,60-700 हजार रु0 केन्द्रीय सेक्टर से प्राप्त धनराशि का व्यय किया गया है । तथा संस्थागत वित्त से कोई भी धनराशि व्यय नहीं हुई है ।

(अ) उद्यान विकास :- इस जिले की जलवायु शीतोष्ण तथा शम - शीतोष्ण फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिये अत्यन्त उपयुक्त है । जिले की स्थापना 1960 में हुई तथा वर्ष 1961 तक फलोद्यानों के अन्तर्गत 686 हैक्टेयर था जो कि वर्ष 1971-72 में 4939 हैक्टेयर तथा 1974-75 के अन्त तक 6759 हैक्टेयर तक लाया जा चुका है ।

इस दिशा में निरन्तर यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि विभिन्न फल, सब्जी बीज, मसाले, चैरीज आदि जो आर्थिक एवं निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है के उत्पादन पर भी बल दिया जारहा है । सम्बन्धित विषयों पर मूल उपयोग विभाग द्वारा शोध कार्य किया जारहा है । बौने प्रजातीय सेव के पौधे जो 3 वर्ष में ही फूल देते हैं (अन्य किस्में 7,8 वर्ष पश्चात् फलती हैं) का परीक्षण कर प्रसार किया जारहा है । उपर्युक्त फसलों के उत्पादन की काफी सम्भावनायें हैं ।

फलोत्पादन के साथ साथ सब्जी उत्पादन की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए इसके अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास किये जारहे हैं । वर्ष 1971-72 तक विभाग द्वारा 17 मैट्रिक टन सब्जी बीज वितरण किया गया तथा वर्ष 1974-75 के अन्त तक सब्जी बीज वितरण की मात्रा 25-394 मीट्रिक टन होगई है । फल स्वरूप जिले में वर्ष 1974-75 तक 544-630 हैक्टेयर क्षेत्र सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1971-72 तक फलों का उत्पादन 4000 मे० टन था जो कि वर्ष 1974-75 के अन्त तक बढ़कर 9000 मे०टन होगया है । वर्ष 1973-74 में विभिन्न फलों के उत्पादन के आँकड़े संलग्न हैं । वर्ष 1974-75 में फलों की फसल को ओला और पाले से अत्यन्त नुकसान होगया था जिसके कारण उत्पादन केवल अनुमानतः 3380 ही मे०टन होपाया ।

यह प्रगति जिले में विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं के फल स्वरूप प्राप्त हुई है ।

5:2:3 चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकनः -

फल उत्पादकों तथा शिक्षित बेरोजगार के उद्यान प्रशिक्षण की योजनाः -

शीतोष्ण एवं सम शीतोष्ण फल एवं सब्जी उत्पादकों को विशेषकर सफल उत्पादन के लिये तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिये कृषकों के प्रशिक्षण के लिये जिले में 3 दिवसीय तथा 5 दिवसीय उद्यान प्रशिक्षण की योजना कार्यान्वित की गई है जिससे औद्यानिकों को उद्यान विकास से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होता है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 तक 1109 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । प्रतिवर्ष इस योजना के अन्तर्गत 600 फल उत्पादकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है । इसके साथ ही 5 दिवसीय उद्यान प्रशिक्षण भी 25 औद्यानिकों का रोग उद्यानों को विकसित करने के लिये दिया जाता है ।

फल पट्टियों तथा औद्यानिक उपनिवेशों की स्थापनाः - फलोत्पादन के लिये यातायात की सुविधा अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है तथा एक क्षेत्र के उत्पादकों को सामूहिक रूप से विभिन्न कार्यों में सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख सड़कों के दोनों ओर सघन क्षेत्रों में उद्यान विकसित करने के लिये जिले में फल पट्टियों तथा औद्यानिक उपनिवेशों की योजनायें बनाई गई हैं जिसके अन्तर्गत चतुर्थ योजना काल के अन्त तक निम्न लिखित फल पट्टियों तथा औद्यानिक उपनिवेशों में कार्य सम्पन्न किया गया है ।

1-	गंगोलीहाट - राम मन्दिर	440 एकड़
2-	कनालीछीना-बाराबीसिंग	300 एकड़
3-	सिमिल पाटा	18 एकड़
4-	बलाबे-डिडागान, बानती सोनगाँव, पत्थरखानी	192 एकड़
5-	म्योली-नकानौली चौपाता	125 एकड़
6-	गिरगाँव - गिरी	20 एकड़
	योगः -	1102 - एकड़ (440 हैक्टेयर)

वर्ष 1974-75 में फलों के उत्पादन के अनुमानित आँकड़े निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष 1974-75 में पिथौरागढ़ जिले के अन्तर्गत विभिन्न फलों के उत्पादन के अनुमानित आँकड़े (क्विंटल)

क्र0सं0 फल का नाम	मुनस्यारी	बेरीनाग	गंगोलीहाट	पिथौरागढ़	मूनाकोट	धारचूला	कनालीछीना	डीडीहाट	बाराकोट	लोहाघाट	चम्पावत	योग
1- सेब	2000	100	100	500	500	2500	100	180	3000	6000	2300	17200
2- नाशपाती	300	500	300	3000	1000	250	500	100	2000	3500	2700	14150
3- आड़ू खुबानी	200	100	100	500	100	--	100	100	100	600	300	2200
4- नीबू प्रजातीय	1000	800	500	400	400	500	2600	200	200	500	200	6700
5- आम	50	200	1000	200	500	200	2000	500	200	500	250	5500
6- अमरूद	100	200	1000	100	200	200	500	--	100	50	50	1600
7- केला	300	200	500	200	400	1000	500	50	100	100	1100	4450
8- अन्य	100	100	100	100	200	200	200	400	50	150	[illegible]00	1700
योगः-	4050	2200	2700	5000	3300	4850	5900	1450	5750	11400	7000	53800

फलपौधा, सब्जी बीज तथा सब्जी पौध, पौध रक्षा कार्य तथा औद्यानिक औजारों के वितरण पर राज सहायता :- आर्थिक दृष्टि से यह जिला पिछड़ा हुआ है। फल उद्यानों की स्थापना में 8,10 वर्ष तक व्यय ही करना पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों को फल पौध, सब्जी बीज तथा औद्यानिक औजारों के परिवहन पर दी जाती है। कीट नाशक दवाओं के लिये 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है। वर्ष 1974-75 तक इस योजना के अन्तर्गत 18,27,120 फल

पौधे, 25-394 मे०टन सब्जी बीज तथा 922 सेट औद्यानिक औजारों का वितरण किया गया इसी प्रकार फलोद्यानों में भी समय समय पर कीट नाशक दवाओं का प्रयोग कीट एवं व्याधियों के विरुद्ध किया गया है ।

प्रजनन उद्यानों पौध शालाओं की स्थापना :- उत्पादकों को उन्नत किस्म के फल पौध, सब्जी बीज, तथा सब्जी पौध उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिये जिले में विभाग के अन्तर्गत 18 बहुधन्धी उद्यान केन्द्र, प्रजनन उद्यान उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जो कि जिले के फल पौध, सब्जी बीजों तथा सब्जी पौधों की माँग की पूर्ति करते हैं । उत्पादकों की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए इनका विस्तार किया जाना आवश्यक है । इन उद्यानों तथा नरसरियों द्वारा वर्ष 74-75 तक 15,76,892 फल पौध तथा 19-505 मे०टन सब्जी बीज का उत्पादन किया गया है ।

उद्यान एवं पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण :- इस समय जिले के प्रत्येक विकास खण्ड तथा सघन रूप से विकसित क्षेत्रों में 18 पौध रक्षा सचल दल केन्द्र/ उप केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । जो वैज्ञानिक दृष्टि से उद्यान के हर पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी ज्ञान एवं उचित परामर्श देते हैं तथा औद्यानिक प्रदर्शन आयोजित करते हैं । फल सब्जी उत्पादन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिये उचित समय पर कीड़े-मकौड़े तथा व्याधियों के रोकथाम का कार्य इन्हीं उद्यान रक्षा सचल दलों द्वारा सम्पन्न किया जाता है । ये सचल दल पुराने उद्यानों का अभिनवीकरण करने के साथ साथ फल पौधों, सब्जी बीज तथा सब्जी पौधों का वितरण भी करते हैं । इन सचल दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि ये शोध केन्द्रों द्वारा परिक्षित वैज्ञानिक विधियों को उत्पादकों तक पहुँचाते हैं एवं उत्पादकों को औद्यानिक विकास सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु शोध केन्द्रों के सम्मुख प्रेषित करते हैं । जिससे उद्यान विकास को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक है । उद्यान विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इन सचल दलों की योग्यता दिनो दिन बढ़ती जारही है ।

पर्वतीय जिलों की दीर्घ कालीन उद्यान ऋण का वितरण :- आर्थिक दृष्टि से यह जिला पिछड़ा हुआ है । फल उद्यानों की स्थापना में लगभग 8-10 वर्ष तक व्यय ही करना पड़ता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों को दीर्घ कालीन उद्यान ऋण दिया जाता है । इस वर्ष 1974-75 तक 2298350 रुपये ऋण के रूप में वितरित किये जा चुके हैं ।

अभी बागबानी विकास में कई कठिनाइयाँ महसूस की जारही हैं इसके लिये कुछ सुझाव नीचे दिये जारहे हैं जिन्हें आधार-भूत मानकर

पंचम पंच वर्षीय योजना का कार्यक्रम अपनाने में वांछित स्थायित्व एवं उपलब्धियाँ दृष्टिगोचर हो सकेंगी ।

पर्वतीय क्षेत्रों में मोटे मोटे सीढ़ीनुमा खेतों में कृषि कार्य बहुत ही दुष्कर है । सिंचाई के साधन भी सीमित हैं । घाटी वाले क्षेत्रों को छोड़ कर जिले के अन्य भागों में कृषि से आय नगण्य सी है । प्रति व्यक्ति औसत भू-स्वामित्व लगभग 0-65 है0 से 1-00 है0 तक है । अतः ऐसी भूमि जो असिंचित है तथा कुछ वन भूमि और सिविल वेनाप भूमि को उद्यान के अर्न्तगत् लाना आवश्यक है । इसी उद्देश्य से पंचम पंच वर्षीय योजना काल में 3500 है0 अतिरिक्त भूमि उद्यानों के अर्न्तगत् लाने का प्रस्ताव है ।

वर्तमान समय में जो उद्यान लगाये गये हैं उसके क्षेत्र का एक चौथाई भाग ही ऐसा है जिसमें आधा अथवा एक एकड़ के उद्यान सघन क्षेत्र में लगाये गये हैं । इस कमी की पूर्ति की दिशा में फल पट्टियों के रूप में उद्यानों को विकसित करने का कार्यक्रम चुना गया है ।

पर्वतीय अंचल में कृषकों की आर्थिक दशा एवं उद्यान स्थापित किये जाने के 7-8 वर्ष बाद फलने में लगने के कारण कृषक एकाएक कृषि कार्य को नहीं छोड़ पारहे हैं । पर्वतीय अंचल में संगठित एवं वैज्ञानिक विधियों के अनुसार आदर्श उद्यान स्थापित करने में अधिक व्यय करना पड़ता है । कृषकों को प्रोत्साहित करने तथा उनमें जागरूकता लाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा जारहा है कि भूमि हीन व्यक्तियों को उद्यान लगाने हेतु भविष्य में भूमि का आवंटन किया जाय ।

उद्यानों की स्थापना के सम्बन्ध में यातायात की सुविधा का एक महत्वपूर्ण स्थान है । अन्यथा दूरस्थ स्थलों में स्थित उद्यानों की फसल को मण्डियों तक पहुँचाने पर सम्भावित व्यय तथा शुद्ध आय जो कृषकों को होगी उससे फल उत्पादकों को निराशा देखनी पड़ेगी । अतः उद्यानों की स्थापना के कार्यक्रम को जहाँ तक सम्भव हो यातायात के मार्गों से सम्बद्ध किया जानाचाहिये । मार्गों को जोड़ने के लिये लिंक रोडों को प्राथमिकता दीजाने की आवश्यकता है । इसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क स्थापित किया गया है ।

उद्यान विकास कार्य की सफलता एवं विकास के साथ साथ आवश्यक होगा कि उत्पादित फलों के विपणन की उचित व्यवस्था हो । इस दिशा में अभी तक जिले में उत्पादित फलों की मात्रा जो कि प्रति वर्ष बढ़ती जारही है को दृष्टिगत् करते हुए फलों के कोटिकरण एवं भण्डारण केन्द्र की स्थापना तथा विपणन अधिसूचना एवं सर्वेक्षण स्थल की अति आवश्यकता है ।

फलोद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र में दिनों दिन वृद्धि होने के फलस्वरूप पौध रक्षा कार्यों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है । इसमें उदासीनता बरतने पर औद्यानिक विकास की भारी हानि होने की सम्भावना है । इसके लिये उद्यान रक्षा सचल दलों को सुदृढ़ करना आवश्यक है ।

उद्यान विकास की ओर दिनों दिन जनता की रुचि बढ़ती जा रही है । इसके लिये विश्वसनीय तथा उन्नत किस्म के फल पौधों तथा सब्जी बीजों की आपूर्ति को उपलब्ध कराना अति आवश्यक है । वर्तमान समय में जो विभागीय नरसरियाँ प्रजनन उद्यान आदि हैं उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि ये जिले की फल पौध, सब्जी बीज आदि की बढ़ती हुई माँग को पूरा कर सकें जिसके कारण इन वस्तुओं की पूर्ति निजी व्यवसायी से की जाती है । अतः वर्तमान नरसरियों तथा प्रजनन उद्यानों का प्रसार तथा नई नई नरसरियों तथा प्रजनन उद्यानों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी जिले में पूर्ण औद्यानिक विकास नहीं हो पाया है, इन चालू योजनाओं को पंचम योजना काल में चालू रखने का प्रस्ताव है । जिले के औद्यानिक विकास के लिये आवश्यकता समझने के लिये ये सभी योजनायें अपना अलग अलग महत्व रखती हैं । पंचवीं योजना तथा 74-75 व 75-76 के परियोजनावार परिव्यय लक्ष्य/पूर्ति की सूचना निम्न तालिका में दी हुई है :-

उद्यान का पंचवीं योजना का परियोजनावार परिव्यय- जिला पिथौरागढ़।

(हजार रुपयों में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	पंचवीं योजना का अनुमोदित व्यय	74-75 का व्यय	75-76 परिव्यय	का 76-77
1	2	3	4	5	6
1-	फल उत्पादकों तथा बेकार कृषि स्नातकों को उद्यान प्रशिक्षण देने की योजना ।	——	9:900	11:000	
2-	फल पौधे, सब्जी बीज, सब्जी पौधों के परिवहन पर तथा पौध रक्षा कार्य एवं औद्यानिक औजार मशीनों के वितरण पर राजसहायता		77:400	66:100	
3-	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास खण्डों में औद्यानिक कार्यों का विस्तार एवं समन्वय ।		3:900	47:300	
4-	उद्यान एवं पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण ।		50:000	164:000	
5-	प्रजनन उद्यान तथा पौधशालाओं की स्थापना ।		—	125:200	

1	2	3	4	5	6
6-	उन्नत किस्मों के तरकारी बीजों का उत्पादन।		83:700	167:400	
7-	पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम की योजना।		—	0:800 (यह योजना वर्ष 75-76 से ही स्वीकृत हुई है)	
8-	पर्वतीय क्षेत्रों में फलपट्टियों उद्यान उपनिवेशों की योजना		9:100	11:000	
9-	फलों के परिविक्रय पर राज सहायता।		3:000	—	
	योग:-		237:000	551:200	
10-	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित निर्यात प्रोन्नति के लिये अखरोट उत्पादन की योजना।		66:700	44:400	
11-	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत सेब के पौधों के सघनीकरण की योजना।		—	1:250	
	कुल योग:-		303:700	596:850	

नोट:- वर्ष 1975-76 के लिये उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत शासन से बजट की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। संख्यागत में अभी स्वीकृति अपेक्षित है।

विभाग- उद्यान एवं फल उपयोग - पाँचवीं योजना का परियोजनावार भौतिक लक्ष्य / पूर्ति

क्र0सं0 परियोजना का नाम	इकाई	31-3-69 की स्थिति	31-3-74 तक की पूर्ति
1 2	3	4	5
1- फल उत्पादकों एवं शिक्षित बेरोजगारों को उद्यान प्रशिक्षण योजना।	सं0		
2- फल पौधों, सब्जी बीजों, सब्जी पौधों पर पौध रक्षा कार्य तथा औद्यानिक औजारों पर राज सहायता			
(अ) फल पौध वितरण	सं0	831513	1499530
(ब) सब्जी बीजों का वितरण	किलो	8662	24283
(स) सब्जी पौध वितरण	संख्या	—	—
(द) औद्यानिक औजार जिन्हें राज सहायता पर वितरित किया जायेगा।	संख्या	—	605

1	2	3	4	5
3- प्रजनन उद्यान एवं पौध शालाओं की स्थापना।				
(अ) फल पौधों का उत्पादन	संख्या	585530	1094258	
(ब) सब्जी बीजों का उत्पादन	मी०टन	6.00	17.90	
4- उद्यान एवं [illegible] रक्षा प्रसार का सुदृढ़ीकरण।				
(अ) उद्यानों के अन्तर्गत [illegible] क्षेत्र	है०	3680	6758	
(ब) सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत [illegible] गया क्षेत्र	है०	115	1208	
5- [illegible] की स्थापना				
(अ) [illegible] की संख्या [illegible]		-	-	
(ब) पर्वतीय [illegible] में [illegible] की संख्या [illegible]	संख्या	-	-	
6- पर्वतीय [illegible] में [illegible] की [illegible] का [illegible]	संख्या	-	-	
7- [illegible] के लिये [illegible] उत्पादन [illegible]	हैक्टेयर	-	-	

पंचवर्षीय योजना 1974-75 का लक्ष्य	1974-75 लक्ष्य	पूर्ति	1975-76 लक्ष्य	1976-77 लक्ष्य
3500	600	650	600	
975,000	100000	116153	फल पौध वितरण कार्य चालू है	
39,000	4500	32268.258	[illegible] वित्तीय वर्ष के अन्त में [illegible] होगी।	
206 लाख	32 लाख	3403201	32 लाख	43 लाख
500	90	37	100	100
155000	100000	150111	100000	100000
75.000	4.500	3.22	1.50	2.00
3500	400	442.000	650	700
300	300	322	55	60
2500	500	500	500	600
50	-	-	10	10
-	-	-	3200	- इसकी सूचना निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।
-	-	-	120	-

5: 2: 4 दीर्घ कालीन परिपेक्ष्य :- उपरोक्त योजनाओं को चालू रखने तथा पंचम पंच वर्षीय योजना काल में इन योजनाओं के विस्तार के फल स्वरूप उद्यानों के अर्न्तगत पंचम पंच वर्षीय योजना काल में 3500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र उद्यानों के अन्तर्गत लाया जावेगा । षष्ठम योजना काल में इस क्षेत्र को बढा कर 7000 हैक्टेयर तथा सप्तम योजना में इससे बढाकर 10500 हैक्टेयर तक उद्यानों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । सब्जी उत्पादन के अर्न्तगत पंचम योजना काल में 533 है0 अतिरिक्त क्षेत्र लाया जावेगा । जिसे षष्ठम तथा सप्तम योजना काल तक बढा कर क्रमशः 800 है0तथा 1000 है0 कर दिया जावेगा । इस प्रकार दीर्घ कालीन योजना तक जिले में उद्यानों के अन्तर्गत 16836 है0 तथा सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत 1000 है0 क्षेत्र लाया जावेगा । जिसे प्रति वर्ष 20000 मी0टन फलों तथा 2000 मी0टन सब्जी का उत्पादन होने की सम्भावना है । विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं में किये गये कार्य कलापों का विवरण नीचे दिया जारहा है ।

मद	इकाई	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	अन्तरिम योजनायें	चतुर्थ योजना
1	2	3	4	5	6
उद्यान एवं प्रदर्शन	सं0	120	222	88	138
फल पौधों का वितरण	सं0	137451	389017	200765	668017
सब्जी बीज वितरण	मी0टन	0: 268	3: 316	3: 296	18: 730
औद्यानिक औजार वितरण	सेट	—	—	281	605
फल पौध उत्पादन	संख्या	163031	500333	223136	539081
सब्जी बीज उत्पादन	मी0टन	0: 330	2: 481	0: 949	11: 711
उद्यानों के अर्न्तगत क्षेत्र ।	हैक्टे0	560	1590	1333	2655
पौध रक्षा कार्य	,,	290	910	528	8710

सब्जी उत्पादन के आँकडे इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सब्जी उत्पादन कृषकों को प्रोत्साहित कराने एवं आर्थिक लाभ प्राप्त कराने के लिये कराया जाता है । जिसके लिये विभाग द्वारा सब्जी बीज वितरण कार्यक्रमों को किया जाता है । पांचवी योजना काल में सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र 300 हैक्टेयर लाने का प्रस्ताव है।

5: 2: 5 विकास के लिये मुख्य स्तरीय नीति:- उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बहुत ही सुनियोजित एवं सुदृढ शोध, प्रसार एवं प्रशासनिक कार्य की आवश्यकता है । कम से कम समय में अधिक से अधिक ऐसे उद्यान विकसित किये जाते हैं जो उत्पादन को सुदृण

आर्थिक स्थिति में ला सके और उद्यान कार्य एक लाभ प्रद व्यवसाय बन जाय। जिसके लिये आवश्यकता है कि द्रुत गति से ऐसे शोध कार्य जो कि उन्नत किस्में नई तकनीकी विधियाँ सामने लायें जो लाभप्रद सिद्ध हो तथा उद्यान विकास सम्बन्धी सरल व सस्ते उपायों व साधनों को ढूढ निकाले जो उद्यान विकास को सर्वतो मुखी प्रगति में सहायक हो साथ ही साथ ऐसे प्रशिक्षण और प्रसार संगठन की आवश्यकता है जो प्रशिक्षित व्यक्तियों की पूर्ति करें तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक जानकारी और साधनों को सुगमता से जनता को उपलब्ध करायें।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में विभाग द्वारा स्थापित रण नीति का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में सामान्य फलोद्यानों को विकसित करने के साथ विशिष्ट फलों, सब्जी बीजों, मशाले, केसर, (खुम्ब) तथा फलों के उत्पादन जो आर्थिक एवं निर्यात की दृष्टि में महत्वपूर्ण है के विकास पर अधिक बल दिया जावेगा। सेब की बौनी जाति जो 3 वर्ष में ही फल देती है (अन्य किस्में रोपण के 7-8 वर्ष में फल देती है) के उत्पादन पर तथा अन्य सम्बन्धी विषयों पर शोध कार्य चल रहा है और भविष्य में आशा की जाती है कि उनकी सफलता के लिये उद्यान विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इसी योजना काल में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार के अन्तर्गत 5०० हे० का लक्ष्य है।

उत्पादकों को फल पौध व सब्जी की बढती हुई माँग को दृष्टि में रखते हुए अतिरिक्त प्रजनन उद्यानों की स्थापना उचित स्थानों पर की जावेगी। ये उद्यान-पतियों के लिये आदर्श उद्यानों के रूप में भी उद्यानों का विकास किया जावेगा। विभिन्न योजना अवधि में विभाग द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के फल स्वरूप उद्यानों एवं सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत वर्ष 74-75 के अन्त तक क्रमशः 6758 हे० तथा 544 हे० क्षेत्र लाया गया है। फल एवं सब्जी उत्पादन का तकनीकी ज्ञान तथा पौध रक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिले में अभी तक विभिन्न विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत 18 उद्यान एवं पौध रक्षा सचल दल स्थापित किये जा चुके है। परन्तु जिले में बढते हुए औद्यानिक विकास की दृष्टि में रखते हुए इन दलों की कमी अनुभव की जा रही है। अतः पाँचवीं योजना में विकसित क्षेत्रों पर जहाँ फसल आरम्भ होगई है तथा आने वाले नई समस्याओं के समाधान के लिये ऐसे अतिरिक्त दलों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है।

फल पट्टियों तथा अन्य सघन क्षेत्रों में विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने तथा उत्पादित फलों की ग्रेडिंग कराने के उद्देश्य से उचित स्थानों पर वेयर हाउसेज स्थापित किये जावेंगे।

अब तक का अनुभव यह है कि उत्पादकों को उचित ग्रेडिंग, पैकिंग आदि का ज्ञान नहीं के बराबर है जिससे फल सब्जी पौधों को जो मूल्य मिलना चाहिये वह उपरोक्त कमियों के कारण नहीं मिल पाता है। इन्हीं पैकिंग हाउसों के साथ साथ कीट नाशक दवाओं तथा उर्वरकों के भण्डार भी होंगे जिससे कीट नाशक दवाईयाँ कृषकों को उचित समय पर उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही फलों तथा सब्जी के विपणन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पाँचवीं योजना में एक परियोजना बनाई गई है जो उत्पादकों को फलों के उचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

यह अनुमान किया जा रहा है कि उद्यान विकास कार्य के लिये प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव है जिस कारण विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में कठिनाई हो रही है। अब तक जिले में 3 माह के उद्यान कर्मी प्रशिक्षण की योजना चलाई जा रही है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 40 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पाते हैं जो अधिकतर कम पढ़े लिखे होते हैं तथा मालियों के कार्य के लिये ही सक्षम हो पाते हैं। आवश्यकता ऐसे व्यक्तियों की है जो उद्यान विकास व तकनीकी प्रसार में पूर्ण रूप से सक्षम हों। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने तथा स्नातकों को दीर्घ कालीन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का आर्थिक स्तर अन्य क्षेत्रों से अभी भी बहुत निम्न है। अतः यह आवश्यक है कि पाँचवीं योजना में उद्यान विकास के लिये आर्थिक सहायता जैसे दीर्घ कालीन ऋण का वितरण पौधों व सब्जी के बीज पर राज सहायता; कीट नाशक दवाओं के मूल्य में 50 % की छूट उत्पादकों को विस्तृत क्षेत्र में प्रदान करना आदि के रूप में उपलब्ध कराया जाय।

किसी भी उद्योग के विकास के लिये प्रचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रचार सेल की स्थापना की आवश्यकता होगी। जिसके अन्तर्गत गाँव गाँव में जाकर फल एवं सब्जी उत्पादन पर आधुनिक तकनीकी जानकारियाँ दी जायेंगी तथा प्रचार पुस्तिकायें, पम्फलेट, आदि का प्रसारण कर वितरण किया जायगा। यह सेल पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले फल व सब्जियों का प्रचार भी करेगी जिसके फल स्वरूप उत्पादकों को उनके उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

5: 2: 6 विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर पुष्टिपूर्ण कार्यक्रम :-

पंचम पंच वर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर निम्न लिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है :-

फल पट्टियों तथा औद्यानिक उप निवेशों की स्थापना :- फल पट्टियों के रूप में सड़कों के दोनों ओर उद्यान लगाने के फल स्वरूप इस कार्य में अभी तक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अतः पांचवीं योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के उद्यान विकसित करने पर बल दिया गया है। चौथी पंच वर्षीय योजना तक भूमि न मिलने के कारण 6 फल पट्टियों तथा औद्यानिक उपनिवेशों की स्थापना की जा सकती है। जिसका विवरण प्रपत्र 3 में ऊपर दिया जा चुका है। इसलिये इस परियोजना को पंचम पंच वर्षीय योजना काल में चालू रखने का प्रस्ताव है। जिसके अन्तर्गत पूरी योजना काल में 1000 है0 अतिरिक्त क्षेत्र लाया जायेगा। जिसमें से 220 है0 वर्ष 1974-75 में प्रस्तावित था परन्तु नयागांव फलट्टा फार्म घोषित होने के कारण भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकी। भविष्य में भूमि वितरित करने की सुविधा प्राप्त होने पर ही इस योजना को सफलता से कार्यान्वित किया जा सकता है।

फल उत्पादन तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्यान कार्य प्रशिक्षण

उद्यान पतियों को वैज्ञानिक विधि से उद्यान कार्य की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु चतुर्थ योजना काल में 3 माह का उद्यान कार्य प्रशिक्षण दिये जाने की योजना चलाई गई है तथा 3 माह के रूप में उद्यान पतियों का 5 दिवसीय शिविर भी आयोजित किया जाता था। पंचम पंच वर्षीय योजना काल में कुल 3500 उद्यान पतियों को प्रशिक्षण देने की योजना है जिसमें से 600 व्यक्तियों को 1974-75 में प्रशिक्षित किया गया है। कतिपय औद्यानिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु शिक्षित बेरोजगारों को छात्रवृत्ति के आधार पर उद्यान कार्य प्रशिक्षण देने की योजना चलाई गई है।

फल पौधों तथा सब्जी बीज तथा औद्यानिक औजारों के परिवहन पर राज सहायता एवं कीट नाशक दवाओं पर 50% छूट की योजना :-

जिले के काश्तकारों की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा को दृष्टिगत करते हुए तथा यातायात की ऊंची दरों को देखते हुए उपरोक्त परि योजना के पंचम पंच वर्षीय योजना काल में चालू रखने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत पंचम पंच वर्षीय योजना काल में 975000 फल पौध 33 मै0टन सब्जी बीज 206 लाख सब्जी पौध वितरण किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त उद्यान पतियों में 500 सैट औद्यानिक औजारों तथा उपकरणों के सस्ती दरों पर वितरित किये जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त में से 1974-75 में 150111 फल पौध, 3: 834 मै0टन सब्जी बीज तथा 29 लाख सब्जी पौध तथा 30 सैट औद्यानिक औजार तथा उपकरण

वितरित किये गये हैं ।

प्रजनन उद्यानों तथा पौधशालाओं की स्थापना

जिले में फल पौधों तथा सब्जी बीज, सब्जी पौधों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वर्तमान समय में विभाग द्वारा 18 प्रजनन उद्यान तथा पौध शालायें स्थापित की जा चुकी हैं । पांचवीं योजना में फल पौधों, सब्जी बीजों तथा सब्जी पौधों की कमी को पूरा करने के लिये 2 नये प्रजनन उद्यानों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

उद्यान एवं पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण :-

फल उत्पादकों को उद्यान स्थापित करने तथा पुराने उद्यानों का पुनर्जीवीकरण के लिये उद्यान रक्षा सचल दलों द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त ये सचल दल उद्यानों में पौध रक्षा कार्य भी करवाते हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिले में इस प्रकार के 15 सचल दल स्थापित किये गये थे जो कि विभिन्न विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थापित हैं । औद्यानिक प्रगति के बढ़ते हुए विकास को देखते हुए अब इन दलों की कमी महसूस की जा रही है । अतः पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 11 अतिरिक्त उद्यान रक्षा सचल दलों की स्थापना का प्रस्ताव है । इनमें से 2 सचल दलों की स्थापना वर्ष 74-75 में की गई है ।

पंचम पंच वर्षीय योजना में इन सचल दल इकाईयों का लक्ष्य 11 है । इसी योजना काल के अतिरिक्त क्षेत्र के लक्ष्य पौध सुरक्षा के अन्तर्गत 13200 हैक्टेयर है ।

पर्वतीय जिलों में दीर्घकालीन उद्यान ऋण :- वित्तीय सहायता के अभाव में औद्यानिक विकास को प्रोत्साहित करना बहुत ही कठिन है क्योंकि उद्यान लगाने के लिये आरम्भिक वर्षों में अत्यधिक व्यय करना पड़ता है । जिले में कृषकों की पर्वतीय आर्थिक दशा उनकी औद्यानिक विकास के लिये व्यय करने के लिये बाधा उत्पन्न करती है । कृषकों को नये उद्यान स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें सुगम शर्तों पर औद्यानिक ऋण वितरण किया जाय । पूर्व में उद्यान विकसित करने तथा उद्यानों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र में लाने में इस योजना के फलस्वरूप काफी प्रगति हुई है । पांचवीं योजना में इस योजना के क्रियान्वयन करने के साथ साथ कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से 950 है० अतिरिक्त क्षेत्र उद्यानों के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव हैं जिनमें से 621 है० वर्ष 74-75 में लाई गई है ।

अतः पांचवीं योजना में दीर्घ कालीन औद्यानिक ऋण के रूप में 1,50,000/- रुपये की धनराशि जरूरतमन्द उत्पादकों ...
150,000/=

वितरण करने की योजना बनाई गई है । वर्ष 1975-76 में इस योजना को आयोजनेत्तर योजना में सम्मिलित किया गया है और 5,00,000/- रु0 व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

औद्योगिक फसलों की विपणन अभिसूचना तथा सर्वेक्षण की योजना :-

वर्तमान में मांग सम्भरण, बिक्री, भण्डारण, मूल्यों का उतार चढ़ाव तथा मण्डियों में फलों और सब्जियों के प्रतिदिन प्रचलित मूल्यों आदि के इकट्ठा करने हेतु कोई भी संस्था नहीं है जिसके फलस्वरूप कोई भी उत्पादक इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं और अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । कतिपय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि उद्यान के अन्तर्गत क्षेत्र, उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन मूल्य तथा उनसे प्राप्त लाभ आदि के आँकड़ों का संकलित किया जाना आवश्यक है । अतः फल उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण वैज्ञानिक आधार पर किये जायें ।

सचल एवं मृदा परीक्षण इकाईयों की स्थापना :-

शीतोष्ण फलों तथा सब्जियों के उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है । अतः उद्यान स्थापित करने से पहिले यह आवश्यक है कि जिस भूमि में उद्यान लगाने का प्रस्ताव है उसका मृदा परीक्षण कर लिया जाय । यह पाया गया है कि मृदा परीक्षण के आधार स्थापित किये गये उद्यान सफल रहे हैं । अतः पंचम पंच वर्षीय योजना काल में इस परियोजना को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है । जिसमें 2500 मृदा परीक्षण किये जायेंगे ।

पर्वतीय क्षेत्रों में खुम्ब को उत्पन्न करने हेतु कृषकों में अधिकाधिक प्रशिक्षण देने की परियोजना :-

पर्वतीय क्षेत्रों में खुम्ब (मशरूम) को उगाने हेतु उपयुक्त साधन मौजूद हैं जिसका बाजार देश तथा विदेश में बहुत ही अच्छा है । अतः कृषकों में खुम्ब की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु पंचम योजना काल में कुल 50 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । यह योजना वर्ष 1975-76 से सम्पन्न की जायेगी ।

फलों के श्रेणीकरण तथा भण्डारण की स्थापना :-

फलों का विपणन उचित श्रेणीकरण पर बहुत निर्भर रहता है। इस जिले में वर्तमान समय में फलों का उत्पादन लगभग 5000 मी0टन है । उचित प्रकार के श्रेणीकरण किये गये फल बाजार में अच्छा मूल्य पाते हैं । इस जिले के उत्पादकों के पास आर्थिक साधन बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा उन्हें समय से फलों के तोड़े जाने, उचित श्रेणीकरण, पैकिंग तथा भण्डारण का

उचित ज्ञान नहीं है । अतः पंचम पंच वर्षीय योजना में कृषकों को उपरोक्त प्रकार से प्रशिक्षित करने के लिये योजना बनाई गई है, जिसमें 950 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । यह योजना पंचम योजना के अन्तिम वर्षों में बनाई गई है ।

चम्पावत तहसील के तीन विकास खण्डों में औद्यानिक प्रसार की योजना :-

चम्पावत तहसील के तीन विकास क्षेत्र लोहाघाट, बाराकोट तथा चम्पावत वर्ष 1972-73 में इस जिले के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिये गये हैं । इन विकास क्षेत्रों के कृषक चम्पावत तहसील के इस जिले में विलय के पूर्व भारत जर्मन कृषि परियोजना के अन्तर्गत कतिपय सुविधायें प्राप्त कर रहे थे । जब से ये विकास क्षेत्र अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़ जिले को स्थानान्तरित हुए हैं तब से यहाँ के कृषक इस सुविधा से वंचित हो गये हैं जिससे उनमें असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गई है । इस लिये यह प्रस्ताव रखा गया है कि इन विकास क्षेत्रों के कृषकों को वे सुविधायें फिर से प्रदान की जाय जिन्हें वे उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पहिले प्राप्त कर रहे थे । इस परियोजना के अन्तर्गत एक [illegible] इकाई तथा एक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है जो कि उत्पादकों को बिना किसी शुल्क के उर्वरकों, कीट नाशक दवाओं, सब्जी उत्पादन, उद्यान व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रदर्शन देंगे तथा कृषकों एवं फल उत्पादकों को फल संरक्षण तकनीक में प्रशिक्षण देंगे ।

आदर्श उद्यानों का स्थापित किया जाना तथा उन्हें भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटित किया जाना :-

शीतोष्ण उद्यानों की स्थापना तथा उनके रख रखाव का कार्य बहुत ही तकनीकी है । उसमें प्रारम्भिक वर्षों में अत्यधिक व्यय होता है । चूँकि पर्वतीय जिला होने के कारण यहाँ के लोगों के आर्थिक साधन बहुत ही सीमित हैं । इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित कर तथा उसमें विभाग द्वारा उद्यान स्थापित कर सुगम शर्तों पर आवंटित कर दिये जाय ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास खण्डों में औद्यानिक कार्यक्रम का विस्तार :-

इस परियोजना के अन्तर्गत यह प्राविधान रखा गया है कि प्रत्येक विकास क्षेत्र में औद्यानिक कार्यक्रम के विस्तार एवं समन्वय के लिये एक एक औद्यानिक विशेषज्ञ 200/-रु० प्रति मास छात्रवृत्ति के आधार पर उपलब्ध कराया जाय । ये औद्यानिक विशेषज्ञ ब्लॉक एजेन्सी को औद्यानिक विकास के कार्यान्वयन में समन्वय तथा सहायता

देगी । यह योजना भविष्य के वर्षों में कार्यान्वित की जावेगी ।

7- सघन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन की योजना :-

पिथौरागढ जनपद में सब्जी का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है । जिसके फलस्वरूप सब्जी बाहर से मगानी पडती है। तथा उपभोक्ताओं को सब्जी की अधिक कीमत चुकानी पडती है। अतः यह आवश्यक है कि सब्जी उत्पादन में काश्तकारों की ओर अधिक प्रोत्साहन दिया जाय जिसमें सब्जी बीज वितरण के अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी सरकारी तौर पर दी जानी आवश्यक हैं ।

सब्जी उत्पादन योजना के सफल कार्यान्वियन के लिये उत्पादकों को ऋण देने का भी प्राविधान रक्खा जाना है । यह ऋण कोआपरेटिव विभाग द्वारा दिया जावेगा । पाँचवीं योजना में इस योजना के अन्तर्गत 2-10 लाख रूपये का प्राविधान रक्खा गया है । यह योजना अन्तिम वर्षों में पाँचवीं योजना काल में कार्यान्वित की जावेगी जिसमें विभागीय कर्मचारियों की नियुक्तियाँ कर स्थानीय क्षेत्र में कृषकों द्वारा अधिक सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित किया जावेगा जिससे स्थानीय माँग की पूर्ति के साथ ही काश्तकारों को आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा । इसके अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रस्तावना निम्न प्रकार से की गई है :-

	1976-77	77-78	1978-79	योग (लाख रूपये)
वित्तीय लक्ष्य	0:45	0:80	0:85	2:10
भौतिक लक्ष्य सब्जी उत्पादन (क्वींटल)	500	1500	1500	3500

5:2:7 संसाधनों का जुटाना:- इस जिले में औद्यानिक विकास के लिये प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जलवायु आदि उपलब्ध है परन्तु सीमान्त तथा पिछडा जिला होने के कारण वित्तीय संसाधन शासन द्वारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । ताकि प्रगति में गतिरोध के अवसर उत्पन्न न होने पावें ।

5:2:8 विकास कार्यक्रम के वास्ते शारिरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- पंचम पंच वर्षीय योना के कार्यान्वयन के फल स्वरूप जिले में लगभग 400 कुशल तथा 500 अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त औद्यानिक विकास से स्वयं अपने उद्यान स्थापित कर 2500 परिवारों को स्थायित्व प्राप्त होगा ।

5:2:9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्नः-

(क) भू स्वामित्व का एक स्थान पर संकलन (कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग)जिससे सघन रूप में उद्यान लगाये जा सकें ।

(ख) वन विभाग द्वारा फल पट्टी एवं औद्यानिक उपनिवेशों हेतु भूमि का शीघ्र हस्तान्तरण ।

(ग) औद्यानिक विकास की दृष्टि से उपयोगी मोटर मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता देना ।

(घ) कृषि उद्योग निगम अथवा पर्वतीय विकास निगम द्वारा जिले में पैकिंग यूनिट तथा फलों के लिये बक्सों का प्रबन्ध किया जाना ।

(ङ) फलों के समुचित विपणन की व्यवस्था किया जाना ।

National Institute of Educational Planning

5:2:2 आलू विकास

5:2:2 (1) भूमिका :- आलू पर्वतीय क्षेत्र की एक मुख्य व्यवसायिक फसल है। खाद्यान्नों की बढ़ती हुई माँग तथा इनकी कमी को पूरा करने हेतु आलू के अधिक उत्पादन पर विशेष बल दिया जारहा है क्यों कि पर्वतीय क्षेत्रों में अन्न का उत्पादन मैदानी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम होता है। अतः इस जनपद में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने हेतु आलू की खेती का विकास आवश्यक है। पौष्टिकता के आधार से भी आलू एक उपयोगी आधार है। क्यों कि इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाईड्रेड के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन आदि भी पाये जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के कृषकों को आलू की खेती को एक योजना बद्ध के रूप में अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। कृषकों की उन्नतिशील जातियों के रोग मुक्त आलू बीज और खाद उपलब्ध करा कर आलू के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल में बृद्धि तथा प्रति हैक्टर पैदावार भी बढ़ाई जाय। इसी उद्देश्य से वर्ष 1964-65 से इस जनपद में आलू विकास कार्यक्रम योजना बद्ध के रूप में अपनाये गये।

5:2(2)एवं 5:2(2) वर्तमान स्थिति तथा चालू पंच वर्षिय योजना का मूल्यांकन

आलू की उपयोगिता को जनपद के कृषक जैसे जैसे समझते गये, यहाँ इसके क्षेत्रफल एवं उत्पादन में निरन्तर बृद्धि होती गई। तृतीय पंच वर्षिय योजना के अन्त में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस जनपद में आलू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल 2145 हैक्टर था जिससे (औसतन पैदावार 75 क्वि0 प्रति हैक्टर की दर से) लगभग [illegible] टन 16085 (अनुमानित) उत्पादन हुआ।

चतुर्थ पंच व[illegible] में आलू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल में 731 हैक्टर की बृद्धि हु[illegible] लगभग 6200 टन अधिक हुआ जिसके कारण इस जनपद में [illegible] तथा उत्पा[illegible] 74 तक कुल क्षेत्रफल 2145 + 731 = 2876 हैक्टर तथा उत्पादन 18085 + 6200 = 22295 टन हुआ। वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक वर्षवार जनपद में आलू के क्षेत्रफल व उत्पादन की प्रगति का ब्यौरा निम्न लिखित तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	क्षेत्रफल हैक्टर में		उत्पादन टनों में (अनुमानित)	
	अतिरिक्त	कुल	अतिरिक्त	कुल
1968-69 तक का	-	2145	-	18085
1969-70	180	2305	1300	17385
1970-71	109	2414	1000	18385
1971-72	133	2547	1100	19485
1972-73	164	2711	1400	20885
1973-74	165	2876	1400	22285
योगः -	731	2876	6200	22285

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इस जनपद में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल के अन्तिम वर्ष 1973-74 तक आलू के क्षेत्र फल व उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही है जिससे कि यहाँ के कृषकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

वर्ष 1970-71 से इस जनपद में आलू विकास का सघनीकरण योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित विभिन्न उन्नतशील जातियों के रोग मुक्त आलू बीज तथा खाद वितरण के साथ साथ आलू की खेती को सही ढंग से करने हेतु तकनीकी जानकारी व सलाह आदि भी विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त आलू की अच्छी खेती के विभिन्न प्रदर्शन भी कृषकों के खेतों पर दिये जाते हैं । राजकीय आलू बीज संवर्धन प्रक्षेत्र, बलौरी (फुलवारी) पर रोगमुक्त आलू का बीज उत्पन्न कर कृषकों को बाँटा जाता है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल (वर्ष 1969-70 से वर्ष 1973-74 तक) के लिये विभिन्न आलू विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति का वर्षवार प्रगति विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक वर्ष	रोग रहित आलू बीज का वितरण (कु0 में) लक्ष्य	पूर्ति	आलू की खेती के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र में विस्तार (है0) लक्ष्य	पूर्ति
1- 1969-70	1000	1200	80	160
2- 1970-71	1500	1500	80	109
3- 1971-72	1500	1870	80	133
4- 1972-73	1500	1910	80	164
5- 1973-74	1500	2654	80	165
योग :-	7000	9134	400	731

5-2(2)4 भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित :- पंचम पंच वर्षीय योजना अवधि में जनपद फर्रुखाबाद में आलू की खेती के अन्तर्गत 1250 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल में विस्तार करके कुल क्षेत्रफल 4126 हैक्टेयर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे यह आशा की जाती है कि आलू के उत्पादन में चालू योजना काल में लगभग (100 कु0 प्रति हैक्टेयर की दर से) 12500 टन अधिक उत्पादन हो सकेगा ।

चालू योजना अवधि के वर्षवार विवरण संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं ।

5-2(2)5 व 5-2(2) 6 विकास के लिये प्रमुख कार्यक्रम नीति एवं प्राथमिकता के आधार पर सूचित पूर्ण कार्यक्रम ।

कुछ नहीं ।

5-2(2)7 संसाधन का जुटाया जाना :- विभाग से जो राज्य बजट प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से धन नहीं जुटाया जाता । यह सभी बजट आयोजनेत्तर योजना का है ।

5-2(2)8 विकास कार्यों हेतु प्राविधिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- कुछ नहीं ।

5-2(2)9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :-

1- पर्वतीय क्षेत्र में आलू की खुदाई प्रायः जुलाई से सितम्बर तक होती है । आलू भण्डारण योग्य नहीं होता । इसको तुरन्त खाने के प्रयोग में लाना पड़ता है । इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में आलू के भाव ऊंचे होते हैं । अतः पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों द्वारा अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि इस आलू के यातायात एवं विपणन का समुचित प्रबन्ध किया जाय । यह कार्य पर्वतीय विकास विभाग अपने स्तर पर करे ।

2- कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य शीघ्र प्राप्त करने के लिये उनके द्वारा अपने खाते में भण्डारण किये गये हुए आलू के मूल्यांकन पर कम ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा होना आवश्यक है । यह सुविधा वेयर हाउसिंग ऐक्ट के नियमों के अनुसार बैंकों द्वारा प्रदान की जा सकती है ।

3- जनपद की तहसीलों मुनस्यारी, धारचूला व चम्पावत तहसील में आलू उत्पादन अधिक होता है परन्तु यातायात के उचित साधन उपलब्ध न होने के कारण इन क्षेत्रों का आलू खपत वाले क्षेत्रों में बहुत कम पहुँच पाता है तथा उपज के स्थानीय क्षेत्रों में ही प्रयोग में लाना पड़ता है जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में मूल्य अधिक तथा कुछ में कम रहता है ।

आलू विकास- पाँचवीं योजना परियोजनावार भौतिक लक्ष / पूर्ति

क्रमांक परियोजना	इकाई	1969-73 तक की पूर्ति	1973-74 तक की पूर्ति	पाँचवीं योजना का लक्ष
1 2	3	4	5	6
1- रोगमुक्त आलू बीज वितरण	(मि०)	4570	9134	2250
2- आलू की कृषि के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल का विस्तार	(हैक्टेयर)	2425	2545	1250
3- सघन कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल ।	(हैक्टेयर)	--	--	240

1974-75 लक्ष / पूर्ति		1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
7	8	9	10	11	12
400	460	425			
250	285	270			
46	56	48			

5-3-1 सिंचाई

5: 3: 1 भूमिका :- पिथौरागढ़ जनपद उत्तर प्रदेश का पर्वतीय जिला है । पर्वतीय जिला होते हुए भी लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है । जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 9, 06, 681 हैक्टर है, जिसके अर्न्तगत कृषि योग्य क्षेत्रफल 103767 हैक्टर है जिसमें शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल 65176 हैक्टर है तथा 7759 हैक्टर सिंचन क्षमता उपलब्ध है । जिले में सिंचाई सुविधा बहुत ही कम है । केवल स्रोतों तथा नदियों में गूल तथा हौजों का निर्माण ही सिंचाई व्यवस्था के साधन हैं ।

5: 3: 1(2) वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- वर्ष 73-74 के अन्त तक जनपद में निर्मित गूलों तथा हौजों की वास्तविक स्थिति जो विकास खण्डों से उपलब्ध हो पाई दी गई है । यह सूचना अस्थाई है । पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

5: 3: 1(3) चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन:- जनपद में केवल गूल तथा हौजों का निर्माण ही सिंचन क्षमता का मुख्य साधन है । घाटियों तथा छोटे छोटे स्रोतों पर निर्मित कार्यों का उपभोग सन्तोषजनक रूप से किया जाता है । पंपिंग सेट की योजनायें सफल नहीं हो पाई हैं । फिर भी जल के समुचित उपयोग हेतु पंपिंग सेट लगाने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । वर्ष 1975-76 के वास्ते 2 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

5: 3: 1(4) दीर्घकालीन परिपेक्ष:- जिले के कृषि योग्य क्षेत्रफल को पूर्ण रूप से अल्प सिंचाई कार्यों द्वारा आच्छादित करने के प्रयास जारी हैं । पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 1100 हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचन उपलब्ध करने का लक्ष्य है । वर्ष 75-76 का सिंचन क्षमता का लक्ष्य 220 हैक्टेयर है ।

5: 3: 1(5) विकास के लिये मुख्य मुद्दे/नीति:- पंचम पंच वर्षीय योजना में उपलब्ध सम्पूर्ण धरातलीय जल के उपयोग हेतु प्रयास जारी है । स्रोतों का सर्वेक्षण कराकर उनपर छोटी योजनायें बनाई जा रही हैं ।

5: 3: 1(6) विकास के वास्ते प्राथमिकता के आधार पर युक्त पूर्ण कार्यक्रमः-

सिंचन क्षमता में वृद्धि लाने तथा असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्रों में बदलने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना में 380 कि0मी0 लम्बी गूलें तथा 615 हौजों के निर्माण की योजना है । इन कार्यों के फलस्वरूप 1100 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी ।

5: 3: 1(7) संसाधनों का जुटाया जाना :- पाँचवीं योजना में उक्त कार्यों के निर्माण हेतु सम्पूर्ण धनराशि राज्य आयोजनागत मद के अन्तर्गत प्राप्त हो रही है ।

5: 3: 1(8) प्रस्तावित योजनाओं के लिये भौतिक व प्राविधिक श्रमिकों की आवश्यकता :-

अल्प सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का निर्माण स्वयं कृषकों द्वारा किया जाता है । श्रमिकों की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जाती है एवं प्राविधिक सहायता विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा की जाती है ।

5: 3: 1(9) राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्नः- मुख्य समस्या पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों को सिंचाई कार्यों की लागत के अनुसार ऋण देने की है । अतः पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों की हैसियत निकालने के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है । ऋण की सीमा कृषकों की भूमि के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त [illegible] में सीमित ऋण ही बाँटा जाय या जो0एल0डी0एफ0 की, ताकि एक एजेन्सी द्वारा ऋण वितरण में कृषकों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी ।

5: 3: 2 राजकीय लघु सिंचाई

5: 3: 2: 1 भूमिका:- जिला पिथौरागढ़ में वर्तमान सिंचाई योजनाओं को देख रेख एवं पंचम पंचवर्षीय में नवीन प्रस्तावित योजनाओं को कार्यान्वित रूप दिये जाने हेतु अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड प्रथम, सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़ कार्यरत है । इस खण्ड की स्थापना वर्ष 1973-74 में हुई थी । सिंचाई कार्यों की देखरेख एवं निर्माण कार्यों के अतिरिक्त यह खण्ड जनपद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवीन योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य भी कर रहा है ।

इस खण्ड के अन्तर्गत इस समय कुल 47 नहरें हैं जिनकी कुल लम्बाई 141: 50 कि0मी0 है । इन नहरों के अन्तर्गत 3421 एकड़ का क्षेत्र कृषि योग्य है एवं कुल प्रस्तावित क्षेत्र कृषि योग्य है । कुल प्रस्तावित क्षेत्र 1765 एकड़ अर्थात् 1139 एकड़ खरीफ एवं 625 एकड़ रबी की फसलों के लिये है । इन समस्त 47 नहरों में से दो नहरें अर्थात् बाहितया नहर एवं रेठा खालो नहर जिनकी कुल लम्बाई 3 मील 3 फर्लांग 330 फीट है एवं कुल प्रस्तावित क्षेत्र 224 एकड़ है, नैनीताल जिले के अन्तर्गत स्थित है । अल्मोड़ा एवं ब्रिटिश तथा दोनों जिनकी कुल लम्बाई 4 मील 2 फर्लांग एवं प्रस्तावित क्षेत्र 45 एकड़ है पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत स्थित है ।

5: 3: 2: 2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- स्वतन्त्रता के पूर्व इस जिले में राजकीय सिंचाई के साधन नहीं थे । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के पूर्ण होने पर योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0 परियोजना	संख्या (नहरों की)	लम्बाई (कि0मी0)	प्रस्तावित सींच हैक्टेयर	विवरण
1- प्रथम पंच वर्षीय योजना ।	8: 86	9: 76	34: 00	
2- द्वितीय पंच वर्षीय योजना ।	4: 34	32: 82	157: 00	
3- तृतीय पंचवर्षीय योजना	7: 13	36: 80	318: 00	
4- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	2: 56	5: 80	74: 00	
5- पंचम पंचवर्षीय योजना	13: 40	15[illegible]: 80	1359: 00	

5: 3: 2: 3 धारचूला बाढ़ सुरक्षा योजना :- इस योजना की कुल अनुमानित लागत 14: 46 लाख रूपये है जिसमें 1025 फुट लम्बी रिटेनिंग वाल तथा 540 फुट लम्बाई का इम्बैंकमेन्ट प्रस्तावित है । इस योजना पर कार्य वर्ष 1972-73 से किया गया था । वर्ष 74-75 के अन्त तक 460 फुट लम्बाई में रिटेनिंग वाल का निर्माण तथा 540 फीट लम्बे इम्बैंकमेन्ट का निर्माण रू0766002

को लागत से पूर्ण किया गया । इस योजना में वर्ष 75-76 में शासन द्वारा 393600 रू० की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है । इस वित्तीय वर्ष में लगभग 450 फीट और लम्बाई में रिवेटमैंट दीवार का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है । प्रारम्भ से अब तक योजनाओं पर 119764 रू० का व्यय किया गया है ।

5:3:2:4 विकास खण्ड में चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन:- प्रथम पंचवर्षीय योजना से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल तक की सभी योजनाओं का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी वृहत सिंचाई योजनायें नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिये छोटी छोटी योजनायें प्रस्तावित की जाती हैं । जिसके लिये पंचम पंचवर्षीय प्लान तैयार किया गया है । शासन से उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ होने पर और योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । जनपद की पुरानी नहरों पर पुनरोद्धार का कार्य चल रहा है जो कि प्रगति पर है ।

5:3:2:5 बाँस नगर बाढ़ नियंत्रण योजना :-

इस योजना की कुल लागत (अनुमानित) 2.08 लाख रूपया है । तथा इसमें 4 रिवेटमैन्ट दीवार और चार स्पर निर्मित किये जाने है । इस योजना पर निर्माण कार्य 73-74 से प्रारम्भ किया गया था तथा मार्च 75 के अन्त तक 57147 रूपये की लागत से तीन रिवेटमैन्ट दीवार तथा एक स्पर जिसकी लम्बाई 21 मीटर है निर्माण किया गया है। वर्तमान वर्ष 75-76 में योजना पर कार्य प्रगति पर है । शासन द्वारा वर्ष 75-76 के लिये योजना पर व्यय हेतु 150000 रू० की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है । जो वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण रूप से व्यय कर दी जायेगी । तथा यह योजना इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगी ।

5:3:2:6 दीर्घकालीन परिप्रेक्षा :- योजनाकाल में 71 विभिन्न सिंचाई योजनायें बनाने का प्रस्ताव है जिसमें 1968 हैक्टेयर भूमि में सिंचन सुविधा उपलब्ध की जायेगी । इस जनपद में अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड की स्थापना वर्ष 1973 में हुई है । इसलिये दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य हेतु पूर्ण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है । सुझावों के सम्मिलित करने के पश्चात ही दीर्घ कालीन परियोजनाओं को अन्तिम रूप देना सम्भव हो सकेगा ।

5:3:2:7 विकास के लिये प्रमुख रणनीति नीति :- इन योजनाओं के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण उत्साह पूर्वक किया जायेगा ।

5: 3: 2: 8 विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर युक्तिपूर्ण कार्यक्रम :-

पंचम पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उन सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये 13: 19 कि0मी0 तथा 17: 40 कि0मी0 की प्रायोजनायें बनाई गई है जिनकी लागत 20 लाख रुपये है, जिन पर कार्य प्रगति पर हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है।

क्र0सं0 नाम नहर	लम्बाई कि0मी0 में	सिंचित क्षेत्र हैक्टेयरों में अन्य
1- चौड़ पुर नहर	2: 60	30
2- [illegible] नहर	2: 20	25
3- [illegible] नहर	1: 75	20
4- [illegible] नहर	1: 30	15
5- [illegible] नहर	2: .0	20
6- [illegible] नहर	1: 50	25
7- [illegible] नहर	1: 20	12
8- [illegible] नहर	2: 00	50
9- [illegible] नहर	2: 10	40

इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, धारचूला, चम्पावत में निम्न प्रायोजना पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए है जो निम्न हैं :-

क्र0सं0 परियोजना का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	लागत लाख रुपये में
1- [illegible]	16: 53	18: 88
2- धारचूला	14: 70	10: 21
3- [illegible]	19: 00	18: 07

इन नहरों पर अभी कार्य नहीं हुआ है। शासन से आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त कार्य शुरू किया जायेगा।

5: 3: 2: 9 संसाधनों का जुटाया जाना :- विभागीय - सम्पूर्ण परिव्यय आयोजनागत मद के अन्तर्गत है। संस्थागत वित्त से कोई भी धन प्रत्याशित होने की सम्भावना नहीं है।

5: 3: 2: 10 विकास कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त एवं कुशल कर्मियों की आवश्यकता :- योजना अवधि में प्रस्तावित योजनानुसार निम्न अतिरिक्त कुशल कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी।

क) सहायक अभियन्ता - 1
ख) अवर अभियन्ता - 25
ग) श्रमिक - 2000
घ) मेट - 25
ड़) ड्राइवर - 3

5: 3: 2: 11 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :- 1- किसी भी जगह से उपलब्ध जल [illegible] अधिकार वन अथवा राजस्व विभाग या अन्य सम्बन्धों के अधिकार क्षेत्र में आते है उनसे जल को प्राप्त करने के लिये विभाग के अधिकार [illegible] करने के लिये नीति का निर्धारण [illegible]।
2- कृषि [illegible] करने हेतु [illegible] नीति का निर्धारण।
3- इस क्षेत्र के [illegible] को देखते हुए [illegible] की आवश्यकतानुसार [illegible] पर [illegible] की व्यवस्था की जाय।

5-4 भूमि संरक्षण

5-4-1 भूमिक्षरण :- पर्वतीय भाग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा कृषि के विकास में भूमि संरक्षण का स्थान महत्वपूर्ण है । इसी आवश्यकता को ध्यान में रख कर वर्ष 1969-70 में इस जनपद में भूमि संरक्षण योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा 1970-71 से भूमि संरक्षण कार्य बराबर प्रारम्भ हुआ । जनपद की भूमि ढालू होने के कारण तथा वर्षा के आधिक्य के कारण जनपद की कृषि योग्य भूमि कटाव समस्या से ग्रस्त है । यह कटाव एक सूक्ष्म चादरीय रूप से बढते बढते एक बड़े नाले या खड्ड का रूप धारण कर लेता है । इसके अतिरिक्त खेतों के ढालदार होने के कारण वर्षा के पानी के साथ साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी तथा उसमें डाली गई खाद भी बह कर नदी या नालों में चली जाती है । इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि तथा फलोद्यान की पैदावार को बढ़ाने के लिये विभिन्न भूमि रक्षण प्रणालियाँ अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

5-4-2 पैदावार की वर्तमान स्थिति :- वर्तमान समय में इस पर्वतीय जनपद में तीन भूमि संरक्षण इकाईयाँ पिथौरागढ़, चम्पावत एवं लोहाघाट में कार्यरत हैं । वर्ष 1975-76 में जनवरी 76 से लोहाघाट एवं चम्पावत की इकाईयाँ स्थापित करदी गई हैं । इन इकाईयों का कार्य 9 विकास खण्डों में चलाया जा रहा है । विकास खण्ड मुनस्यारी एवं धारचूला के लिये अतिरिक्त इकाईयों की मांग की गई है । इस प्रकार जनपद में अतिरिक्त इकाईयों की स्थापना होने पर सभी विकास खण्डों में कार्य चलाया जायेगा । वर्ष 1973-74 तक तीनों इकाईयों के द्वारा 1656.32 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र भूमि संरक्षण विधियों द्वारा कृषि एवं बागवानी के उपयुक्त बनाया जा चुका है । यह कार्य लगभग 300 गांवों में पूर्ण कराया गया है । जिससे लगभग 2500 कृषक लाभान्वित हुए हैं । भूमि-संरक्षण के कार्यों में वर्तमान ढालदार खेतों को समतल करना, नाप बंजर भूमि पर नये समतल खेतों का निर्माण करना एवं 40 प्रतिशत से अधिक ढालू खेतों पर वानस्पतिक रेखीय पद्धतियों से उपचार करना तथा भूमि को उसकी क्षमता के अनुसार चरागाह तथा वनीकरण करना सम्मिलित है । इन समस्त कार्यों पर कुल लागत का आधा कृषकों को अनुदान के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा वर्ष 1972-73 तक 375/- रु० प्रति एकड़ थी और वर्ष 1973-74 में बढ़कर यह सीमा 1000/-रु० प्रति एकड़ निर्धारित करदी गई है ।

5-4-3 चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन:-

(1) [illegible] जनपद में 54909 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि में भूमि संरक्षण कार्य सम्पादन किया जाना है । क्षेत्र की अधिकता के कारण इस जनपद को इकाईयाँ कम हैं ।

(2) विभाग द्वारा भूमि संरक्षण के कार्य केवल नाप भूमि पर ही सम्पन्न कराये जाते हैं जबकि जनपद में कहीं कहीं नदी या नालों के प्रभाव से आसपास की काफी कृषि योग्य भूमि जो कि बेनाप भूमि में पड़ती है कट जाती है । विभाग द्वारा अभी तक इस प्रकार की बेनाप भूमि पर कार्य कराने के लिये कोई प्राविधान नहीं है ।

सुझाव:-(1) कटाव ग्रस्त क्षेत्र की अधिकता को देखते हुए [illegible] अन्य भूमि संरक्षण इकाईयाँ और स्थापित की जाँय ।

(2) भूमि संरक्षण योजना में नाप भूमि के अतिरिक्त बेनाप भूमि पर भी राजकीय माध्यम से कार्य कराने के लिये प्राविधान किया जाय । जिससे कि नदी या नालों के द्वारा कटाव की समस्या को रोक कर अन्य भूमि को कटाव की समस्या से रोका जा सकता है ।

5-4-4 योजना .... :- पंचम पंच वर्षीय योजना काल में लगभग 4350 हैक्टेयर भूमि को विभिन्न भूमि संरक्षण प्रविधियों द्वारा कटाव की समस्या से बचा कर कृषि एवं बागवानी के उपयुक्त बनाया जा सकेगा । इससे योजना के अन्त तक इस जनपद में लगभग 600 ग्रामों के 4000 कृषक इस योजना से लाभान्वित होंगे तथा 30 प्रतिशत जन-जातीय और अनुसूचित जाति के काश्तकार भी लाभान्वित होंगे । इस प्रकार 2175 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि समतल कराकर उन्नतिशील कृषि योग्य एवं 2175 हैक्टेयर भूमि उद्यानीकरण एवं वनीकरण पूर्ण कराकर कुल 4350 हैक्टेयर भूमि को उक्त समस्याओं से बचाया जा सकेगा । पंचम पंच वर्षीय योजना का कुल परिव्यय 36-749 लाख रुपया है । वर्ष 1974-75 का परिव्यय 10-67 लाख रुपया था जबकि व्यय 12-73 लाख रुपया हुआ । 75-76 का परिव्यय 7-25 लाख रुपया रखा गया है । 1974-75 में 758 हैक्टेयर में भूमि संरक्षण कार्य का सम्पादन हुआ । 1975-76 में 300 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है । भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि की सूचना निम्न है :-

क्रमांक और योजना	इकाई	31-3-69 चतुर्थ योजनाकाल तक की प्रगति	लक्ष्य की उपलब्धि
1- पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना	हैक्टेयर	—	1636

पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	1974-75		1975-76	1978-79
	लक्ष्य	पूर्ति		
4350	750	758	300	—

5-4-5 , 5-4-6 विकास के लिये मुख्य राष्ट्रीय नीति एवं विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर गतिपूर्ण कार्यक्रम:-

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी के अन्तर्गत समस्त भूमि को भूमि संरक्षण प्रक्रियाओं द्वारा उपचारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि भूमि के ढलानदार होने के कारण प्रति वर्ष खेत के ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी एवं खाद वर्षा के पानी के बहाव के साथ बहकर नदी नालों में चली जाती है । साथ ही खेतों में छोटी छोटी नालियों से शुरू होकर बड़े बड़े नाले एवं गदेरों का रूप धारण कर लेता है जो कि भविष्य में कृषकों के लिये एक गम्भीर समस्या बन जाती है । इसी भूमि में भूमि संरक्षण क्रियाओं के अपनाने से खेत से मिट्टी एवं खाद का बहना तो रुक हो जाता है साथ ही बरसात के पानी के खेत में नमी भी संचित रहती है जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पैदावार में भी वृद्धि होती है ।

5-4-7 योजना के लिये औचित्य:- विभागीय कर्मचारी ग्राम स्तर तक नियुक्त किये जाते हैं जो लाभान्वित [illegible] क्षेत्रों का सर्वे करके एवं नियोजन करके क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार लाभार्थियों एवं परियोजना मानचित्र तैयार करते हैं तथा अपने प्राविधिक देख रेख में कृषकों से उनकी नाप भूमि में प्रस्तावित कार्यक्रम के आधार पर निर्माण कार्य सम्पन्न कराते हैं । इन कार्यों के सम्पन्न किये जाने पर कृषकों को कार्यों की कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाता है ।

सहयोग:- योजना के सफलता पूर्वक चलाये जाने के लिये क्षेत्रीय कृषकों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है । ग्राम स्तर पर कृषकों की बैठक का आयोजन कर उनकी पूर्ण सहमति के पश्चात् परियोजनायें चयन की जाती है और इन परियोजनाओं में कृषक स्वयं विभागीय निर्देशन में कार्य करके पूर्ण लागत का आधा स्वयं वहन करता है । भूमि संरक्षण योजना में सभी आयोजनागत परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

5-4-3 विकास कार्यक्रमों के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता है ।

5-4-9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :- नाप भूमि के अतिरिक्त बेनाप भूमि पर पड़ने वाले भूमि खिसलाव व नदी की योजनाओं के राज्य स्तर से कार्यान्वित करने का प्राविधान आवश्यक है। क्योंकि जनपद का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इन समस्याओं से ग्रस्त है । और अभी तक किसी भी विभाग द्वारा इन समस्याओं की रोकथाम नहीं की जा रही है । इसके साथ ही साथ बड़े बड़े नालों के कटान के कारण जो कि बेनाप भूमि पर पड़ते हैं कृषकों की नाप भूमि का एक बड़ा भाग उसके प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो जाता है । इन नालों के कटान की समस्या की रोक थाम हेतु सरकार द्वारा किसी भी विभाग को स्पष्ट रूप से कार्य करने के लिये अधिकार नहीं दिये गये हैं । इस अनुभाग द्वारा केवल कृषि योग्य भूमि जो कि नाप जमीन पर स्थित है कार्य कराने के लिये अधिकार प्राप्त हैं । इस प्रकार के बड़े नालों के भूमि कटाव की समस्या न तो सिंचाई विभाग पूर्ण करता है और न भूमि संरक्षण । इस विषय में शासन द्वारा स्पष्ट आदेश होने चाहिये जिससे नालों द्वारा कटाव की समस्या की रोकथाम की जा सके ।

5-5- पशुपालन

5-5-1 भूमिका :- जनपद की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप पशुपालन का इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है । पशुओं के दूध, मांस, ऊन एवं अन्डों के अतिरिक्त दुर्गम पहाडो मार्गों पर भेडो में सामान ढोने का कार्य लिया जाता है । पर्वतीय क्षेत्रों में कम्पोस्ट खाद रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में पशुओं से प्राप्त कर प्रयोग में लाई जाती है । निचली घाटियों में गाय, भैंस तथा कुक्कुट पाले जाते है । ऊँचाई वाले क्षेत्रों में तथा मुनस्यारो, धारचूला एवं डोडीहाट में भेड पालन उन्न उद्योग के रूप में किया जाता है । वर्ष 1972 को पशु गणना के अनुसार जनपद की पशु संख्या 536169 थी जिसमें 169645 प्रजनन के योग्य है । कुक्कुटो के संख्या 13196 थी । पशुओं का किसवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

क्र0सं0	विवरण	कुल पशु	प्रजनन योग्य
1-	गोवंशीय	304932	104762
2-	महिष वंशीय	92750	64883
3-	भेड	44450	-
4-	बकरी	92042	-
5-	अश्व वंशीय	1159	-
6-	शूकर	67	-
7-	अन्य पशु	769	-
8-	कुक्कुट	13196	-

5-5-2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

चतुर्थ योजना के अन्त तक जनपद में पशुओं की नस्ल सुधार चिकित्सा एवं प्रसार के लिये निम्न विभिन्न इकाईयाँ खोली जा चुकी है।

1-	पशु चिकित्सालय	12
2-	पशु सेवा केन्द्र	52
3-	कृत्रिम गर्भादान केन्द्र	2
4-	साँड प्रसार केन्द्र	39
5-	भेडा केन्द्र	7
6-	भेड प्रजनन फार्म	2
7-	पशु प्रगाढ विकास केन्द्र	3

8- कुक्कुट फार्म 1
9- कुक्कुट प्रसार केन्द्र 2
10- कुक्कुट प्रदर्शन इकाई 1
11- सूकर प्रदर्शन इकाई 1
12- बकरी प्रजनन केन्द्र 1
13- चारा नर्सरी 8
14- भेड़ पर्यवेक्षक इकाई 1
15- कुक्कुट आहार इकाई 1

पशु जन्य खाद्य पदार्थों तथा अन्य उत्पादनों का कोई निश्चित सर्वेक्षण अब तक इस जनपद में पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी उपलब्धि के सही आँकड़े प्राप्त नहीं है। अनुमानतः जनपद में वर्ष 73-74 में निम्न मात्रा में पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन हुआ :-

1- दूध 30882000 लीटर
2- माँस 469040 किलो ग्राम
3- अंडे 1150938
4- ऊन 14413 क्विंटल

5-5-3 विकास सम्बन्धी चालू योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकनः-

पशु विकास के लिये नस्ल सुधार, चारा विकास, पशु चिकित्सा तथा रोग नियंत्रण और उन्नत नस्ल के कुक्कुट पक्षियों का वितरण कार्यक्रम विगत योजनाओं में चलाये गये हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चतुर्थ योजना में स्थापित किये गये थे जिनमें उन्नत विदेशी नस्ल के गाय और भैंसों को कृत्रिम विधि से गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 74-75 के अन्त तक 1577 गायों को गर्भित किया जा चुका है तथा 494 वर्ण शंकर बच्चे उत्पन्न हुए हैं। आवागमन की विभिन्न कठिनाइयों के कारण यह कार्यक्रम विस्तृत क्षेत्र में नहीं चलाया जा सकता। विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल कार्यक्रम प्रगति कर रहा है तथा क्रमशः अधिक लोकप्रिय होने की सम्भावना है।

जिन स्थानों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता वहाँ नैसर्गिक गर्भाधान हेतु साँड प्रसार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जनपद में ऐसे 39 साँड प्रसार केन्द्र कार्यरत हैं जिनमें एक उन्नत नस्ल का गाय साँड तथा एक मुर्रा साँड प्रत्येक नैसर्गिक केन्द्र में प्रजनन की सुविधा हेतु रखे गये हैं। चतुर्थ योजना काल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6012 गायों तथा 8729 भैंसों को गर्भित किया गया तथा 4547 गायों और 5333 भैंसों से उन्नत बच्चे उत्पन्न हुए। कृत्रिम गर्भाधान का विस्तृत स्तर पर प्रसार में ऊपर बताई गई कठिनाइयों

के कारण नैसर्गिक प्रजनन क्रिया का [illegible] [illegible] [illegible] है, तथा नये किस्मों से [illegible] की [illegible] [illegible] की [illegible] है ।

भारत विशाल पशु सुधार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण आमतौर पर कृषक चारा फसलें बो नहीं पाते हैं । पशुओं को मुख्यतः असंगठित चरागाहों तथा वनों [illegible] की उगाई गई घासों के [illegible] [illegible] पर निर्भर करना पड़ता है और पर्याप्त पौष्टिक न होने से पशुओं की सम्पूर्ण खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है । इस स्थिति को सुधारने के लिये चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत चारा बीजों जैसे [illegible], बरसीम, [illegible] आदि का बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण करने का कार्यक्रम चतुर्थ योजना में प्रारम्भ किया गया । इस काल में 1984-85 क्विंटल [illegible] द्वारा बीज वितरित किये गये । इसके अतिरिक्त उन्नत बीज उत्पादन फार्मों तथा [illegible] के प्रसार के लिये 8 [illegible] [illegible] की स्थापना की गई है जिसके [illegible] [illegible] नहीं निर्धारित किये गये हैं । [illegible] में [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] पर [illegible] जाने की आवश्यकता है ।

भेड़ एवं बकरी विकास

भेड़ विकास :- भेड़ों की ऊन उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा ऊन की किस्म में [illegible] सुधार लाने के उद्देश्य से [illegible] [illegible] की उन्नत [illegible] [illegible] मेढ़ों से प्रजनन सुविधा [illegible] [illegible] के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है । जनपद में 7 भेड़ विकास केन्द्र और 3 पशु चिकित्सा केन्द्रों द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया जाता है । चतुर्थ योजना काल में कुल [illegible] के अनुसार 33745 भेड़ों का [illegible] किया गया तथा 23073 उन्नत बच्चे पैदा हुए । [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] में प्रजनन की सुविधा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] लक्ष्य निर्धारित नहीं है और चतुर्थ योजना के अन्त में 159 [illegible] [illegible] में कार्यरत हैं ।

[illegible] [illegible] तथा [illegible] पर [illegible] उन्नत नस्ल के मेढ़ों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 2 [illegible] [illegible] फार्म भी कार्यरत रहे हैं । चतुर्थ योजना काल में इन फार्मों से 91 [illegible] तथा 156 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] भेड़ पालकों में वितरित किये गये । [illegible] भेड़ों को सामूहिक रूप से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की योजना [illegible] गई है जिसके अन्तर्गत चतुर्थ योजना काल में 57061 भेड़ों को दवा पिलाई गई ।

बकरियों के विकास के लिये स्थानीय पर उन्नत नस्ल के बकरा सांडों के वितरण की योजना विगत 5 वर्षीय योजना में चालू थी । चतुर्थ योजना काल के अन्त में 198 उन्नत नस्ल के बकरा सांड क्षेत्र में कार्यरत थे । पशु चिकित्सालय चम्पावत में एक बरबरी बकरा रखा गया था । वर्ष 72-73 व 73-74 में 34 बकरियों को प्रजनन सुविधा प्रदान की गई तथा 18 उन्नत बच्चे पैदा हुए ।

कुक्कुट विकास

जनपद में 1972 की पशु गणना के अनुसार कुक्कुट पक्षियों की संख्या 13196 थी । कुक्कुट विकास के लिये उन्नतशील चूजों के उत्पादन और वितरण को एक कुक्कुट फार्म, 2 कुक्कुट प्रसार केन्द्र तथा एक कुक्कुट प्रदर्शन इकाई के माध्यम से किया गया । चतुर्थ योजना काल में 67279 उन्नत शील कुक्कुट पक्षियों का वितरण किया गया । कुक्कुट पालन में व्यावसायिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की योजना के अन्तर्गत 312 कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षित किया गया तथा 46 कुक्कुट इकाईयों को स्थापना ऋण तथा अनुदान देकर स्थापित कराई गईं। विकास खण्ड गंगोलीहाट में संयुक्त पशु आयात निधि के सहयोग से कुक्कुट पुष्टाहार योजना चलाई गई । 80 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 80 कुक्कुट इकाईयों की स्थापना की गई ।

कुक्कुट पालन हेतु ऋण :-

कुक्कुट पालन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने तथा धनाभाव के कारण कार्य के प्रारम्भिक व्यय को वहन करने में असमर्थ व्यक्तियों को कार्य प्रारम्भ करने में सहायता देने हेतु चतुर्थ योजना काल में 69000 रुपया ऋण के रूप में दिया गया । यह देखा गया कि कुक्कुट आहार के मूल्य में वृद्धि के कारण अण्डा उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर अधिक लाभप्रद नहीं हुआ है । इसलिये अधिक बड़े कुक्कुट फार्म सफल नहीं हुए । अतएव छोटे कुक्कुट इकाईयों (बैक यार्ड पोल्ट्री रेयरिंग) को प्रोत्साहन देने का प्राविधान है । अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने तथा घर पर रख रखाव में कम व्यय साध्य होने से तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्रद हो सकता है । पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को संतुलित कुक्कुट आहार मैदानी जिलों से मंगाना पड़ता है। जिससे अधिक भाड़ा में बहुत व्यय हो जाता है जिसके कारण कुक्कुट पालक अपने पक्षियों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं । कुक्कुट आहार मैदानी क्षेत्रों के भावों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चतुर्थ योजना में निकटतम रेल हेड से जनपद के मुख्यालय तक यातायात के व्यय को राज्य सरकार द्वारा

अनुदानित करवाने का कार्यक्रम चालू किया गया । इस काल में 360-38 क्विटल कुक्कुट आहार वितरण किया गया जिससे 498 कुक्कुट पालक लाभान्वित हुए ।

चिकित्सा तथा रोग नियंत्रण

जनपद में पशुओं को चिकित्सा तथा रोग नियंत्रण की सुविधा उपलब्ध करने हेतु चतुर्थ योजना के अन्त में 12 पशु चिकित्सालय और 52 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत थे । जनपद की कुल पशु संख्या 1972 की पशु गणना के अनुसार 5, 36, 169 थी । इन संस्थाओं के आधार पर 44, 680 पशु एक चिकित्सालय तथा 10, 310 पशु एक पशु सेवा केन्द्र के अन्तर्गत आते हैं । इन संस्थाओं द्वारा चतुर्थ योजना में 5, 33474 पशुओं की चिकित्सा की गई तथा 1, 48, 842 टीके संक्रामक रोगों की रोक थाम के लिये लगाये गये । यों तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों (सघन पशु विकास वाले खण्डों को छोड़ कर) की तुलना में जनपद में पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्रों की संख्या पर्याप्त समझी जा सकती है परन्तु भौगोलिक स्थिति व आवागमन के अविकसित साधनों के कारण क्षेत्र के कई भाग अभी पशु चिकित्सा सेवाओं से वंचित रह गये हैं । चम्पावत तहसील में जो कि मई 1972 से इस जनपद में सम्मिलित की गई, में पशु सेवा केन्द्रों की संख्या प्रति विकास खण्ड 3 से भी कम है जो पर्वतीय जिलों के औसत यानि 4 पशु सेवा केन्द्र प्रति विकास खण्ड से कम है । अतः ऐसे स्थानों पर नये केन्द्रों की स्थापना आवश्यक प्रतीत होती है ।

5-5-4 दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष :- जनपद में संख्यात्मक रूप से पशुओं की संख्या पर्याप्त है पर उनकी उत्पादन क्षमता देशी उन्नत नस्ल की अथवा विदेशीय नस्लों की तुलना में बहुत कम है। इस कमी के मुख्य कारण वंशागत उत्पादन क्षमता में कमी के साथ साथ पौष्टिक चारे का अभाव भी है पशु विकास हेतु इन दोनों स्तरों पर सुधार लाना अति आवश्यक प्रतीत होता है । पशुओं की वंशगत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये नस्ल सुधार की वर्तमान चालू योजनाओं के सघनीकरण के साथ साथ कृत्रिम गर्भादान विधि से उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों का विस्तृत स्तर पर प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है । इस हेतु जिले में स्थित दो कृत्रिम गर्भादान केन्द्रों के साथ साथ उप केन्द्रों को संलग्न कर इनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का जनपद में एक वीर्य उत्पादन केन्द्र और वीर्य जमाने (डीप फ्रीज) की विधि से कृत्रिम गर्भादान के कार्य को अधिक विस्तृत क्षेत्र में पशु नस्ल सुधार हेतु प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है।

चूँकि इन उन्नतशील पशुओं की आहार सम्बन्धी आवश्यकताएँ

पूरी करनी भी वांछनीय स्तर तक-उत्पादन प्राप्त करने के लिये आवश्यक है । अतः चारा सुधार कार्यक्रम को भी सघनीकृत रूप देने का भी प्रस्ताव है । पशु चिकित्सा तथा रोग नियंत्रण के लिये भी संस्थागत सुविधाओं के अधिक विस्तृत स्तर पर उपलब्ध किये जाने तथा चल चिकित्सालयों की स्थापना द्वारा संक्रामक रोगों को शीघ्र नियंत्रण में लाने की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ।

पंचम योजना के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम

(अ) पशु विकासः- कृत्रिम गर्भादान उप केन्द्रों की स्थापना :-

जनपद में पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में एक एक कृत्रिम गर्भादान केन्द्र कार्यरत हैं जहाँ पर जर्सी तथा मुर्रा नस्ल के साँडों द्वारा कृत्रिम विधि से प्रजनन की सुविधा उपलब्ध है । पंचम योजना में इन केन्द्रों के निकटवर्ती स्थानों 7 उप केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है । जिनमें से 3 योजना के प्रथम वर्ष में स्थापित किये जायेंगे । इस योजना में वर्ष 74-75 में 0:060 लाख रुपया व्यय हुए तथा 75-76 में 0:015 व्यय होने का अनुमान है ।

साँड प्रसार केन्द्रों की स्थापना :- जनपद में 49 साँड प्रसार केन्द्र कार्यरत हैं, पर कुछ स्थानों में पशु सुधार के लिये प्राकृतिक साधनों से युक्त प्रजनन सुविधा उपलब्ध नहीं है, और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण तथा वर्तमान कृत्रिम गर्भादान उप केन्द्रों से अधिक दूर होने के कारण इन स्थानों में कृत्रिम गर्भादान विधि से प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करवाना वर्तमान समय में सम्भव नहीं है । अतः ऐसे स्थानों में पंचम योजना में 5 नये साँड प्रसार केन्द्रों की स्थापना तथा भवन निर्माण और योजना के प्रथम वर्ष 74-75 में दो नये केन्द्रों की स्थापना तथा दो केन्द्रों के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है । वर्ष 74-75 में इस योजना में 0:371 लाख रुपया व्यय हुआ तथा वर्ष 75-76 में 0:154 लाख रुपया व्यय होने का प्रस्ताव है ।

साँडों का क्रय :- जनपद में स्थित कृत्रिम गर्भादान तथा नैसर्गिक गर्भादान केन्द्रों के लिये पंचम योजना में 6 क्रौस ब्रीड साँड तथा 11 देशी उन्नत शील साँड क्रय करने का प्रस्ताव है जिनमें से 19 उन्नत शील साँड वर्ष 74-75 में क्रय किये जा चुके हैं । इस योजना में वर्ष 74-75 में 0:220 लाख रुपया व्यय हुआ तथा वर्ष 75-76 में 0:137 व्यय होने का अनुमान है ।

दुधारू पशुओं और भेड़ों के क्रय हेतु तकावी ऋण :-

गत वर्षों तक दुधारू पशुओं और भेड़ों के क्रय करने के लिये स्थानीय पशु पालकों को ऋण दिया जाता रहा पर पंचम योजना में इस प्रकार का तकावी ऋण राजस्व परिषद द्वारा प्राविधानित तकावी बजट से अथवा वित्तीय संस्थाओं से दिलाये जाने का प्रस्ताव है । अतः विभागीय प्लान में ऋण की धनराशि सम्मिलित नहीं की गई है ।

क्रौस ब्रेड बछियों के पालन पोषण हेतु अनुदान :-

चूँकि यह देखा गया है कि अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली विदेशी नस्लों के साँड़ों को स्थानीय गायों से उत्पन्न संतति माता में दुग्ध की कमी तथा पोषक मात्रा में चारे दाने का प्रबन्ध न होने के कारण वांछित स्तर तक शारीरिक वाढ़ प्राप्त नहीं करती है तथा समय पर वयस्क नहीं हो पाती है । अतः भूमि हीन और कम भूमि वाले पशु पालकों को क्रौस ब्रेड बछियाओं के पालन पोषण हेतु 2 वर्ष तक संतुलित आहार प्रदान करने के लिये 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत अनुदान का प्राविधान केन्द्रीय पोषित वर्ग व ऋण को योग राज्य प्लान में रखा गया है ।

चारा विकास :- चारे दाने की समस्या पर्वतीय क्षेत्र में पशुधन के विकास में सबसे बड़ी कठिनाई है क्यों कि खेती के योग्य भूमि की कमी के कारण चारा फसलों का उत्पादन बहुत सीमित है और पशुओं को मुख्यतः अविकसित चरागाहों तथा जंगलों की पत्तियों और घास पर निर्भर करना पड़ता है । इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से प्र जनपद में चारा पौधालय स्थापित किये गये हैं जहाँ से कास्तकारों उन्नतशील घासों के बीज और पौधे तथा वृक्षीय चारा पेड़ों के पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं । पाँचवीं योजना में उपरोक्त चारा पौधालयों के चालू रखने के साथ साथ उन्नतशील चारा फसलों के बीज वितरण के कार्य को अधिक व्यापक स्तर पर किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 74-75 में 50 हैक्टेयर भूमि तथा पाँचवीं योजना में 232 हैक्टेयर भूमि में बोये जाने के लिये उन्नतशील चारा बीजों को 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इन उन्नत चारा फसलों के बोये जाने को प्रोत्साहन देने तथा इनसे होने वाले अधिक उत्पादन तथा लाभ का प्रसार करने के उद्देश्य से चारा फसलों के प्रदर्शन आयोजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 74-75 में इस प्रकार के 10 चारा प्रदर्शन तथा पंचम योजना में 50 चारा प्रदर्शन प्रस्तावित हैं । इस योजना में वर्ष 74-75 में 0.074 लाख रुपया व्यय हुआ तथा 75-76 में 0.072 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । उपरोक्त विभागीय

कार्यक्रमों के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा भी चारा पेड़ों का वृक्षारोपण तथा चारा विकास योजनाओं का प्राविधान पंचम पंच वर्षीय योजना में रखा गया है । अतः चरागाह विकास की योजना पशु पालन विभाग की योजना में सम्मिलित नहीं की गई है ।

कुक्कुट विकासः-(अ) वर्तमान कुक्कुट फार्मों का विस्तार एवं सुदृणीकरणः-

जनपद में कुक्कुट कार्यक्रम के विकास के लिये पंचम योजना में विभिन्न आयु के कुक्कुट चूँजों की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिये वर्तमान कुक्कुटप्रक्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाना अति आवश्यक है । अतः विद्यमान स्थित 500 पक्षियों की क्षमता वाले कुक्कुट फार्म का विस्तार कर उसको 2000 पक्षियों की क्षमता का बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है । इस योजना में वर्ष 74-75 में 0:320 लाख रुपये व्यय हुए तथा वर्ष 75-76 में 1:299 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ब) पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत कुक्कुट विकास कार्यक्रमः-

यह योजना वर्ष 1974-75 में एक विकास खण्ड में तथा वर्ष 75-76 से 1978-79 तक प्रति वर्ष दो विकास खण्डों में चलाये जाने का प्रस्ताव है । जिसके अन्तर्गत 180 कुक्कुट पालकों को नवीनतम कुक्कुट पालन विधियों में प्रशिक्षित करने का तथा 3600 कुक्कुट चूँजों को प्रशिक्षित कुक्कुट पालकों में वितरित करने का प्राविधान रखा जा रहा है। यह कार्यक्रम सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से चलाया जावेगा और केवल उन्नतशील चूँजों को उपलब्ध करने तथा प्रशिक्षण और आवश्यक तकनीकी जानकारी व सहायता पशु पालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी । इस योजना में वर्ष 74-75 में 0:022 लाख रुपये व्यय हुए तथा 75-76 में 0:060 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

(स) कुक्कुट आहार पर यातायात अनुदान -

निकटस्थ रेल हेड से जनपद के मुख्यालय तक संतुलित कुक्कुट आहार के ढुलान पर होने वाले व्यय को अनुदानित कर कुक्कुट आहार को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाये जाने की योजना जो चतुर्थ योजना काल में आरम्भ की गई थी, पंचम योजना में चालू रखने का प्राविधान है । वर्ष 74-75 में इस योजना में 0:020 लाख रुपये व्यय हुए तथा 75-76 में 0:024 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । उपरोक्त योजना से अनुमानतः 11400 व्यक्तियों को लाभ होगा।

(द) कुक्कुट ऋणः- पंचम योजना काल में कुक्कुट ऋण जिलीय संस्थाओं के माध्यम से दिलवाये जाने का प्रयास किये जाने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 74-75 में छोटी कुक्कुट इकाई

की स्थापना के लिये 1000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से 7 व्यक्तियों की कुक्कुट इकाईयों की स्थापना हेतु ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है । वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले ऋण का अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका है क्योंकि इस सम्बन्ध में जनपद में स्थित ऐसी संस्थाओं से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

(4) <u>भेड़ पालन</u> (अ) वर्तमान भेड़ फार्मों तथा केन्द्रों का विस्तार तथा नये केन्द्रों की स्थापना :-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में स्थित भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र द्वारा पद्धति और यंत्रों की अतिरिक्त सुविधायें जैसे चरागाह विकास, भवनों की सुविधा, कर्मचारी तथा भेड़ों के अतिरिक्त आवास निर्माण तथा विदेशीय भेड़ और सुविधाओं के लिये आवश्यक उपकरण सप्लाई कर उनकी कार्य क्षमता तथा उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है । इस योजना में वर्ष 74-75 में 1.570 लाख रुपया व्यय हुआ ।

(ब) भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाने की योजना :- इस योजना को पंचम योजना काल में भी चालू रखने का प्रस्ताव है क्योंकि भेड़ों में परजीवी कृमियों के कारण उत्पादन में कमी और मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है और उन्नत नस्ल की भेड़ों में यह रोग अधिक हानि कारक होने के कारण भेड़ विकास कार्यक्रम में बहुत बड़ी रुकावट साबित हुई है । वर्ष 74-75 में इस योजना के अन्तर्गत 0.095 लाख रुपये व्यय हुए तथा वर्ष 75-76 में 0.093 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

<u>बकरी विकास</u> :- विगत योजनाओं की ही भाँति आगामी पंचम योजना में भी बकरी विकास के अन्तर्गत वर्तमान बकरियों की नस्ल के सुधार पर ही बल दिये जाने का प्रस्ताव है । जिससे बिना विशेष संख्यात्मक वृद्धि के उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके । इस उद्देश्य से उन्नत नस्ल के बकरे जोड़ों के अंश दान में वितरण का प्रस्ताव है । इस योजना में वर्ष 74-75 में 0.022 लाख रुपये व्यय हुए तथा वर्ष 75-76 में 0.030 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

<u>पशु चिकित्सा तथा रोग नियंत्रण</u> :- पशु चिकित्सालयों को अतिरिक्त दवायें तथा साज सज्जा उपलब्ध कराने का प्राविधान :-

कई पशु चिकित्सालयों में स्थापना के समय सप्लाई की गई साज सज्जा लगातार प्रयोग से कार्य के योग्य नहीं रह गई है और दवाओं के क्रय हेतु उपलब्ध धनराशि इस कमी को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है । अतः ऐसे 4 चिकित्सालयों में

अतिरिक्त दवाओं और साज सज्जा की पूर्ति के लिये 8000 रुपये प्रति वर्ष प्राविधान रखा जा रहा है ताकि इन चिकित्सालयों को आवश्यक साज सज्जा व औषधि प्रदान कर उनकी दक्षता में वृद्धि की जा सके । इस योजना में वर्ष 74-75 में 0: 030 लाख रुपये व्यय हुए तथा वर्ष 75-76 में 0: 080 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है । परियोजनावार भौतिक उपलब्धियाँ /लक्ष्य निम्न तालिका में अंकित है :-

क्रमांक	मद	इकाई	31-3-69 को स्थिति	31-3-74 को स्थिति
1	2	3	4	5
1-	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या	-	2
2-	कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	,,	-	-
3-	भेड़ तथा ऊन विकास केन्द्र	,,	-	-
4-	भेड़ों का क्रय	,,	7	44
5-	नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना ।	,,	32	39
6-	चारा बीजों का वितरण	हैक्टेयर	-	56: 00
7-	उन्नत कोटि भेड़ों और विदेशी नस्ल के पशुओं का क्रय ।			
	(अ) भेड़ें	संख्या		
	(ब) मेढ़े	,,	-	-
	(स) क्रॉस ब्रेड	,,	-	-
8-	भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाना ।	,,	-	-
9-	बकरों का क्रय एवं वितरण	,,	-	-
10-	भेड़ फार्मों में चिकित्सालयों के लिये साज सज्जा का क्रय ।	रु0	-	-
11-	पुरस्कार कार्यक्रम के अन्तर्गत संख्या विकास क्षेत्र ।	संख्या	-	-
12-	(अ) प्रशिक्षण दिया गया ।	,,	-	-
	(ब) पुस्तों का वितरण	,,	-	-
	(स) कुक्कुट आहार का वितरण (क्वि0)		-	-

पंचवीं योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धि	लक्ष्य 75-76	76-77	77-78	78-79
6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-
7	3	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
27	19	3	4	-	-

6	7	8	9	10	11
5	2	-	-	-	-
232	31.80	58	58	-	-
150	-	-	-	-	-
1455	38	30	-	-	-
-	-	40	60	-	-
165000	13092	33000	33000	-	-
100	22	25	40	-	-
1	1	-	-	-	-
9	1	2	2	-	-
130	50	40	40	-	-
3600	1901	800	800	-	-
4750	182.62	230	200	-	-

5-5-5 व 5-5-6 विकास के लिये युद्ध स्तरीय नीति तथा विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कार्यक्रम :-

यहाँ भेड विकास कुक्कुट विकास एवं चारा विकास के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्यक्रम सघन रूप से किया जाता है।

5-5-7 संसाधनों का जुटाया जाना :- विभागीय प्रस्तावित परिव्यय योजनाओं के अन्तर्गत 75.53 लाख रुपये का है। वर्ष 75-76 का अनुमानित परिव्यय 3.83 लाख रुपये का रखा गया है। संस्थागत वित्त से ऋण उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है। वर्ष 74-75 में 4.31 लाख रुपये परिव्यय के विपरीत 1.81 लाख रुपया व्यय किया गया।

5-5-8 विकास कार्यों के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-

पंचम योजना में प्रस्तावित पशु विकास कार्यक्रमों के लिये तकनीकी कार्यकर्ताओं की पूर्ति राज्य में स्थापित पशु चिकित्सा विज्ञान के महाविद्यालयों तथा विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा की जावेगी। शारीरिक कार्यों के लिये श्रमिकों की पूर्ति स्थानीय रूप से हो जावेगी।

इन विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की सम्भावित आवश्यकता निम्न प्रकार अनुमानित है ; जिनकी राजकीय संस्थाओं में पूर्ण कालीन कार्य हेतु आवश्यकता होगी ।

1- शारीरिक श्रमिक - 39

2- तकनीकी कार्य कर्ता - 21

3- अन्य (लिपिक आदि) -5

पशु पालन कार्यक्रमों को अपनाने वाले जन साधारण को इन कार्यक्रमों से पार्ट टाइम इम्प्लोयमेन्ट मिलने की अपेक्षा है . जिसके लिये साधारणतः कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है पर उन्हे उपरोक्त विभागीय तकनीकी कार्य कर्ताओं से मार्ग दर्शन तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण उपलब्ध होगा ।

5-5-9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :- 1- राजकीय पशुधन संस्थाओं के लिये प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में स्थित पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों से समय समय पर साँड़ , भेड़े, बकरे आदि का ढुलान करना पड़ता है: जो जिला स्तर पर विभागीय वाहन के न होने के कारण किराये के वाहनों द्वारा कराया जाता है । और मूल्यवान पशुधन के लिये असुविधाजनक होने के साथ साथ इस प्रकार के किराये के वाहनों में अधिक व्यय भी हो जाता है । इसी प्रकार विभागीय संस्थाओं के लिये पशु आहार का ढुलान भी विभागीय वाहन के अभाव में महँगा पड़ता है और समय पर ढुलान नहीं हो सकता है । अतः जिला स्तर पर इन कार्यों के लिये एक राज वाहन का प्राविधान उपरोक्त कार्यों के समय समय पर और सही प्रकार से सम्पादन के लिये आवश्यक प्रतीत होता है ।

2- जनपद में एक भेड़ व ऊन अन्वेषण केन्द्र मुनस्यारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव दिया जाता है ताकि भेड़ विकास कार्यक्रम में प्रगति लाई जा सके ।

3- चारा विकास कार्यक्रम में कृषि योग्य और भूमि की कमी के कारण कठिनाई होती है ।

5:5:2 : मत्स्य

5:5:2:1 :- इस जनपद में कुछ स्थानों पर जैसे, सूढीढाग, क्षेत्र व छिपलाकोट में पानी के कई तालाब हैं जिनमें कि उत्तम किस्म के मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है तथा उसमें बीज-उत्पादन कर छोटे-छोटे तालाबों के लिये भी बीज वितरित किये जा सकने की भी सम्भावना है । इसके अतिरिक्त जनपद में कई छोटी बडी नदियाँ हैं जिनमें प्राकृतिक स्तर पर मछलियाँ पकी जाती हैं । ऐसी नदियों में मत्स्य विकास की सम्भावनाओं की जाँच करना भी आवश्यक है । मत्स्य पालन को पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करने हेतु 57 हजार रुपया पाँचवीं योजना के वास्ते आवंटित किया गया है । 1974-75 में इस मद में कोई भी धनराशि व्यय नहीं हुई । 1975-76 के वास्ते 10हजार रुपया परिव्यय रखा गया है । यह व्यय केवल राज्य आयोजनागत् के अर्न्तगत् है । इस जनपद में मत्स्य विभाग का कोई स्टाफ इस समय नहीं है । अतः यह आवश्यक है कि मत्स्य पालन विकास हेतु यहाँ उचित स्टाफ की व्यवस्था की जाय ताकि इस योजना को यहाँ प्रोत्साहन मिल सके । भौतिक लक्ष्य अभी निर्धारित करना सम्भव नहीं है जब तक कि यहाँ योजना प्रारम्भ नहीं हो जाती है ।

5-6-1 बन

भूमिका:-

5-6-1 क्षेत्र:- पिथौरागढ़ बन प्रभाग का सम्पूर्ण क्षेत्र जो लगभग 868:08 वर्ग कि0मी0 है निम्न 3 जिलों में फैला हुआ है।

जिला- पिथौरागढ़	796-19 वर्गकि0मी0
जिला- अल्मोड़ा	11-10 ,,
जिला- नैनीताल	60-79 ,,
	868-08

पिथौरागढ़ जिले में शेष 257-18 वर्ग कि0मी0 आरक्षित बन पूर्वी अल्मोड़ा बन प्रभाग व हल्द्वानी बन प्रभाग में आते है। सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। इस बन प्रभाग की उत्तरी सीमा भारत की तिब्बत सीमा है। पूर्व में नेपाल (काली नदी से विभाजित) दक्षिण व पश्चिम में चूका से मोर नौला की धार (नैनीताल बन प्रभाग) तथा पूर्वी अल्मोड़ा बन प्रभाग स्थित है तथा 29°13 उत्तर से 30°10' उत्तर अक्षांश तथा 79°44' पूर्वी से 80°45 पूर्वी देशान्तर के बीच फैला है।

5-6-2 वर्तमान बन प्रबन्ध के उद्देश्य निम्न प्रकार है:-

1- जल व भूमि संरक्षण के लिये वर्तमान बनों व भूमि आवरण की सुविधा व विकास।

2- वर्तमान बनों के घनत्व को बढ़ाना तथा जहाँ तक सम्भव हो मूल्यवान वृक्ष प्रजातियों का प्रतिशत बढ़ाना।

3- टिकाऊ बन सम्पदा की अधिकाधिक व निरन्तर प्राप्ति।

4- स्थानीय निवासियों के हक हकूकों का सम्भरण।

5- बन सम्पदा की वर्तमान व सम्भावित आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अधिकाधिक निर्वतीय लाभ प्राप्त करना।

इस बन प्रभाग में मुख्यतया चीड़ की प्रजाति पाई जाती है। देवदार व साल अल्प मात्रा में है। बांज, अखरोट, शीशम आदि के वृक्ष ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाये जाते है।

मुख्य प्रजातियों की अनुमानित स्थिति निम्न प्रकार है:-

चीड़:- 1431366 घन मीटर

देवदार:- 28970 ,,

साल:- 31158 ,,

5-6-3 चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन, प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर अब तक की उपलब्धि निम्न प्रकार है:-

1 - महत्वपूर्ण प्रजातियाँ देवदार, अंगू, सुरई, इत्यादि से रोपित क्षेत्र	2750 हैक्टेयर
2- मोटर सड़कों का निर्माण	210 कि0मी0
3 - पैदल सड़कों का निर्माण	1267 कि0मी0
4 - टेलीफोन लाइनों का निर्माण	307 कि0मी0
5 - लीसा उत्पादन	7638 क्वि0
6 - भवन निर्माण	15 भवन
7 - आर्थिक महत्व के वृक्षों से रोपित क्षेत्र	93:2 हैक्टेयर
8 - सम्पूर्ण व्यय	61,45,880:00 रुपया

5-6-4 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :- पाँचवी पंच वर्षीय-योजना में निम्न कार्य लक्ष्य प्रस्तावित हैं :-

1 - आर्थिक महत्व के वृक्षों का रोपण	240 हैक्टेयर
2- मार्गों का नव निर्माण	42 कि0मी0
3 - सड़कों के किनारे वृक्षा रोपण	180 कि0मी0
4 - सम्पूर्ण व्यय	34,49,000:00

1974-75 में 1-72 लाख रुपया व्यय हुआ व 40 हैक्टेयर में आर्थिक महत्व के वृक्षों का रोपण व 1:35 कि0मी0 मोटर सड़क निर्माण किया गया तथा वर्ष 1975-76 में 1:89 लाख रुपये का व्यय हुआ तथा 40 हैक्टेयर क्षेत्र में आर्थिक महत्व एवं वृक्षारोपण, तथा 7-5 कि0मी0 की सड़कों के किनारे वृक्षा रोपण योजना के अन्तर्गत कार्य किया गया तथा 16 कि0मी0 मोटर मार्गों का सुधार कार्य किया गया।

5-6-5 विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जारहा है।

5-6-6 पूर्ण कार्यक्रम - सबसे प्रमुख कार्यक्रम वनों का संरक्षण व विकास है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर योजना प्रस्तावित की जारही है।

5-6-7 साधनों का जुटाया जाना :- संस्थागत वित्त / सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। सभी विकास कार्यक्रमों का परिव्यय आयोजनागत मदों के अन्तर्गत आता है।

5-6-8 सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :-

(अ) मोटर मार्गों के नव निर्माण के साथ जहाँ याता यात की सुविधा नहीं है वहाँ निकासी पर भी नियंत्रण रखने के लिये चैक चौकियों का होना आवश्यक है। निम्न प्रकार 4 नई चैक चौकियाँ आवश्यक हैं :-

1 - घाट अल्मोड़ा मोटर मार्ग में - पनार पर - एक
2- लोहाघाट-धूनाघाट मार्ग पर - नलिया व लोहाघाट- दो
3 - लोहाघाट- टनकपुर मार्ग पर - सूखीढांग में - एक

वर्तमान चैक चौकियों में वर्तमान जन शक्ति अपर्याप्त है। चूँकि चैक चौकी पर चौबीसों घंटे कार्य होता है। अतः हर चैक चौकी पर कम से कम दो चैक मुहर्रिर तथा दो गेट मजदूर होने चाहिये। इसी प्रकार नई चैक चौकियों के लिये जन शक्ति आवश्यक होगी।

(ब) पिथौरागढ़ में लकड़ी व कोयले का प्रबन्ध वन विभाग द्वारा किया जाता है। जन संख्या के निरन्तर वृद्धि तथा बाँज वृक्षों के कटान पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के कारण ईंधन की समस्या दिन पर दिन विकट होती जा रही है। इस सन्दर्भ में शासन को पिथौरागढ़ में पत्थर के कोयले व गैस को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे वनों पर बोझ कम हो सके।

(स) वन विभाग के निम्न स्तरीय कर्मचारी प्रायः शिक्षा संस्थानों से सुदूर एवं स्थानों में रहते हैं। इस कारण आवश्यक है कि इनको अपने बच्चों को छात्रावास में रहने के सम्बन्ध में आर्थिक सुविधा व प्राथमिकता दी जाय।

भौतिक आवश्यकतायें - विभिन्न सामानों की आवश्यकता विभिन्न प्रस्तावित कार्यों के आधार पर होती है, जिनमें मुख्यतः सीमेन्ट, लोहा, टिन शीट, कोलतार रंग आदि है। सूचनायें समय समय पर उच्चाधिकारियों को दी जाती है। निश्चित सूचना पूर्व में देना सम्भव नहीं है।

5-6-2 बन (सिविल एवं सोयम बन)

5-6-2-1 भूमिका :- पिथौरागढ़ जनपद में आरक्षित बन क्षेत्र के अतिरिक्त सिविल एवं पंचायती बन क्षेत्र हैं। इन सिविल तथा पंचायती क्षेत्रों में बनीकरण तथा बन विकास के कार्यों के अन्तर्गत इस बन प्रभाग का गठन अक्टूबर 1974 में सिविल एवं सोयम योजना के अन्तर्गत किया गया है।

5-6-2-2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- अधिकांश सिविल बनों की स्थिति इस प्रकार है कि उन्हें बन कहना एक प्रकार की भ्रान्ति है, क्योंकि अव्यवस्थित कटान, साफा तरासी, नया बाद आदि एवं अनधिकृत कब्जों के कारण बन सम्पदा का ह्रास हो चुका है। पंचायती बनों में स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है, परन्तु कटान के साथ साथ रोपण में अधिकांश पंचायती बनों में कोई प्रगति नहीं हुई है। बहुत सी गठित पंचायतों में बनों की सुरक्षा के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इन सब कारणों से सिविल तथा पंचायती बनों में बनीकरण की योजना एक आवश्यकता बन गई है।

5-6-2-3 चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन :- इस समय मुख्यतः 3 चरणों में कार्य होरहा है, जो निम्न प्रकार है :-

	1974-75 पूर्ति	1975-76 तक
(1) पौधालयों का विकास	12 हेक्टेयर	12 हेक्टेयर
(2) बनीकरण	100 ,,	100 ,,
(3) चरागाह विकास	300 ,,	150 ,,

इन योजनाओं का वर्तमान मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूप से करना सम्भव नहीं है। जब पौधे परिपक्व और बड़े हो जावेंगे। तभी मूल्यांकन हो पावेगा। पौधालयों से पौध 25 पैसा प्रति पौध की दर से विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को दिये जारहे हैं जिससे पौधालयों में हुए व्यय की पूर्ति अल्प काल में ही हो जावेगी।

5-6-2-4 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य - पिथौरागढ़ जनपद में काष्ठ एवं पशुओं के चारे की सम्पूर्ति कम होने के कारण इस समय ग्राम वासियों को अत्यन्त कठिनाई होरही है। बनीकरण की योजना सफल होने पर इस माँग को पूर्ण करना तो सम्भव होगा ही। इसके अतिरिक्त जल एवं वायु प्रदूषण की भी समस्या हल होगी।

5-6-2-5 विकास के लिये खण्ड स्तरीय नीति :- किसी विकास कार्य के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है क्यों कि यह कार्य जिन गाँवों के सिविल बनाप क्षेत्रों में किया जारहा है उन क्षेत्रों का चयन

ग्राम वासियों के सहयोग से किया जाता है। अतएव वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जन सम्पर्क एवं वन प्रचार भी किया जारहा है।

5-6-2-6 विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर युक्तिपूर्ण कार्यक्रम :- वृक्षा रोपण में प्राथमिकता ऐसी प्रजातियों को दी जारही है जिससे जनता की माँग पूरी हो सके परन्तु क्षेत्र की स्थिति, मिट्टी आदि को देखते हुए उपयुक्त प्रजातियों के रोपण में कठिनाई होरही है।

5-6-2-7 संसाधनों का जुटाया जाना :- उपलब्ध बजट के अनुसार कार्य करवाया जारहा है। यह प्रयास किया जारहा है कि पंचायतों के पास उपलब्ध धन का भी इन कार्यों में उपयोग हो सके।

5-6-2-8 विकास के लिये प्राविधिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता- रोपाकनी एवं वनीकरण कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये वन विभाग के प्रशिक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। पौधशाला वानिकी कार्यों में अकुशल श्रमिकों द्वारा भी कार्य हो सकता है।

5-3-2-9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :-

(1) उपलब्ध बजट कार्य के महत्व को देखते हुए बहुत कम है क्योंकि लगाये गये वृक्षों को बाद में भी देख रेख की आवश्यकता होती है।

(2) योजना में व्यय बहुत ही कम है मात्रा में दिया गया है ? जिसका अधिक होना आवश्यक है।

(3) संकलित क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण योजना के कार्यों में कठिनाईयाँ हैं। योजना के बारे में ग्राम वासियों को कुछ भ्रान्तियाँ हैं जो कि व्यापक वन प्रचार से दूर हो सकती हैं जिसके लिये AUDIO VISUAL AIDS की भी आवश्यकता है।

5-6-2-10 अन्य उल्लेखनीय :-

इस योजना में स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त समय में रोजगार प्राप्त होता है। वृक्षा रोपण के कार्यों एवं दीवाल बन्दी के कार्यों को, जिस ग्राम के क्षेत्र में कार्य होरहा हो उसी के ग्राम सभा, युवक मंगल दल व अन्य ग्राम वासियों को करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

5:7: सहकारिता एवं दुग्ध

5:7:1 **भूमिका:-** यह जनपद पहिले अल्मोड़ा जनपद का ही एक अंग था तथा यहाँ पर सहकारिता आन्दोलन एक उपभोक्ता आन्दोलन तक ही सीमित था। नवीन जनपद बनने के उपरान्त तृतीय योजना काल में जनपद के अन्दर सहकारिता का विकास हुआ तथा मुख्य रूप से सहकारिता ऋण व बैंकिंग सहकारी उपभोक्ता एवं वितरण, जड़ीबूटी संग्रह तथा सहकारी दुग्ध योजना आरम्भ की गई। सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और जनता के सहयोग तथा रुचि पर इसका विकास व विस्तार निर्भर है। सरकार द्वारा केवल आन्दोलन के लिए मार्गदर्शन करना मुख्य कार्य है। इसके लिये तृतीय योजना काल के अन्त में यहाँ पर पृथक से जिला सहायक निबन्धक का कार्यालय स्थापित हुआ और आन्दोलन के अन्तर्गत संगठित विभिन्न प्रकार की समितियों की देखरेख, मार्गदर्शन आदि के लिये आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति हुई।

5:7:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- सहकारिता क्षेत्र में यहाँ पर मुख्य रूप से जो योजनायें चालू हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

योजना/मद	31:3:69 की स्थिति	31:3:74 की स्थिति
1: सहकारी ऋण एवं बैंकिंग योजना		
1: प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ	139	160
2: सदस्यता (हजार में)	23	46
3: अंश और सदस्यों का (हजार रुपया)	600	1448
4: निक्षेप (,,)	240	225
5: अल्प कालीन ऋण वितरण (,,)	400	3533
6: मध्यकालीन ऋण तथा रहन ,,	500	1130
7: जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का संगठन	1	3
8: हिस्सा धन बैंक में (हजार रुपए)	300	783
9: अमानतें बैंक में	300	2000
2: उपभोक्ता एवं वितरण योजना:-		
1: उपभोक्ता एवं क्रय विक्रय संघ	1	1
2: जड़ी बूटी विकास योजना:-		
1: जड़ी बूटी कृषि इकाई	1	1
2: इकाई के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	2 एकड़	5 एकड़
3: जड़ी बूटी विकास संघ की स्थापना	-	1
4: सहकारी दुग्ध योजना		
1: जिला सहकारी दुग्ध संघ की स्थापना	-	1
2: दुग्ध समितियों का संगठन	-	21

5:7:3 आलोचनात्मक विवरण :- जनपद में सहकारी ऋण एवं बैंकिंग योजना के अन्तर्गत यद्यपि जनपद के समस्त ग्राम प्रारम्भिक कृषि साख समितियों से आच्छादित हो चुके हैं किन्तु अभी संगठित समितियाँ पूर्ण रूप से स्थायी इकाई का रूप नहीं ले सकी हैं इनमें से अब तक 34 समितियाँ स्थायी समितियाँ हैं। तथा 96 समितियाँ संभावित स्थायी इकाई हैं जिन्हें पूर्ण रूप से स्थायी इकाई का रूप धारण करना है। इस जनपद के प्रत्येक कृषक परिवार को इन सहकारी समितियों में सदस्य बनना है जिसमें अभी तक लगभग 46 हजार सदस्य बन चुके हैं जो कुल परिवारों की 57% बैठती है। इसी प्रकार ऋण वितरण की दशा में भी अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में ऋण लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 9930 है जो कि कुल सदस्यों का 21 प्रतिशत है। समितियों के स्थायी इकाई बनने तथा पूर्ण रूप से अपने साधनों पर निर्भर रहने के लिये यह आवश्यक है कि उनकी अंश पूंजी तथा निक्षेपों में वृद्धि हो।

2: सहकारी उपभोक्ता तथा विपणन के लिये संगठित वर्तमान संस्थाओं के ~~क्रियो~~ कार्यों में विस्तार का अभी पर्याप्त क्षेत्र है। यह सर्व विदित है कि जनपद एक कमी का क्षेत्र है। प्रायः दैनिक आवश्यकताओं की सभी वस्तुयें मैदानी क्षेत्र से आयात होती हैं। आम जनता एवं उपभोक्ताओं को बिचौलियों आदि के शोषण से मुक्त करने तथा वर्तमान परिस्थितियों में वस्तुओं के दामों को स्थिर रखने में सहकारी संस्थायें महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। यदि उनका मार्ग दर्शन सही रूप से हो तथा आवश्यक मात्रा में इस कार्य के लिये उन्हें पूँजी तथा अन्य दूसरे आवश्यक साधन समय पर उपलब्ध कराये जाँय। उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत जनपद के मुख्यालय पर संगठित संघ के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ ऋण वितरण के अतिरिक्त इस कार्य को भी अपना रही हैं।

जहाँ तक विपणन कार्यक्रम को सहकारिता के माध्यम से किये जाने का प्रश्न है जिले में अभी तक किसी भी उपज के आधिक्य न होने के कारण उसमें प्रगति शून्य रही। इधर जनपद के कुल क्षेत्रों में अब उद्यानों में विकास होने से फलों का विपणन सहकारिता के माध्यम से किये जाने की सम्भावनायें बढ़ गई हैं। इसके लिये चम्पावत तहसील के लोहाघाट स्थान पर इस प्रकार की एक फल विपणन सहकारी समिति का संगठन किया जा चुका है। इसी प्रकार की दो समितियाँ विकास खण्ड मुनस्यारी तथा धारचूला में भी संगठित की जा चुकी हैं। विकास खण्ड लोहाघाट की समिति ने अपना कार्य चालू कर दिया है।

3: सहकारी जड़ी बूटी के क्षेत्र में यद्यपि जनपद के अन्दर विकास की काफी सम्भावनायें हैं किन्तु अभी संग्रहण प्रणालि पर एकाधिकार सहकारी समितियों के ही सदस्यों को न मिलने से इतनी आशातीत प्रगति नहीं हो पाई है। ~~xxx~~ जहाँ तक मार्केटिंग का प्रश्न है जिला स्तर पर इसके लिये

एक मार्केटिंग संघ की स्थापना की जा चुकी है । इसी प्रकार संग्रहण प्रणालि में सुधार लाये जाने का प्रयास भी जारी है । जड़ी बूटी पैदावार में वृद्धि हेतु वर्तमान स्थापित प्रदर्शन केन्द्र प्रयाप्त नहीं हैं तथा इसके विस्तार की आवश्यकता है।

4: सहकारी दुग्ध योजना - के अन्तर्गत जनपदीय जिला स्तर पर एक सहकारी दुग्ध संघ तथा ग्रामीण स्तर पर 21 दुग्ध समितियों का संगठन किया जा चुका है । अब दुग्ध संघ ने भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है तथा मशीन आदि की व्यवस्था हो चुकी है । दुग्ध वितरण हेतु आवश्यक जीप इत्यादि का भी प्रबन्ध किया जा रहा है तत्पश्चात् दुग्ध वितरण व संग्रहण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जावेगा ।

उपरोक्त योजनाओं के पाँचवीं योजना काल के लिये निम्न परिव्यय निर्धारित किये गये हैं :-

नाम परियोजना	पाँचवीं योजना का कुल व्यय परिव्यय
1: अधिकोषण योजना (हजार रुपया)	823
2: क्रय विक्रय योजना ,,	493
3: श्रम सहकारी समितियाँ ,,	18
4: जड़ी बूटी विकास ,,	457

परियोजनावार परिव्यय एवं भौतिक लक्ष्य / पूर्ति की सूचना संलग्न है।

5:7:4 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :- सहकारिता का मुख्य उद्देश्य शोषित समाज को होने वाले शोषण से मुक्त करना तथा आर्थिक दशा में विकास लाना है । सहकारी समितियाँ जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संगठित हैं से यही आशा की जाती है कि वे अन्ततोगत्वा अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर अपने सदस्यों के आर्थिक स्तर को उठाने में सहायक हो सकें । सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना से कृषकों को जहाँ महाजनों के चंगुल व शोषण से मुक्त किया जा सकता है वहाँ दूसरी ओर सहकारी ऋण से हुए अपने कृषि सुधार में विकास कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकती है । इसी प्रकार अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर व्यापारियों एवं आढतियों के शोषण से मुक्त हो सकती है । सहकारी जड़ी बूटी विकास एवं दुग्ध योजना से कृषकों को आर्थिक आय के साधन उपलब्ध होंगे तथा इससे उन्हें अपने आर्थिक विकास में सहायता उपलब्ध होगी ।

पंचम पंच वर्षीय योजना में जो भी वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य रखे गये हैं उनसे जनपद में विशेष कर कृषकों की आर्थिक दशा में विकास होगा और विभिन्न स्तर के शोषण से उन्हें मुक्ति मिलेगी । साथ साथ सहकारिता के सिद्धान्तों के प्रचार व प्रसार से जनता का नैतिक तथा सामाजिक उत्थान भी होगा ।

5:7:5 विकास कार्यक्रम :- विभागीय योजनानुसार पंचम पंच वर्षीय योजना में जो कार्यक्रम रक्खा गया है निम्न प्रकार है :-

क- सहकारी ऋण एवं बैंकिंग योजना :- वर्तमान स्थित प्रारम्भिक कृषि साख समितियों को पूर्ण रूप से स्थायी इकाई में लाने का लक्ष है ताकि पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सभी समितियां स्थायी इकाई का रूप ग्रहण कर लें और इन समितियों में सभी कृषक परिवार सदस्य बन जायें । इसके लिये योजना में 6000 नये सदस्य भर्ती का लक्ष है । समितियों की अपनी साधन शक्तियों में वृद्धि हो, इसकेलिये 1:20 लाख रुपया अंश पूंजी वृद्धि का लक्ष निर्धारित किया गया है ताकि समितियों में अपने निजी साधनों में वृद्धि के साथ साथ उनकी ऋण लेने की शक्ति भी बढ़ सके । जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि अभी तक सहकारी ऋण का प्रचलन कम है । योजना के अन्तर्गत इसमें वृद्धि हेतु जो लक्ष रक्खे गये हैं उसके अनुसार योजना के अन्तिम वर्ष तक अपने सदस्यों में 45-33 लाख रुपया अल्प कालीन ऋण का वितरण कर सकेंगी । इसी प्रकार योजना अवधि में सदस्यों पर मध्य कालीन ऋण 19:33 लाख रुपया लगा रहेगा । इसी प्रकार बैंक के साधनों में वृद्धि हो, इसके लिये अंश पूँजी तथा निक्षेपों की वृद्धि के लिये क्रमशः 0:40, 6:00 लाख रुपया लक्ष निर्धारित किया गया है ।

सहकारी समितियों के सदस्यों के आर्थिक उत्पादन एवं समितियों द्वारा अपने सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं के संभाल एवं रख रखाव हेतु योजनाकाल में 22 नये ग्रामीण गोदामों का प्राविधान रक्खा गया है ।

<u>उपभोक्ता एवं वितरण</u> :- उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण कार्यक्रम को सहकारिता के माध्यम से ही विकसित किये जाने की दृष्टि से योजना काल में एक नये क्रय विक्रय केन्द्र किये जाने का लक्ष है ।

<u>सहकारी दुग्ध योजना</u> :- वर्तमान में सहकारिता के विकास तथा जनपद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के क्षेत्र में कुछ विशेष प्रकार की योजनायें प्रस्तावित हैं जिनमें दुग्ध योजना भी एक है । योजना के अर्न्तगत् दुग्ध भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आवश्यक मशीन आदि आ गये चुके हैं व दुग्ध संघ में 25 हजार रुपया राजकीय सांझेदारी भी स्वीकृत हो चुकी है । अब जीप इत्यादि की व्यवस्था की जारही है जिसके प्राप्त होते ही दुग्ध वितरण का कार्य किया जावेगा । इस योजना के लिये निम्न प्रकार परिव्यय रखे गये हैं ।

पाँचवीं योजना के परिव्यय	74-75 के परिव्यय	व्यय	परिव्यय 75-76
7,93,000	2,05,000	1,03,000	50,000

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में सहकारिता के विकास का जनपद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिक समितियों की पुनर्गठन योजना तथा एक नई समिति के गठन का भी लक्ष्य रखा गया है।

जडी बूटी विकास योजना :- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जडी बूटी विकास योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत भेषज कृषि के अन्तर्गत 48 हैक्टेयर भूमि पर कृषकों द्वारा कार्यक्रम अपनाया गया जिससे जल्दी विक्रय हो सकने वाली प्रजातियों को ही प्राथमिकता दी गई ताकि कृषकों को जडी बूटी कृषि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और इस ओर इनकी रुचि बढ सके। विगत वर्षों की भाँति आने वाले पाँच वर्षों के लिये कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 64 हैक्टेयर भूमि में भेषजों की कृषि करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे उत्पादित भेषजों का विपणन भेषज विकास संघ के माध्यम से किया जावेगा एवं कृषकों की रुचि जाग्रत कर कृषि कार्यों को बढावा दिया जावेगा। औषधीय प्रजातियों का अध्ययन करने के उपरान्त व्यापक रूप से कृषि कार्य द्वारा उत्पादन बढाया जा सकेगा। योजना काल में 7.25 लाख रुपये की जडी बूटियों का विपणन किया जा सकेगा। विकास खण्डों में 11 छोटी प्रदर्शन इकाई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। भेषज संघ की स्थापना पूर्व ही की जा चुकी है जिसकी एक शाखा तथा गोदाम निर्माण का लक्ष्य योजना में रखा गया है। एक जडी बूटी प्रकीर्ण इकाई का भी लक्ष्य रखा गया है।

5:7:6 विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर युक्ति पूर्ण कार्यक्रम:-

इस जनपद में जडी बूटी विकास योजना का कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। इस कार्यक्रम को अपनाने से यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है।

5:7:7 संसाधनों का जुटाया जाना :- जहाँ तक सहकारी समितियों के विकास में सदस्यता, अंशपूँजी एवं निक्षेपों के लक्ष्यों की पूर्ति का प्रश्न है, चूँकि यह जनता का आन्दोलन है, अतः इस दिशा में सभी प्रकार के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति करना स्वयं जनता का उत्तरदायित्व है। परन्तु इन समितियों को जब तक शासन से प्रोत्साहन तथा यहाँ पर उनके अपने साधन उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर शासकीय आर्थिक सहायता दी जानी नितान्त आवश्यक है तभी ये समितियाँ विकसित हो सकेंगी। इसके लिये शासन से प्रत्येक योजना में जो वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, उसको दिया जाना आवश्यकीय होगा।

5.7.8 - विकास कार्यक्रम हेतु कुशल श्रमिकों की आवश्यकता - कुछ नहीं कहना है।

5.7.9 - विचारणीय प्रश्न - दुग्ध संघ का कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जाय।

सहकारिता   पाँचवी योजना का परियोजनावार परिव्यय   (हजार रुपयों में)

क्र०सं०	परियोजना	पाँचवी योजना का परिव्यय	वर्ष 74-75 का परिव्यय	व्यय	75-76	76-77	77-78	78-79
[illegible]	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	अधिकोषण	623	[illegible]0	--	53			
2:	क्रय विक्रय x	488	[illegible]	--	143			
3:	श्रम सहकारी समितियाँ	19	--	--	--			
4:	कुटीर उद्योग विकास	457	48	--	--			
	योग:-	1381	220	--	196			

x नोट क्रम सं० 2 में 208 केन्द्रीय सैक्टर द्वारा परिव्यय प्राप्त होने हैं। उपरोक्त परिव्यय निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश के पत्रांक सी-5 /नियोजन दस-383 दिनांक सितम्बर26 ,1975 के आधार पर लिये जा रहे हैं।

सहकारिता   पाँचवी योजना का परियोजनावार भौतिक लक्ष / पूर्ति

क्र०सं०	परियोजना	इकाई	31:3:69 तक की पूर्ति	31:3:74 तक की पूर्ति	पाँचवी योजना का लक्ष	74-75 लक्ष	74-75 पूर्ति	75-76	76-77	77-78	78-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ऋण एवं अधिकोषण योजना										
1:	प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ	संख्या	139	160	--	--	--	--			
2:	स्वाश्री समितियों का संगठन.	संख्या	28	32	10	--	--	2			
3:	सदस्यता में बृद्धि (हजार में)		29	46	6	2	3	2			
4:	अंश पूंजी में बृद्धि	(हजार रू०)	600	1448	120	40	177	40			
5:	अमानतों में बृद्धि	-ऐ०-	240	425	300	40	168	60			
6:	अल्पकालीन ऋण बितरण	-ऐ०-	400	3538	4533	3106	3405	3462			
7:	मध्यकालीन ऋण बितरण	-ऐ०-	275	257	1133	740	338	920			
8:	मध्यकालीन ऋण लगा रहा	-ऐ०-	590	1168	1906	1399	1052	1456			
9:	दीर्घकालीन ऋण बितरण	-ऐ०-	--	--	--	--	--	--			
10:	दीर्घकालीन ऋण लगा रहा	-ऐ०-	--	--	--	--	--	--			
	जिला सहकारी बैंक में:-										
1:	बैंक की शाखाओं का खोला जाना	संख्या	1	3	1	1	1	--			
2:	अंश पूंजी में बृद्धि	(हजार रूपया)	300	763	40	40	297	10			
3:	निक्षेप में बढोत्तरी	-ऐ०-	300	2000	600	200	590	400			
4:	ग्रामीण गोदाम निर्माण	संख्या	4	13	22	2	--	5--			

क्रमश: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>श्रम योजना</u>										
	1: श्रम सहकारी समिति संगठन	संख्या	8	11	1	--	--	--			
	<u>जड़ी बूटी विकास योजना</u>										
	1: भेषज कृषिकरण का क्षेत्रफल	हैक्टेयर	8	40	64	10	7	--			
	2: जनपद के 11 विकास खण्डों में 11 छोटी इकाईयों की स्थापना	संख्या	--	--	11	11	--	--			
	3: जड़ीबूटी विकास संघ की शाखा खोला जाना	संख्या	--	--	1	--	--	--			
	4: जड़ी बूटी विकास संघ द्वारा गोदाम निर्माण	संख्या	--	--	1	--	--	--			
	5: जड़ी बूटी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	संख्या	--	--	1	--	--	--			
	6: जड़ी बूटियों का उत्पादन	हजार रुपया	1949	1009	725	110	185	--			

5: 8 सामुदायिक विकास

5: 8: 1 भूमिका :- जिला बनने से पूर्व सामुदायिक विकास कार्यक्रम अल्मोड़ा से संचालित किया जाता था । वर्ष 1960 में सारा जनपद सामुदायिक विकास खण्डों द्वारा आच्छादित हो चुका था । इस समय जनपद के सभी विकास खण्ड अपने द्वितीय चरणोत्तर काल में हैं । इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में विकास खण्डों के लिये प्राप्त होने वाले बजट का उपयोग लगभग सभी विकास खण्ड कर चुके हैं । पाँचवीं योजना तथा वर्ष 1974-75 एवं 1975-76 के लिये राज्य - आयोजनागत योजनाओं की स्वीकृति का परिव्यय निम्न तालिका में अंकित है :-

विकास खण्डों के निमित्त सामुदायिक विकास प्रायोजना के अन्तर्गत पाँचवीं योजना का परिव्यय।

क्र०सं० जिला	कृषि प्रसार	सामाजिक शिक्षा	सेल्फ हेल्प कोष	भवन निर्माण	योग
1 2	3	4	5	6	7
1-पिथौरागढ	24,000	27,500	55,500	-	1,07,000
		1974-75 स्वीकृत परिव्यय			
1- पिथौरागढ	3,500	3,500	4,600	-	11,600
		1975-76			
1- पिथौरागढ	9,400	7,200	23,200	-	39,800

5: 8: 2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- जनपद के सभी विकास खण्ड नॉर्मल पैटर्न पर आ चुके हैं । सभी बजट उनको समय पर स्वीकृत अथवा आवंटित हुए उपयोग किये जा चुके हैं । जो जो विकास कार्य पूर्ण हुए उनकी यथा समय समीक्षा सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा चुकी है ।

5: 8: 3 विकास सम्बन्धी चालू योजनाओं का मूल्यांकन:- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये आयोजनागत योजनाओं हेतु 1,07,000 रुपये का वित्तीय प्राविधान सुनिश्चित किया गया है। इस धनराशि के अन्तर्गत कृषि प्रसार कार्यक्रम में 24,000 रु० सामाजिक शिक्षा मद में 27,500 रु० तथा सेल्फ हेल्फ कोष के अन्तर्गत 55,500 रु० निर्धारित हैं । कृषि प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं, युवक दलों तथा अन्य रजिस्टर्ड संस्थाओं

को 50 % राज्य सहायता पर कृषि यंत्रों तथा अन्य कृषि में काम आने वाली सामग्री उपलब्ध कराई जाती है । समाज शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड में सामाजिक शिक्षा हेतु पत्र पत्रिकाओं का क्रय किया जाना, सामूहिक श्रवण यंत्रों की मरम्मत तथा अन्य सम्बन्धित कार्य कलापों पर उक्त धनराशि व्यय की जाती है । सेल्फ हेल्प स्कीम के अन्तर्गत क्षेत्र में ऐसे छोटे निर्माण कार्य जैसे खड़न्जा निर्माण, सड़क निर्माण जिनमें ग्राम सभायें श्रमदान से काम करती हैं 33% राज - सहायता दी जाती है ।

5:8:4 दीर्घ कालीन रूपरेखाः- ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि उपरोक्त व्यय केवल आयोजनागत योजनाओं का ही है । इसके अतिरिक्त इस जनपद के सभी विकास खण्डों को आयोजनेत्तर मद में भी विभिन्न कार्य कलापों हेतु धनराशि का आवंटन किया जाता है । इस प्रकार दीर्घ कालीन परियोजनाओं की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि जनपद को आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर मदों में कितनी धनराशि उपलब्ध होगी । चूँकि आयोजनेत्तर (नॉन प्लान) योजनाओं की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है । इसलिये दीर्घ कालीन योजनाओं के निर्माण का अन्तिम प्रारूप अभी निश्चित नहीं किया जा सकता ।

विकास खण्डों को प्राप्त होने वाली धनराशि के युक्तिपूर्ण उपयोग के लिये क्षेत्र समितियाँ जिम्मेदार हैं । क्षेत्र समितियाँ अपने अपने क्षेत्र के लिये आवेदनों को आधार मानकर तथा क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कराकर प्राथमिकता निश्चित कर लेती है तथा बजट के आकार व स्वरूप के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है ।

राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :- इस क्षेत्र में चल रही सभी सामुदायिक विकास योजनाओं का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् विकास खण्डों के लिये बजट का आवंटन प्रथम चरण के अनुरूप किया जाना विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये अति लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा ।

5-8-2 :: पंचायत ::

5-8-2-1 :- भूमिका :- प्रदेश के अन्य जिलों की भाँति इस जनपद में भी गाँव सभा एवं न्याय पंचायतों के संगठन को अधिक महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता समझी गई। फलस्वरूप वर्ष 1960-61 में 575 गाँव सभाओं तथा 46 न्याय पंचायतों का संगठन कराया गया और तत्कालीन गाँव सभा /न्याय पंचायतों के क्षेत्र वृहत होने से उनके कार्य संचालन में कठिनाईयाँ अनुभव किये जाने पर पंचायतों के चतुर्थ सामान्य निर्वाचन के दौरान गाँव सभा न्याय पंचायतों का क्षेत्र सूक्ष्म किया गया। 801 गाँव सभाओं तथा 87 न्याय पंचायतों की स्थापना की गई। ये संस्थायें उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट तथा नियमों के अधीन अपने क्षेत्रान्तर्गत मुख्यतः चिकित्सा सफाई की व्यवस्था, सार्वजनिक मार्गों एवं भवनों का निर्माण, मरम्मत, जन्म मृत्यु लेखों का रख रखाव, ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मेलों की व्यवस्था, प्रारम्भिक शिक्षा, सामूहिक चरागाहों, पीने पानी की व्यवस्था राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा अपने निजी संसाधनों को जुटा कर करती हैं तथा उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। न्याय पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे मोटे झगड़ों का निस्तारण तथा 500/- रु0 तक के दीवानी दावों की सुनवाई कर जनता को सुलभ तथा उचित न्याय उपलब्ध कराया जाता है। गाँव सभाओं की आर्थिक स्थिति जटिल होने और उनकी आय के साधन सीमित होने के फलस्वरूप अपने छोटे मोटे व्यय (यथा लेखन सामग्री, कार्यालय प्रबन्ध) ही अनेक कठिनाईयों से कर पाती हैं और बिना शासकीय सहायता के वृहत योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती हैं। मुख्यतः विभिन्न प्रकार की योजनायें शासकीय अनुदान के साथ साथ श्रमदान से सम्पन्न कराई जाती हैं।

5-8-2-2 :- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत गाँव सभाओं द्वारा पंचायत राज एक्ट के अधीन करों का आरोपण कर अपने निजी प्रयासों से पंचायत कर की शतप्रतिशत धनराशि वसूल की गई। कतिपय गाँव सभाओं द्वारा विभागीय ऋण प्राप्त कर अपनी आय के साधनों में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त कर और जनता का श्रम जुटा कर गाँव सभाओं द्वारा गाँव सभा क्षेत्रों में पीने के पानी की योजनायें, यातायात के लिये मार्गों का निर्माण, स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था, पंचायत कार्यालय भवनों का निर्माण

कर ग्रामीण जनता को सुविधायें उपलब्ध कराई गईं। साथ ही परिवार नियोजन कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में योगदान देकर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कराने में सफल रही।

5-8-2-3 :- विकास सम्बन्धी चालू योजनाओं का मूल्यांकन :- पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में पंचायत कार्यक्रमों पर 1: 845 लाख रुपया व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 74-75 का परिव्यय 8400/-रु0 था और व्यय 8000/-रु0 हुआ। 1975-76 का परिव्यय 14400/-रु0 है। पाँचवीं योजना का कार्यक्रम तथा 74-75, 75-76 का भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ निम्न हैं [illegible] नक्शे [illegible] योजनाओं [illegible] 75-76 का लक्ष्य/ [illegible] :-

क्र०सं०	परियोजना	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति	31-3-74 तक की स्थिति	पाँचवीं योजना का लक्ष्य	1974-75 लक्ष्य	पूर्ति	1975-76
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण		52	68	6	-	-	1
2-	पंचायत राज संस्थाओं को प्रोत्साहन		-	6	15	3	3	3
3-	पंचायत सेवकों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण		-	9	20	-	-	-
4-	पंचायत कार्यालय भवन		-	2	3	-	-	-
5-	पुस्तकालय केन्द्र		-	-	3	-	-	-
6-	पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण		-	-	1720	100	100	-

5-8-2-4 :- दीर्घ कालीन परिपेक्ष :- गाँव सभाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वृहत योजनायें नहीं रखी गई हैं।

5-8-2-5 व 6 :- पृथक क्षेत्रीय नीति तथा प्राथमिकता पूर्ण कार्यक्रम :- कुछ नहीं कहना है।

5-8-2-7 :- संसाधनों का जुटाया जाना :- निर्धारित परिव्यय केवल राज्य परियोजनाओं के अन्तर्गत ही है।

5-8-2-8 शारिरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- नहीं है।

5-8-2-9 :- राज्य सरकार के वास्ते विचारणीय प्रश्न :- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सिविल वनों तथा बेनाप भूमि के पेड़ों की बिक्री की आय का केवल 40 प्रतिशत भाग ही गाँव सभाओं को जनोपयोगी योजनाओं के लिये प्राप्त होता है। शेष 40 प्रतिशत वन विभाग को तथा 20 प्रतिशत जिला परिषद को दिया जाता है। सिविल वनों की सम्पूर्ण धनराशि गाँव सभाओं को ही दिया जाय ताकि उनकी आर्थिक स्थिति [illegible] दृढ़ हो सके और वे अधिक सक्रिय बन सकें। वन पंचायतों व गाँव सभाओं का कार्य क्षेत्र पृथक पृथक है, यदि वन पंचायतों को गाँव सभाओं में सम्मिलित किया जाय और वन पंचायतों की आय गाँव सभाओं के नियंत्रण में दी जाय तो वन पंचायतें तथा गाँव पंचायतें अधिक क्रियाशील बन सकेंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में अभी बेनाप भूमि गाँव सभाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आई है। बेनाप भूमि गाँव सभा के अधिकार क्षेत्र में दिये जाने से वे उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोग में ला सकेंगी और भूमिहीनों को भूमि सही ढंग से वितरण में सहायक सिद्ध हो सकेगी।

5: 8: 3 प्रादेशिक विकास दल

5: 8: 3: 1 भूमिका :- प्रान्तीय रक्षक दल को परिवर्तित करके प्रादेशिक विकास दल के नाम से जाना जा रहा है । दल के द्वारा विगत् वर्षों में सुरक्षात्मक कार्य एवं उत्पादन तथा जन शिक्षा के लिये सभी विभागों के साथ सहयोग देकर कार्य करना पड रहा था । इधर राज्य सरकार ने अब अलग से विभाग को बजट दिया है और 1974-75 का लक्ष्य भी निर्धारित करके दिया है ।

5: 8: 3: 2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकनः- दल द्वारा ~~1973-74 तक 6 श्रमदान~~ शिविर लगाये गये हैं जिनके द्वारा 12 कि0मी0 सडक का निर्माण किया गया है । 11 विकास क्षेत्र स्तर पर योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 में युवक रैलियाँ की गई हैं । उक्त 11 ब्लाकों के लिये 1 वौली बाल स्पाट खेल कूद प्रोत्साहन के लिये दिया गया है ।

5: 8: 3: 3 विकास सम्बन्धी चालू योजनाओं का मूल्यांकनः- चालू योजनागत् काल में विकास दल द्वारा योजना के द्वितीय वर्ष 1975-76 में निम्न कार्य किये जाने का लक्ष्य है :-

:1: स्वयं सेवकों की अवैतनिक भर्ती की जावेगी । ग्राम सभा स्तर पर युवक मंगल दलों का गठन किया जावेगा । ग्राम्य युवक मंगल दल के सदस्यों के मनोरंजन तथा शारीरिक सम्वर्धन कार्य युवकों द्वारा समाज सेवा कार्य पूरे किये जावेंगे ।

:2: प्रत्येक ब्लाक में जहाँ बी0ओ0 उपलब्ध होगा वहाँ श्रमदान से अन्तर्ग्रामीण मार्गों तथा पुलों का निर्माण और सुधार किया जावेगा तथा श्रमदान द्वारा ही वृक्षारोपण कार्य एवं गड्ढों का निर्माण कार्य भी पूरा किया जावेगा । उपलब्ध बजट से युवकों के मनोरंजन हेतु खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा कृषि क्षेत्र में साग भाजी के विकास के लिये क्रिया शील युवक क्लबों को तथा सदस्यों को बीज व पौधे भी क्रय करके दिये जावेंगे । इस प्रकार युवकों के संगठनों को जन शिक्षा के माध्यम से विकास कार्यों की ओर प्रोत्साहित किया ~~जेर~~ जावेगा । जिससे उनकी भावनाओं को इस दिशा में परिवर्तित करने में पर्याप्त मदद मिल सके।

5: 8: 3: 4 दीर्घकालीन परिपेक्षः- चूंकि उपरोक्त योजना काल में योजनागत् के कार्यक्रम से पूरे किये जाते हैं जिससे ग्रामीण युवकों में अपने गाँवों को विकसित करने की जिज्ञासा बढेगी और कुछ समय बाद गाँवों में स्वावलम्बन, शिक्षा, समाज कार्य करने की भावना युवकों में बढेगी और अन्ततोगत्वा ग्रामों के स्वरूप को बदलने में ग्राम्य युवकों का हाथ होगा जो ~~शासन के समस्त योजनाओं में निहित हैं~~ ।

5: 8: 3: 5 व 5: 8: 3: 6 युवक स्तरीय नीति तथा प्राथमिकता पूर्ण कार्यक्रम :- कुछ नहीं कहना है ।

5: 8: 3: 7 संसाधनों का जुटाया जाना :- विकास खण्ड में उपलब्ध औजारों का प्रयोग किया जावेगा और अलग से क्रय करने हेतु बजट विभाग के पास नहीं है। परिव्यय केवल राज्य आयोजनागत् शीर्षक के अन्तर्गत् है ।

पाँचवीं योजना में 80 हजार रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है ।1974-75 में कुल 2:81 हजार रुपये का व्यय हुआ एवं 1975-76 का स्वीकृत परिव्यय 3:44 हजार रुपया है ।

5:8:38 शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- कोई टिप्पणी नहीं ।

5:8:3:9:- राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :-

:क: निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये 3 बी0ओ0 की नियुक्ति की जानी अति आवश्यक है । ताकि उन रिक्त तीन ब्लाकों में भी योजना कार्य पूरा हो सके और शासन से प्रदत्त अनुदान का सदुपयोग किया जा सके ।

:ख: सड़क निर्माण कार्य हेतु बजट अभी उपलब्ध नहीं है ।

:ग: किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

उपयोगिता और लाभ :- उपरोक्त योजनागत कार्यक्रम के द्वारा किसी वर्ग अथवा जाति विशेष को लाभ नहीं होगा बल्कि इस कार्य से क्षेत्र में जन सहयोग बढ़ेगा और सभी जनता तथा ग्राम्य युवक युवतियों को लाभ होगा । सहयोग से कार्य पूर्ण करवाने अथवा करने में बल मिलेगा । इस कार्य से ग्राम्य लोगों के अलगाव की स्थिति समाप्त होकर सद्भावना बढ़ेगी और प्रत्येक तरह से गाँव की उन्नति में सहायक हो सकेगा ।

-----

(73)

प्रादेशिक बिकास दल — पाँचवी योजनाका योजनावार परिव्यय (हजार रुपये में)

क्र०सं०	परियोजना	पाँचवीं योजना परिव्यय	1974-75 परिव्यय	1974-75 व्यय	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्वयं सेवक संगठन	14	0:82	0:82	0:44			
2	समाज सेवा कार्य	5	-	-	1:15			
3	जिला स्तर पर युवक गोष्ठी	5	-	-	-			
4	युवक मंगल दल क्लबों को प्रोत्साहन एवं सहायता	5	0:18	0:18	-			
5	व्यायाम शाला का रख रखाव	5	-	-	-			
6	व्यायाम शाला प्रशिक्षण	5	-	-	-			
7	बिकास खण्ड स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता एवं सहायता	14	1:65	1:65	1:65			
8	व्यायाम शाला स्टोर रूम हेतु अनुदान	5	-	-	-			
9	आकस्मिक प्रकीर्ण व्यय	1	0:20	0:19	0:20			
	योग:-	60	2:85	2:84	3:44			

5.9. विद्युत

5.9.1 भूमिका:- आज के वैज्ञानिक युग में विद्युत शक्ति ही हमारी आर्थिक उन्नति तथा विकास का मूल आधार बन गई है। किसी भी देश, प्रदेश एवं जिले के आर्थिक उन्नति को नापने का एक पहलु यह भी है कि वहाँ प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। पिथौरागढ़ जैसे पिछड़े हुए जिले में विद्युत शक्ति की उपयोगिता पर दो मत नहीं हो सकते हैं।

विद्युत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। अब विद्युत एक विलास की चीज नहीं रह गई है। मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत की खपत कम है। क्यों कि मैदानी भाग में नलकूप एवं पम्पिंग सेटों के लिये काफी मात्रा में विद्युत चाहिये जब कि पर्वतीय प्रदेश में ऐसी खपत नगण्य है। लेकिन घरेलु कार्यों में लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के कारण पर्वतीय प्रदेश के जंगल कटते जारहे हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वनों को बचाने के लिये घरेलु उपयोग के लिये अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराई जाय।

इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में निरन्तर खोज के कारण पर्वतीय प्रदेश में काफी खनिज पदार्थ मिल रहे हैं। अतः वन सम्पदा पर आधारित कुटीर उद्योग तथा खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि विद्युत का नियोजित विकास हो तथा इस जिले को अन्य पर्वतीय जिलों तथा मैदानी जिलों के अनुसार समान स्तर पर लाने के लिये इस असन्तुलन को समाप्त करना भी आवश्यक है अन्यथा यह स्थिति स्थान स्थान पर असन्तोष उत्पन्न करने का एक कारण हो सकती है। पिथौरागढ़ के पास चन्डाक नामक स्थान पर दो मैगनासाइट फैक्टरी तथा गंगोलीहाट में एक सीमेन्ट फैक्टरी लगेगी जिसके लिये भी काफी विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी।

5.9.2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- सीमान्त जिला बनते समय (वर्ष 1960) में इस जिले में कहीं भी विद्युत उपलब्ध नहीं थी तथा वर्ष 1961-62 में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय को विद्युत प्रदान करने हेतु एक डीजल विद्युत गृह का निर्माण किया गया तथा वर्ष 1963 में पिथौरागढ़ को विद्युत से सम्भारित किया गया।

इस समय इस जिले में चार डीजल विद्युत गृह एवं एक माइक्रो हाइडिल विद्युत गृह कार्य कर रहे हैं। यह विद्युत गृह क्रमशः पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला, लोहाघाट, एवं चम्पावत में है। इन विद्युत गृहों से स्थानीय लोगों को तथा आस पास के ग्रामों वर्ष 1975-76 में 29 सितम्बर 1975 को मुनस्यारी डीजल विद्युत गृह क्रियाशील किया गया। वर्तमान समय में इसमें केवल बन्द्रह किलोवाट का इन्जन लगाया गया है लेकिन इसकी क्षमता शीघ्र ही बढ़ायी जाने वाली है। ग्रामीण

विद्युतीकरण निगम् को एक योजना भेजी जा रही है जिसमें 50 कि0वा0 के चार इन्जन का प्राविधान है ।

इस समय कुल स्थापित क्षमता 1365 कि0वा0 है तथा वर्ष 1971-72 में 7,58,000 इकाई विद्युत पैदा की गई । इस समय करीब 2100 उपभोक्ता घरेलु प्रयोग के लिये विद्युत ले रहे हैं । 31 मार्च 1974 तक विद्युतीकृत नगर की संख्या एक तथा ग्रामों की संख्या 60 थी इसके अलावा अभी तक 14 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी किया जा चुका है । इस समय करीब 30 उपभोक्ता लघु औद्योगिक कार्यों के लिये विद्युत ले रहे हैं ।

इस समय करीब 96 कि0मी0 11 के0 वी0 पारेषण लाइन तथा 56 कि0मी0 वितरण लाइनें हैं जो कि इस जिले की आवश्यकता तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के अपेक्षा को देखते हुए अपर्याप्त है ।

7.6-3 विद्युत सम्बन्धी भावी योजनायें एवं कार्यक्रम

चूँकि जिले में स्थित विद्युत गृहों की कुल स्थापित क्षमता 1365 कि0वा0 है जो कि लघु उद्योगों, खनिज पर आधारित उद्योगों तथा घरेलु प्रकाश आदि के विकास के लिये अपर्याप्त है । इसके अतिरिक्त विद्युत शक्ति की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए इस जिले को बड़ी मात्रा में विद्युत उपलब्ध करने के उद्देश्य से जिले को प्रदेश के ग्रिड से जोड़ना उचित समझा गया ताकि इससे उद्योगों के विकास के लिये निरन्तर विद्युत मिलती रहे । जिले को ग्रिड से जोड़ते हुए अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ 72 कि0मी0 लम्बी एक पथीय 66 के0वी0 लाइन के निर्माण का प्राविधान रखा गया है तथा इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया है । इसके अलावा पिथौरागढ़ पर बनने वाले उप संस्थान हेतु भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है इसके अलावा बड़ी मात्रा में ग्रामों को विद्युत सप्लाई करने हेतु पिथौरागढ़, डीडीहाट, पिथौरागढ़ लोहाघाट एवं डीडीहाट धारचूला 33 के0 वी0 लाइनों का प्राविधान भी चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में रखा गया है । इसमें से पिथौरागढ़ डीडीहाट लाइन पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा पिथौरागढ़ लोहाघाट एवं डीडीहाट धारचूला लाईन एवं उप संस्थान स्वीकृत हो चुके हैं ।

इस पारेषण कार्यों के अतिरिक्त धारचूला में एक 200 कि0वा0 जल विद्युत गृह की स्थापना का कार्य भी चल रहा है जिसमें मेन स्टोक पार्ट्स के उपलब्ध न होने के कारण इस योजना की प्रगति काफी धीमी रही । लेकिन अब सामान के उपलब्ध हो जाने के कारण यह अनुमान है कि योजना 1975-76 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी जिससे धारचूला तथा आस पास के ग्रामों को बिजली मिलने लगेगी ।

5-9-4 दीर्घ कालीन उद्देश्य- हमारा दीर्घ कालीन उद्देश्य यह है कि 15 वर्षों के अन्तर्गत इस जिले के सभी ग्रामों को विद्युत उपलब्ध कराया जा सके ताकि उनका जीवन स्तर ऊँचा उठ सके। इसके लिये यह आवश्यक है कि निरन्तर विद्युत सप्लाई हेतु 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाइनें प्रचुर मात्रा में हों। वर्तमान स्थिति को देखते हुए परिषद ने पंचम प्लान में 415 तथा 1175 कि0मी0 11 के0वी0 लाइनों का प्राविधान रखा है। पाँचवीं योजना काल में विद्युत योजना पर कुल 387: 70 लाख रुपया व्यय किया जायेगा। वर्ष 1974-75 में 6: 26 लाख रुपया व्यय हुआ तथा 75-76 का परिव्यय 20: 89 लाख रुपया है।

इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यहाँ काफी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं तथा इनमें पानी का जल स्तर पूरे वर्ष भर एक समान रहता है। अतः यहाँ पर विद्युत उत्पादन हेतु बड़े बड़े बाँध बना कर विद्युत गृह बनाये जा सकते हैं जो कि केवल जिले के विकास लिये बल्कि प्रदेश के विकास में भी सहायक हो सकते हैं। इस तरह की एक योजना धारचूला तहसील में पंचेश्वर नामक स्थान के लिये तैयार की गई जिससे करीब 2250 मैगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। लेकिन यह योजना अन्तर्राष्ट्रीय नदी महाकाली पर होने के कारण अभी नेपाल सरकार के विचाराधीन है।

चूँकि पंचेश्वर योजना काफी पहिले तैयार की गई थी लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय नदी पर बाँध बनाने के कारण अभी तक नेपाल सरकार स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अतः इस जिले में पीली एवं गोरी दो नदियों के पानी का सदुपयोग करके विद्युत उत्पादन करने का विचार है। इसके लिये सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य सिंचाई विभाग कर रहा है तथा यह अनुमान किया जाता है कि यह कार्य आगामी पंच वर्षीय योजना में शुरू कर दिया जायेगा।

5-9-5 विकास के लिये युद्ध स्तरीय नीति:- जिला पिथौरागढ विद्युत विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है तथा इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ मोटर मार्ग एक तो अत्यन्त कम है तथा पैदल मार्ग काफी बीहड़ है जिससे लाईन के निर्माण हेतु सामान लाने ले जाने के लिये काफी दुविधा का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर इतना कम है कि वह विद्युतीकरण से सम्बन्धी खर्च को बरदाश्त नहीं कर पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि परिषद इनसे सर्विस लाईन की कीमत आदि चार या छः किश्तों में ले।

प्रदेश के कई स्थानों पर जन जातियाँ निवास करती हैं। जहाँ का काफी बीहड़ इलाका है तथा मोटर मार्ग न होने के कारण योजनाओं पर काफी लागत आती है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार ऐसी योजनाओं पर 100 प्रतिशत अनुदान दे ताकि यह कार्य पूर्ण कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त सीमेन्ट व स्टील की पूरे देश में कमी हो जाने के कारण यह देर से उपलब्ध हो पाता है। अतः यह आवश्यक है कि इस सीमान्त जिले को यह विशेष प्राथमिकता के आधार पर दिया जाय ताकि कार्य सुचारू रूप से कराया जा सके।

5-9-6 विकास के लिये प्राथमिकता पूर्ण कार्यक्रमः- इस जिले के नियोजित विकास के लिये यह आवश्यक है कि 66 के0वी0 ग्रिड लाइन को तुरन्त पूर्ण कराया जाय तथा विद्युत को भारी मात्रा में उपयोगी तथा दूर दूर स्थानों पर तथा कम हानि पर वितरण करने हेतु 33 के0वी0 लाइनों का पिथौरागढ़ से चार या पाँच स्थानों के लिये निर्माण किया जाय। इसके अतिरिक्त 33 के0वी0 पर भी दो या तीन स्थानों पर ग्रिड से जिला मुख्यालय को जोड़ा जाय ताकि किसी भी लाइन में खराबी आने पर उसे दूसरी लाइन से विद्युत सप्लाई की जा सके। इसके अतिरिक्त 11 के0वी0 लाइनों का जाल बिछाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि विद्युत हर ग्राम तक पहुँचाई जा सके।

5-9-7 संसाधनों का जुटाना:- किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान के सफल संचालन के लिये यह आवश्यक है कि उसके वित्तीय संसाधन सुदृढ़ हों ताकि वह संस्थान को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को ठीक प्रकार चला सके। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद जैसे सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसे वित्तीय संसाधन समुचित हों।

(अ) विभागीयः- राज्य विद्युत परिषद एक सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान है तथा यह विकास शील संस्थान है। अतः इसके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि यह विद्युत योजनाओं को अपने आन्तरिक संसाधनों द्वारा चला सके। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार इसको योजनाओं के लिये ऋण व अनुदान दे अभी तक राज्य व केन्द्र सरकार इस जिले की योजनाओं पर 70:62 प्रतिशत राज्य सहायता दे रही है।

(ब) संस्थागत :- पंचम पंच वर्षीय योजनाओं की शेष 29:28 प्रतिशत धनराशि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ही दी जावेगी क्यों कि इसके बिना राज्य विद्युत परिषद इन योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ होगा।

5:9:8 विकास कार्यक्रमों के लिये शारीरिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकताः-

पहाड़ी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति मैदानी क्षेत्र से भिन्न होने के कारण यहाँ का निर्माण कार्य भी भिन्न सा है। इसके अलावा जहाँ मैदानी क्षेत्र में सामान ट्रैक्टर द्वारा आसानी से इधर उधर ढोया जा सकता है तथा रास्ता न होने के कारण उस पर इसे चलाया जा सकता है। लेकिन पर्वतीय [illegible] है। [illegible] लाइन [illegible] लिये [illegible] से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तथा [illegible] भिन्न होने के कारण यह [illegible] है कि [illegible] अनुभव [illegible] को केवल [illegible]

[illegible]

प्रदेश में ऐसा सम्भव नहीं है । चूंकि इस जिले में मोटर मार्गों की कमी है । अतः कई स्थानों पर लाइन निर्माण के लिये अतिरिक्त रूप से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तथा निर्माण कार्य भिन्न होने के कारण यह आवश्यक है कि इस स्थान पर अनुभवी योग्य व्यक्तियों को भेजा जाय तभी कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा ।

इतनी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिये पाँच वर्षों में 1000 अप्रशिक्षित व्यक्तियों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी इसके अतिरिक्त करीब 140 तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी । जिनमें 20 लाईन मैन, 40 पेट्रोल मैन, तथा 50 लाईन कुली होने चाहिये । इसके अतिरिक्त करीब 10 जूनियर अभियन्ताओं तथा दो सहायक अभियन्ताओं की आवश्यकता होगी ।

इसके अतिरिक्त इतनी बड़ी योजना को पूर्ण करने के लिये यह आवश्यक है कि एक ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड गंगोलीहाट में तथा एक विद्युत प्रसारण उपखण्ड पिथौरागढ़ में खोला दिया जाय ।

5-9-9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :- इस पर्वतीय सीमान्त जिले की जनता अत्यन्त गरीब है तथा यहाँ का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर का है । अतः यह आवश्यक है कि सरकार निम्न बातों पर ध्यान दे तथा नीति निर्धारित करें :-

(1) हाई वोल्टेज ट्रान्समिशन पर लगने वाला खर्च सरकार अनुदान के रूप में दें ।

(2) इस समय ग्राम का विद्युतीकरण 8% प्रति लाभ मिलने पर किया जाता है । इसे घटा कर 4% कर दिया जाय, क्योंकि यहाँ लाइन निर्माण का खर्च ज्यादा है और उस अनुपात में कनेक्शन हो जा पाते हैं तथा केवल घरेलू तथा कुछ औद्योगिक कनेक्शन हो जा पाते हैं ।

(3) राज्य सरकार यहाँ के खर्च को 79.62 प्रतिशत अनुदान के रूप में दे ।

(4) पिछड़ी हुई जन जाति के क्षेत्रों को विद्युतीकरण हेतु 100 % अनुदान मिले ।

(5) यहाँ के निवासियों को कम ब्याज की दरों पर ऋण दें ताकि वह लघु उद्योग खोल सकें ।

(6) कुछ उद्योग सरकार द्वारा खोले जाँय ताकि यहाँ के कच्चे माल से सामान तैयार कर मैदानों में भेजा जा सके ।

(7) परिषद सर्विस लाईन का मूल्य चार या छः किश्तों में वसूल करे ।

5:10 उद्योग

5:10:1 भूमिका :- वर्ष 1960 के उपरान्त पिथौरागढ़ जनपद के आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक विकास हेतु उद्योग विभाग द्वारा अपना कार्यक्रम दो भागों में विभक्त करके प्रारम्भ किया जिसके लिये निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र बनाये गये। निजी क्षेत्र में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिये औद्योगिक ऋण एवं अनुदान योजनाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की राजकीय योजनाओं को चालू कर जनपद में औद्योगीकरण का वातावरण बनाया गया। साथ ही अल्पावधि तकनीकी प्रशिक्षण का कार्य भी रखा गया ताकि औद्योगीकरण का प्रवेश सुनिश्चित तौर पर किया जा सके। 1960 में यहाँ तीन उद्योग योजनायें तथा एक सिलाई केन्द्र कार्यरत था जो छोटे स्तर पर चलाई जा रही थी।

5:10:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- वर्तमान समय में उद्योग विभाग की विभिन्न प्रकार की 21 योजनायें जनपद में कार्यरत हैं, तथा 22वीं योजना के क्रियान्वयन के लिये कार्यवाही चल रही है। पर्वतीय जनपद होने के फलस्वरूप यहाँ वन सम्पदायें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं जैसे विभिन्न प्रकार की लकड़ी, बैंत, लीसा, जड़ीबूटी इत्यादि। साथ ही अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे सोपस्टोन, मैग्नेसाइट, स्लेट पत्थर, चूना, सीमेन्ट, इत्यादि भी उपलब्ध हैं। जनपद का नेपाल की सीमा से मिले होने से कच्चे ऊन की उपलब्धि भी भोटिया लोगों के माध्यम से हो जाती है। यह कच्चा ऊन देश के बड़े बड़े व्यापारियों तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा क्रय किया जाता है। इस ऊन का मूल्य निर्धारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भोटिया व्यापारियों तथा निर्धारित कमेटी के माध्यम से किया जाताहै। इसके लिये ऊन की लागत व्यापारियों का लाभ व अन्य खर्चों को ध्यान में रखा जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में चालू विभिन्न योजनाओं जैसे काष्ठकला, कृषि उपकरण एवं धातु उद्योग, ऊन उद्योग, चर्म उद्योग इत्यादि

के लिये कच्चा माल जैसे सोजन्ड लकडी, लोहे की चादरें व अन्य उपकरण रंग रसायन विभिन्न प्रकार के तागे इत्यादि वस्तुओं का क्रय मैदानी इलाके से करना पडता है । ये वस्तुयें इस जिले में पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध नही हो पाती हैं । प्रस्तर दो में उल्लिखित कच्चे माल की उपलब्धि की कठिनाईयों के होने पर भी विभाग द्वारा संचालित सभी योजनायें प्रगतिशील स्तर पर चल रही हैं। निजी क्षेत्र में अनेक प्रकार के लघु उद्योगों की स्थापना हुई है जिसके फलस्वरूप वर्ष 1971-72 तक 244 तथा वर्ष 73-74 तक 312 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है । इनसे 1500 आदमियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है । अधिकतर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों द्वारा की गई है जिनका जनपद में बाहुल्य है ।

5.10.3- विकास सम्बन्धी चालू योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकनः-

विभाग द्वारा इस समय 21 योजनायें जनपद में चलाई जा रही हैं जिनमें से कार्डिंग एवं फिनिशिंग प्लान्ट ऊनी हथकरघा योजना को छोड कर अन्य 19 योजनायें प्रगतिशील हैं। कार्डिंग एवं फिनिशिंग प्लान्ट तथा हथ करघा योजना के भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण होनी है । भवनों के निर्माण के पश्चात् मशीनों की स्थापना की जायेगी तथा उत्पादन कार्य किया जायेगा । अन्य चालू योजनाओं की समालोचनात्मक मूल्यांकन निम्न प्रकार हैः-

ऊनी योजनायें - औद्योगिक विकास एवं तकनीकी ज्ञान और उसके फलाफल हेतु विभाग द्वारा अनेक प्रकार की निम्न ऊनी योजनायें जनपद में चलाई जा रही है । (1) कार्डिंग प्लान्ट एवं जल चर्खा योजना (2) ऊन उत्पादन योजना (3) ऊन विकास योजना (4) ऊन उपयोगी योजना (5) सचल रंगाई योजना (6) नमदा योजना आदि । इनके केन्द्र धारचूला, मुनस्यारी, थल, गलाती, कालिका, वलुवाकोट, छोरीपगड, तेजम, लोहाघाट, चम्पावत एवं विण नामक स्थानों में स्थित है । इन योजनाओं का कार्य अत्यन्त सन्तोषजनक रहा है । इन योजनाओं द्वारा सम्मिलित तौर पर वर्ष 1973-74 में रु0 56377: 00 का उत्पादन रुपया 1, 43, 565: 00 की बिक्री तथा 23 व्यक्तियों को ऊनी उद्योग में प्रशिक्षित किया गया । [illegible] वर्ष 74-75 में रु081, 299: 00 का उत्पादन रु0 133155: 00 [illegible] की बिक्री की गई । उत्पादन में कमी महज कच्चे माल (ऊन) के आवश्यकतानुसार न मिलने के कारण हुई है जैसा कि क्रम 5.02 में कच्चे माल (ऊन) की उपलब्धि न होने के सम्बन्ध

मैं उल्लेख किया गया है । अगर वर्तमानों में यदि कभी भी उपलब्धियों में कठिनाई उत्पन्न हुई तो उनी योजनाओं का विकास अवरुद्ध हो जायेगा । जनपद मिर्जापुर में विशेष तौर पर उनी कारोबार का ही जनपद है । अतः जनपद के विकास के लिये विभाग द्वारा चलाई जा रही उनी योजनाओं को उनको उपलब्धि कराना नितान्त आवश्यक है । यह भी विचारणीय है कि अगर समस्त उनी योजनाओं को सम्मिलित कर एक ही उनी योजना बनादी जाय तो इसके कार्यक्रम में सरलता एवं नवीनता आजायेगी । विभागीय कार्य भी सरलता से सम्पन्न हो सकेगा ।

काष्ठकला योजना :- जनपद में वर्ष 62-63 से पूर्व ऐसी कोई योजना नहीं थी जो जनपद की लकड़ी के फर्नीचर ~~खिड़की दरवाजे~~ ~~इत्यादि~~ इत्यादि की माँग पूर्ति करती । जनपद के लोगों को/फर्नीचर जिले के बाहर से मंगाना पड़ता था । यातायात कठिनाइयाँ एवं महँगाई के कारण बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी । विभाग ने वर्ष 62-63 में काष्ठ कला योजना चलाई और उसका केन्द्र [illegible] नामक स्थान पर स्थापित किया और तब से जनपद के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की माँग की पूर्ति कर रहा है । वर्ष 1973-74 में इस केन्द्र द्वारा 28,692 का उत्पादन रु0 35792 /- की बिक्री एवं 5 प्रशिक्षार्थियों को काष्ठकला उद्योग में प्रशिक्षित किया । वर्ष 74-75 में रु0 28,894/- का उत्पादन एवं 37,874/- की बिक्री की गई । यह योजना जनपद के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है, और सफल योजनाओं में से है ।

कृषि उपकरण एवं धातु उपयोग योजना :- यह योजना वर्ष 64-65 से इस जिले में चलाई गई है जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में लोहे के फर्नीचर, उपकरण इत्यादि की पूरी पूर्ति कर रही है । वर्ष 73-74 में इस योजना द्वारा रु0 24,544/- की उत्पादन रु0 25,499/- की बिक्री की गई तथा 2 प्रशिक्षार्थियों को उक्त प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया । वर्ष 74-75 में रु0 18,341/- उत्पादन एवं 23,461/- की बिक्री की गई । योजना सफलता पूर्वक जनपद में कार्य कर रही है ।

हस्तकला योजना :- यह योजना वर्ष 1961-62 से जनपद में चल रही है । इस योजना के दो भाग हैं (1) सिलाई एवं हौजरी योजना (2) [illegible] कढ़ाई एवं बुनाई, दरी गलीचा योजना । इस योजना के अन्तर्गत महिला वर्ग को हस्तकला में प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाना है जिससे वे अपना निजी जीवन में इसका उपयोग कर लाभ उठा सकें । इस योजना द्वारा उत्पादन कार्य भी किया जाता है । वर्ष 1973-74 में इस योजना द्वारा 48,924/-मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन तथा 47,051/- रु0 की बिक्री तथा 72 प्रशिक्षार्थियों को

उक्त उद्योग में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 1974-75 में 35,665/-रु0 का उत्पादन एवं 26,181/-रु0 की बिक्री की गई। योजना को सफल बनाने के लिये एक डिजाइनर तथा एक रंगाई प्रविधिक की नितान्त आवश्यकता है।

रिंगाल एवं काष्ठकला विकास योजना:- यह योजना वन सम्पदा पर आधारित योजना है। जनपद में रिंगाल नामक बेंत अधिकता से पाया जाता है जिसके द्वारा प्रति दिन काम में लाये जाने वाले आकर्षक वस्तुयें जैसे कंडी, टोकरी, सूटकेस, चटाई, द पूप इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। यह कम लागत की एक छोटी योजना है। वर्ष 1973-74 में इस योजना के अन्तर्गत 4939/-रु0 का उत्पादन एवं 3180/-रु0 की बिक्री की गई तथा 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 1974-75 में 3939/-का उत्पादन एवं 79[illegible]/-की बिक्री की गई।

चर्म शोधन एवं जूता निर्माण योजना:- इस योजना के दो भाग हैं (1) चर्म शोधन तथा (2) जूता निर्माण। पहिले भाग में मरे हुए जानवरों की खाल को तकनीकी तौर पर शोधित किया जाता है तथा दूसरे भाग में जूता चप्पल इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 1973-74 में इस योजना के अन्तर्गत 2148/-का उत्पादन, 3215/-की बिक्री तथा 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 1974-75 में 1713/-का उत्पादन तथा 2168/-की बिक्री की गई। इस योजना को सफल बनाने हेतु इसके केन्द्र को वर्तमान स्थान मकेगीस से स्थानान्तरित कर सेराघाट में स्थापित किया जा रहा है जहाँ पर चर्मशोधन एवं जूता निर्माण सम्बन्धी कारीगर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

क्रय विक्रय संगठन योजना:- यह योजना विभाग के अन्तर्गत चल रही समस्त उन्हीं योजनाओं के माल की बिक्री करने हेतु पिथौरागढ़ में स्थापित की गई है। वर्ष 1973 में इस योजना द्वारा 1,65,540/-रु0 की बिक्री की गई तथा वर्ष 1974-75 में रु0 97,182/- की बिक्री की गई। उत्पादित माल की अधिक निकासी एवं प्रचार हेतु इसके अनेक केन्द्र जनपद के बाहर भी खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

कच्चा माल उपकरण एवं क्रय-विक्रय डीपो:- यह योजना वर्ष 1966-67 से इस जनपद में चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय शिल्पियों को कच्चे माल की उपलब्धि तथा छोटे छोटे उपकरणों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना एवं उन्हें काम में लाने की शिक्षा व्यवस्था है। साथ ही शिल्पियों द्वारा तैयार माल की निकासी की भी व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत की जाती है। वर्ष 1973-74 में इस योजना के अन्तर्गत 455/-रु0 का कच्चा माल तथा उपकरण शिल्पियों को उपलब्ध कराये गये तथा वर्ष 1974-75 में 732/-रु0 का कच्चा माल तथा उपकरण शिल्पियों

को उपलब्ध कराये गये ।

<u>औद्योगिक ऋण योजना</u> :- यह योजना जनपद के निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये वर्ष 1960-61 से चलाई गई है । इसके अन्तर्गत जनपद के इच्छुक व्यक्तियों को लघु उद्योगों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जिससे ये उद्यमी जनपद में औद्योगिक निजी इकाईयों की स्थापना कर सकें। तथा जनपद के विकास में योगदान दे सकें । वर्तमान समय में जनपद के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार के लघु उद्योगों की स्थापना की गई है । इससे औद्योगीकरण का प्रभावशाली वातावरण उत्पन्न हुआ है ।

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 1973-74 में रु0 1,10,00/- रु0 का ऋण वितरण 36 व्यक्तियों को किया गया है।

वर्ष 1974-75 से इस योजना में कोई प्राविधान प्राप्त नहीं हो पाया है जिससे जनपद के उन इच्छुक उद्यमियों को जो आर्थिक अक्षम के कारण किसी प्रकार का लघु उद्योग नहीं स्थापित कर सके हैं प्रचुर धक्का लगा है क्यों कि आर्थिक सहायता के बिना इन पिछड़े हुए जनपद में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करना कठिन है । अतः इस तत्व को ध्यान में रखते हुए पंचम पंच वर्षीय योजना में इसके लिये उचित प्राविधान उपलब्ध कराने की पूर्ण व्यवस्था की गई है ।

<u>औद्योगीकरण हेतु विशेष सहायता (अनुदान)</u>:- जनपद के लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह योजना वर्ष 1969-70 से चालू की गई । इसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग स्थापित करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को जो धनाभाव के कारण उद्योग की स्थापना करने में असमर्थ रहते है उन्हें उपकरणों एवं कार्यशाला की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है । इस योजना द्वारा जनपद की अनेक इकाईयों को सहायता दी गई है । वर्ष 1973-74 में 35 इकाईयों को 29,000/- की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई । औद्योगिक ऋण योजना की भाँति इस योजना में भी वर्ष 1974-75 में कोई प्राविधान प्राप्त नहीं हुआ ।

10.4- <u>दीर्घ कालीन रूप रेखा (परिप्रेक्षा)</u>:- जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है । निजी क्षेत्र में जनपद के लोग अच्छी लागत पर उद्योग खोलने के इच्छुक हैं । सम्भावित बड़े उद्योगों की कार्यवाहियाँ भी चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में चलाई गई हैं जिन्हें पंचम पंच वर्षीय योजना काल में पूरा होना है । पाँचवी योजना में कुल

परिव्यय 24.70 लाख रूपये प्रस्तावित है । वर्ष 1974-75 एवं 1975-76 का पंचम पंच वर्षीय योजना काल में प्रस्तावित योजनाओं का विवरण एवं परियोजनावार परिव्यय निम्न प्रकार है :-

पाँचवीं पंच वर्षीय योजना तथा वर्ष 75-76 का योजनावार परिव्यय

(हजार रूपये में)

क्र0सं0	परियोजना	पाँचवीं योजना का परिव्यय	वर्ष 74-75 का परिव्यय	व्यय	परिव्यय 75-76	परिव्यय 76-77
1	2	3	4	5	6	7
१-	लघु स्तरीय उद्योग					
	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा क्रय पद्धति पर मशीन उपलब्ध कराने पर ब्याज का अन्तर ।	20	-	-	1	
2-	किराया क्रय पद्धति पर मशीनें ।	-	25	25	9	
3-	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा अंशधारी विनियोजन ।	100	-	-	-	
4-	उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा ऋण ।	200	50	50	25	
5-	बैंकों द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज हेतु अनुदान।	-	-	-	1.5	
6-	अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग	-	-	-	4	
7-	विद्युत राज्य सहायता	100	-		12	
8-	जेनरेटिंग सैट लगाने हेतु सब्सीडी ।	500	-	-	10	
9-	औद्योगिक सहकारिता	-	-	-	15	
10-	प्रदर्शनी एवं मेला	-	-	-	1	
11-	सम्पन्न जिलों के लिये ऋण ।	800	60	60	15	
12-	संगठनात्मक ढांचे का सुधार	50	-	-	-	
13-	आवासीय/कार्यालय भवन ।	200	-	-	-	
14-	हस्त शिल्प सहकारी समितियों का विकास तथा वित्तीय सहायता ।	-	1	1	-	
15-	अखिल भारतीय हस्त शिल्प सप्ताह ।	-	1	1	-	
16-	रिंगाल लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाने हेतु पिथौरागढ जिले में प्रशिक्षण केन्द्र एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना ।	500	50	50	65	
17-	हस्त शिल्प इकाईयों तथा कारीगरों का सर्वेक्षण ।	-	3	3	-	

योगः - 2470 190 190 159

- -

निजी क्षेत्रः- उ0प्र0 लघु उद्योग निगम् :-

जनपद के लघु स्तरीय उद्योग कर्ता ओं को उद्योग की स्थापना हेतु और कार्यरत् औद्योगिक इकाईयों को उनके आधुनीकरण तथा उनके विस्तार के लिये नये नये उपकरणों तथा मशीनों के प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पडता है । अतः उ0प्र0 लघु उद्योग निगम् द्वारा लघु स्तरीय उद्योग कर्ताओं को मशीने उपलब्ध कराई जाती हैं । इस योजना के अन्तर्गत् मशीनें स्वीकृत होने पर दस प्रतिशत् की रकम् बयाने के तौर पर तथा 2 प्रतिशत् सेवा शुल्क जमा करना होता है । शेष का भुगतान एक वर्ष बाद प्रारम्भ होता है । इस पर ब्याज की दर 10 प्र तिशत् है व समय पर भुगतान करने पर 2% प्रतिशत् की छुट दी जाती है ।

2- उ0प्र0 लघु उद्योग निगम् द्वारा सक्रिदारी विनियोजनः- इस योजना के अर्न्तगत् निगम् द्वारा कच्चे माल का क्रय कर इसको इकाईयों में वितरित करना है तथा आयातीत कच्चे माल को मगाने के लिये इकाई यों की ओर से धन का विनियोजन करना है जिससे इकाईयों को कच्चा माल बगैर वित्तीय कठिनाई के उपलब्ध हो सके ।

3- उ0प्र0 वित्तीय निगम् द्वारा ऋण :- इसके द्वारा पिछडे जिलों के लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये रियायती दरों पर औद्योगिक ऋण दिया जाता है । ऋण की ब्याज की दर 7/-रु0 और 7, 1/2 प्रतिशत् देनी होती है । ऋण का भुगतान समय से किये जाने पर 1, 1/2 प्र तिशत् की छुट ब्याज में दी जाती है । उद्योगों को ऋण देने के चार वर्ष बाद ऋण का भुगतान करना होता है । भुगतान की अवधि 15 वर्ष निश्चित कीगई है जिसके लिये मार्जिन 15 से 35 प्रतिशत् होता है । लघु उद्योगों की स्थापना में उक्त निगम् महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहा है । निगम् व बैंकों द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज हेतु औद्योगिक इकाईयों को अनुदान भी दिया जावेगा ।

4- अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग :- अतिरिक्त कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पर्वतीय जिलों में वांछित है उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1- सर्वे अधिकारी ।

2- औद्योगिक विकास अधिकारी ।

3- औद्योगिक प्र विधिक अधिकारी ।

4- अधीक्षक (ऋण उपयोगिता एवं वसूली)

उपर्युक्त कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति से जनपद के औद्योगिक विकास में तीव्रता आ जायेगी क्योंकि सभी औद्योगिक इकाईयों की समस्याओं का समाधान जनपद के अन्तर्गत ही सरलता से हो जायेगा तथा तकनीकी परामर्श भी समय समय पर सुगमता से उपलब्ध हो जायेगा।

5- विद्युत राज्य सहायता :- जनपद में कुछ उद्योगों का कार्य विद्युत के द्वारा सम्पन्न होता है जैसे आटा चक्की, आरा मशीन, मोटर वर्कशाप, इत्यादि। इस योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों को पावर सबसीडी देने का प्राविधान रक्खा गया है ताकि उनको कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाय और उनके विकास में रूकावट न आवें।

6- औद्योगिक सहकारिता- जनपद में 21 पंजीकृत औद्योगिक सहकारी समितियाँ हैं जो प्रायः सभी मृत अवस्था में हैं। इन समितियों का पुर्नजीवीकरण एवं नई औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापनार्थ सहकारिता कर्मचारियों को (सहकारिता निरीक्षक एवं सुपरवाइजर) अत्यन्त आवश्यक है। लम्बी अवधि से उक्त कर्मचारियों की इस जनपद में नियुक्ति न होने से इस क्षेत्र में प्रगति शून्य हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परिव्यय की धनराशि को कार्यान्वित करने के लिये सहकारिता कर्मचारियों की नियुक्ति नितान्त आवश्यक है।

7- सीमान्त जिलों के लिये ऋण- यह योजना जनपद के निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने के लिये प्रमुख योजना है। इस योजना द्वारा जनपद के उन व्यक्तियों और फर्म को सहायता ऋण के रूप में दी जाती है जो व्यक्ति जनपद में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हों। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योगों की स्थापना जिले में की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत अनुमानतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 2000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। भविष्य में भी इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा और नाना प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जावेगी ताकि जनपद के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके और जनपद का विकास तीव्रता से किया जा सके। प्रति वर्ष कम से कम 35 लघु उद्योगों की स्थापना का विचार रक्खा गया है। इसके लिये प्रतिवर्ष 1,20,000 रूपये की आवश्यकता होगी। वर्ष 1974-75 में इस मद के अन्तर्गत कोई भी प्राविधान विभाग से प्राप्त न होने के कारण वर्ष 74-75 में इस योजना में कोई व्यय नहीं हुआ।

8- संगठनात्मक ढाँचे का सुधार:- जनपद के संगठनात्मक ढाँचे के

सुधार हेतु विशेष प्राविधान रखा गया है जिससे जनहित के कार्यों में सरलता एवं सुगमता के साथ साथ औद्योगिक प्रगति के प्रत्येक कार्य में शीघ्रता से कार्य हो सके ।

9- आवासीय/कार्यालय भवन निर्माण :- कर्मचारियों के उचित निवास योग्य प्रबन्ध के लिये उनके लिये आवासीय भवनों का निर्माण करना भी आवश्यक है जिससे कर्मचारी बगैर किसी कठिनाई के जनहित के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योग दे सकें ।

10- हस्तशिल्प सहकारी समितियों का विकास तथा वित्तीय सहायता -

जनपद के हस्तशिल्प सहकारी समितियों को संगठनात्मक ढांचे में लाकर उनका समुचित विकास करना तथा इन समितियों के विकासार्थ आर्थिक सहायता देकर हस्तशिल्प उद्योग को विकसित करना है।

11- अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह:- ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर हस्त शिल्प सप्ताह मनाये जायेंगे जहाँ पर प्रत्येक हस्तशिल्प सम्बन्धी कठिनाईयों का निवारण करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तम हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन के रूप में पारितोषिक धनराशि भी देने का प्राविधान रखा गया है ।

12- रिंगाल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र:- रिंगाल लकड़ी से दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें बनाने के लिये वर्तमान रिंगाल केन्द्र का विस्तार किया जाना है जिससे कि उक्त केन्द्र समुचित प्रगति कर सके तथा जनपद में ही उपलब्ध रिंगाल (कच्चा माल) का समुचित प्रयोग कर विकास के पथ में योगदान दे सकें । प्राविधान प्राप्त न होने के कारण वर्ष 1974-75 में इस योजना में कोई भी व्यय नहीं हुआ।

13- हस्तशिल्प इकाईयों तथा कारीगरों का सर्वेक्षण :- हस्तशिल्प उद्योग के कारीगरों तथा इकाईयों को समुचित प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक प्रकार की सुविधा का प्राविधान रखा गया है तथा इसकी उन्नति के लिये यह भी आवश्यक है कि इन उद्योगों तथा कारीगरों का सर्वेक्षण किया जाय जिससे सही स्थिति का ज्ञान भी हो सके एवं उनकी सार्वजनिक एवं तकनीकी कठिनाईयों को भी दूर किया जा सके।

5:10:5 विकास के लिये युद्ध स्तरीय नीति:- विभाग के अन्तर्गत चल रही सभी उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित कर उनका एकीकरण किया जावे जिससे विभिन्न योजनाओं की पृथक पृथक कार्यवाही करने के स्थान पर एक साथ कार्यवाही करने से सुगमता हो सके और विकास कार्यों में तीव्रता से प्रगति लाई जा सके ।

ऊन की उपलब्धि की कठिनाईयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि नैपाल से आने वाली ऊन पर तुरन्त नियंत्रण कर लिया जाय जिससे कच्चे माल के अभाव में ऊन योजना के उत्पादन कार्य में रूकावट न आवें । साथ ही ऊनी वस्तुओं की किस्म सुधारने के लिये अच्छी ऊन (आस्ट्रेलियन [illegible] ऊन) उपलब्ध कराई जावें ।

5:10:6 विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर पूतिपूर्ण कार्यक्रम :- इस जनपद के भोटिया लोग वंश परम्परा से ऊनी कारोबार करते आरहे हैं । यह कारोबार जनपद का प्रमुख कारोबार है अतः इस कारोबार को प्राथमिकता देना जनहित में है , साथ ही लकडी तथा लोहे के कारोबार , फर्नीचर एवं उपकरण के विकास को भी इस जिले के हित के लिये विकसित करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि इनकी प्राप्ति के लिये बाहर के जिलों पर निर्भर न रहना पडे ।

5:10:7 :- संसाधनों का जुटाया जाना :- जनपद में प्राकृतिक संसाधन जैसे लकडी, सोप, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] है । इसके उपयोग के लिये प्राविधान [illegible] की आवश्यकता [illegible] ताकि इनपर आधारित उद्योगों को खोला जा सके । इनके वास्ते धन की व्यवस्था संस्थागत वित्त से की जानी चाहिये ।

5:10:8 विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- एक डिजाइनर कम आर्टिस्ट तथा एक [illegible] [illegible] की आवश्यकता है ताकि अच्छे रंगों का उपयोग किया जा सके । साथ कुशल श्रमिकों की [illegible] एवं [illegible] [illegible] के [illegible] के लिये अति आवश्यकता है ।

5:10:9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न:- नैपाली ऊन विगत वर्षों तक उपलब्ध होता रहा किन्तु अब उसकी समस्या जटिल होती जारही है जिसका कुप्रभाव ऊनी कारोबार में तुरन्त पडने के आसार प्रतीत होते हैं. भोटिया लोग(व्यापारी)ऊन की कीमत पर भारी बढोत्तरी कर रहे हैं और ऊँची कीमत पर जिले के बाहर व्यापारियों को देने के इच्छुक हैं। अतः प्रस्तावित है कि नैपाली ऊन की उपलब्धि जब भोटिया व्यापारियों द्वारा धारचूला में की जावें तो उसे नियंत्रण में लिया जावें और उचित दर निश्चित कर प्रथम जनपद के ऊनी कारोबार करने वालों तथा विभाग की ऊनी योजनाओं के लिये उपलब्ध कराया जावें तभी जिले से बाहर भेजा जावे

जनपद में औद्योगिक विकास के लिये लघु उद्योगों का विस्तार एवं विकास आवश्यक है ।लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिये ऋण योजना का विस्तार आवश्यक है ताकि जनपद के उद्योग पतियों को उद्योग खोलने में अधिक सरलता हो और सहुलियत प्राप्त हो [illegible] [illegible] इसके लिये अतिरिक्त [illegible] का प्रबन्ध किया जावें।

5- 10.2 खादी ग्रामोद्योग

खादी तथा ग्रामोद्योगो विकास कार्यों के लिये पिथौरागढ जनपद में बोर्ड का कार्यालय अगस्त 1973 में खोला गया । वर्तमान समय में प्रभारी ग्रामोद्योग अधिकारी एवं औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक हो नियुक्त हो सके है।

इस कार्यालय का उद्देश्य इस क्षेत्र के स्थानीय कच्चा माल से स्थानीय ग्रामोद्योगी कारीगरों [illegible] द्वारा ग्रामोद्योगों का विकास करवा कर रोजगार की सम्भावना को बढाना है जिससे इन पारम्परिक कारीगरों की आर्थिक स्थिति को सुधार कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके ।

निम्न लिखित 22 उद्योगों को ग्रामोद्योगों में सम्मिलित किया गया :-

1- खादी, ऊनी, रेशमी खादी उद्योग ।
2- अनाज तथा दाल प्रशोधन ।
3- चर्मशोधन एवं चर्मकला ।
4- ग्रामीण कुम्हारी उद्योग ।
5- ग्रामीण तेल उद्योग ।
6- अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग ।
7- कुटीर दिया सलाई उद्योग ।
8- रेशा उद्योग (रस्सी बान)
9- [illegible]
10- गुड खाँडसारी उद्योग ।
11- ताडगुड उद्योग (उत्पादन)
12- रेशम उद्योग ।
13- चूना उद्योग ।
14- हस्त निर्मित कागज उद्योग ।
15- [illegible]
16- फल संरक्षण उद्योग ।
17- जडीबूटी संग्रहण, प्रशोधन ।
18- कत्था, लाख, गोंद, शुल्क उद्योग ।
19- अल्यूमीनियम के बर्तन बनाना ।
20- मौन पालन ।
21- गोबर गैस संयंत्र ।
22- लीसा ।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उपरोक्त उद्योगों के विकास के लिये औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन करवा कर

सदस्यों को प्रशिक्षण दिलवा कर , समितियों को मशीन, औज़ार कच्चा माल , उत्पादन व्यय, कार्यशाला निर्माण आदि तथा व्यवस्था हेतु ऋण एवं अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त कुछ उद्योगों में प्रशिक्षित एवं अनुभवी कारीगरों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

वर्तमान समय में इस जनपद में निम्न लिखित औद्योगिक सहकारी समितियाँ हैं :-

ऊनी उद्योग की समितियाँ	8 (2 कार्यरत 6 , [illegible])	शिथिल
काष्ठ कला एवं लौह कला	2 (शिथिल)	शिथिल
चर्मकला एवं चर्मशोधन	3 (1 कार्यरत 2 [illegible])	
जडीबूटी उद्योग	1 (कार्यरत)	
गुड खाँडसारी	1 ([illegible])	शिथिल
ग्राम इकाई	1 ,,	
च्यूरा उद्योग	2 ,,	

उपरोक्त समितियों के कुल सदस्यों की संख्या 749 है जो विभिन्न उद्योगों के कारीगर हैं ।

बोर्ड का कार्यालय खुलने से पूर्व उपरोक्त सभी समितियाँ बन्द पड़ी थीं । इस समय 4 समितियाँ कार्यरत हैं । इस वर्ष के अन्त तक कम से कम 2 समितियाँ और कार्यरत हो सकेंगी । कुछ कार्यक्रमों की प्रगति निम्न प्रकार है :-

	74-75	75
1- औद्योगिक सहकारी समिति का गठन किया	1	1
2- 2- ,, ,, ,, पुर्नजीवीकरण किया	-	5
3- ,, ,, ,, बिघटन किया ।	-	4
4- व्यक्तिगत कारीगरों को आर्थिक सहायता दी गई	-	1
5- औ0स0समितियों को ,, ,, ,,	-	1
6- प्रशिक्षण दिया गया	-	2
7- डी0आई0आर0योजना में कारीगरों व कमजोर वर्ग के कारीगरों के आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्र स्टेटबैंक को भेजे गये ।	-	-

नोट:- इस कार्यालय को आज की तिथि तक पाँचवी योजना का परिव्यय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस कार्यालय द्वारा परिव्यय सम्बन्धी आँकडे देना सम्भव नहीं है ।

5:10:3:1 हथ करघा - रेशम एवं टसर योजना

5:10:3:1 भूमिका :- आर्थिक दृष्टि से ग्राम तथा लघु उद्योग का विकास अत्यन्त आवश्यक है। इसके अन्तर्गत पर्वतीय जिलों में रेशम उत्पादन एवं टसर उद्योग के विकास की काफी सम्भावना है। इस उद्योग से स्थानीय जनता की आर्थिक दशा में प्रयाप्त सुधार हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस जनपद में रेशम उत्पादन की योजना वर्ष 1965-66 में तथा टसर योजना वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ की गई।

5:10:3:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- इस समय जनपद में 10 शहतूत बागें पिथौरागढ़, डीडीहाट, कनालीछीना, धारचूला, एवं मुनस्यारी विकास खण्डों में 45-50 एकड़ क्षेत्र में स्थित हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को जानकारी करके उनके सम्बन्धित ग्राम वासियों से शहतूत वृक्षारोपण करवाना एवं कीट पालन के वास्ते प्रोत्साहित करना है।

टसर योजना में 2 केन्द्र एक नाकोट, पिथौरागढ़ विकास खण्ड तथा एक चौकुड़ी कनालीछीना विकास खण्ड में स्थापित किया गया है जिसमें टसर कीट पालन का सफल प्रयोग कर टसर कोया उत्पादन किया जा रहा है।

5:10:3:3 चालू योजनाओं का मूल्यांकन :- रेशम एवं टसर कीट पालन के लिये यहाँ की जलवायु अत्यन्त उपयुक्त है। ये दोनों योजनायें अभी धीरे धीरे विकसित की जा रही हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी अभी इसे अपनाने के कम इच्छुक हैं। इसके लिये उचित प्रचार की आवश्यकता है।

प्रारम्भ से 1973-74 तक योजनाओं में निम्न कार्य सम्पन्न किया गया।

	रेशम योजना	टसर योजना
उत्पादन	835 किलोग्राम	28482 कोये
प्रशिक्षण	39 व्यक्ति	14 व्यक्ति
बीज वितरण	1,18,271 बीज	----

5: 10: 3: 4 दीर्घकालीन परियोजना :- योजना के उचित संचालन एवं प्रसार को ध्यान में रखते हुए इसे निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को सौंप दिया गया । रेशम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित नव युवकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है जिससे उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है । टसर योजना के अन्तर्गत जहाँ अर्जुन के पेड़ उपलब्ध हैं वहाँ नये केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।

पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में रेशम योजना के वास्ते 1-95 लाख रुपये तथा टसर योजना के वास्ते 3: 28 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है । 1974-75 में रेशम एवं टसर योजनाओं में क्रमशः 24: 3 हजार, 0: 1 हजार व्यय हुआ एवं वर्ष 1975-76 में क्रमशः 28: 5 हजार व 11.5 हजार का परिव्यय निर्धारित किया गया है । चौथी योजना के अन्तर्गत रेशम योजना में 833 किलोग्राम कोया उत्पादन व टसर योजना में 1,84,02 कोया उत्पादन हुआ जो कि जनपद की दशा में काफी सन्तोषजनक है । पंचम पंच वर्षीय योजना के वर्ष 1974-75 में रेशम योजना के कोया उत्पादन का लक्ष्य 500 किलोग्राम के विपरीत 286 किलोग्राम की पूर्ति हुई एवं टसर योजना के लक्ष्य कोया उत्पादन 15,000 के विपरीत 6867 कोया उत्पादन हुआ । वर्ष 1975-76 में रेशम योजना का कोया उत्पादन का लक्ष्य 800 किलोग्राम एवं टसर योजना का लक्ष्य 22250 निर्धारित किया गया है ।

5: 10: 3: 5 विकास के वास्ते मुख्य समस्या बाधाएँ :- रेशम योजना को बढ़ावा देने के वास्ते कार्य हेतु भूमि का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । टसर योजना को बढ़ाने हेतु कर्मचारियों की अत्यन्त आवश्यकता है । यह कार्य अभी रेशम योजना के अन्तर्गत कर्मचारी कर रहे हैं ।

5: 10: 3: 6 प्राथमिकता के आधार पर पुनर्गठित कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम को जनपद के सभी विकास खंडों में नियोजित ढंग से लागू किया जाना है ताकि सभी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें ।

5: 10: 3: 7 संसाधनों का जुटाया जाना :- सभी संसाधन राज्य सरकार के द्वारा ही स्वीकृत किये जाते हैं ।

5: 10: 3: 8 विकास कार्यक्रम के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- प्रश्न नहीं उठता है ।

5: 10: 3: 9 राज्य सरकार के वास्ते विचारणीय प्रश्न :-

इस योजना को अधिक कार्यान्वित करने हेतु प्रचार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । इस बात पर भी विचार किया जाय कि इन दोनों योजनाओं को पंचायत उद्योग के माध्यम से चलाया जाय ताकि इसका पूरे जनपद में अधिक विकास हो । वन विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जाय ताकि दूसर योजना के वास्ते बाँस के जंगलों की स्थापना की जाय ।

Exxxx

5:11 संचार एवं सेतु

5:11:1 भूमिका :- संचार एवं यातायात के प्रसार एवं निरापद साधन प्रदेशीय विकास के मूल आधार हैं। इन संचार साधनों का इस पर्वतीय पिछड़े क्षेत्र में वांछित विकास किया जाना है जिसको कि सर्वोच्च प्राथमिकता दी जारही है। इस क्षेत्र के सुदूर तथा दुर्गम स्थानों में ऐसी सड़कों की व्यवस्था का प्रयास किया जारहा है जो सभी मौसमों में काम आ सकें। फलों एवं आलू के यातायात एवं पर्यटन विकास हेतु भी पुरानी सड़कों का सुधार एवं नई सड़कों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। नई सड़कों के प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 500 या उससे अधिक आबादी वाले अधिक से अधिक ग्रामों को जोड़ा जा सके।

5:11:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- 31:3:74 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सी०पी०डब्ल्यू०डी०आर० के पक्के मार्गों की लम्बाई क्रमशः 223 किलोमीटर तथा 226 249 किलोमीटर = 472 किलोमीटर थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जिला परिषद के कच्चे मोटर मार्गों की लम्बाई 202 किलोमीटर तथा वन विभाग के मोटर मार्गों की लम्बाई 181:41 किलोमीटर है। इस समय जनपद में कुल 886:27 किलोमीटर के मोटर मार्ग हैं। जिला परिषद तथा वन विभाग के 234 किलोमीटर मोटर मार्गों पर बस नहीं चलती है। जनपद में वर्तमान मोटर मार्गों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

सं०क्र०	मार्ग	लम्बाई किलोमीटर में
1:	झूलाघाट(टनकपुर)पिथौरागढ़-तवाघाट(सी०पी०डब्ल्यू०डी०आर०)	238:40
2:	पिथौरागढ़ - झूलाघाट	33:80
3:	पिथौरागढ़ - थल	19:20
4:	बागेश्वर (कमेड़ी देवी)-अस्कोट (पिथौरागढ़ जिले की लम्बाई)	87:45
5:	चौकोड़ी - बेरीनाग - गंगोलीहाट - रामेश्वर	74:30
6:	बेरीनाग - सेराघाट	31:80
7:	शातीशिखर - थल	52:00
8:	तेजम - नाचना (राम गंगा पुल तक)	9:20
9:	आंतरिक मार्ग(पिथौरागढ़ - धारचूला - मुनस्यारी)	13:40
10:	लोहाघाट - मायावती	8:80
11:	लोहाघाट - पंचेश्वर	40:00
12:	लोहाघाट-धूनाघाट-देवीधुरा	40:00
13:	लोहाघाट - बाराकोट	12:00
14:	डीडीहाट - दूनाकोट (निर्माणाधीन)	20:00
15:	थल - तेजम - गिरगांव - मुनस्यारी	72:00
	योग =	781:83

बन विभाग के मोटर मार्ग 191 कि0मी0 तथा जिला परिषद के मोटर मार्ग 13 कि0मी0 हैं । कुल मोटर मार्ग 966:27 कि0मी0 हैं ।

5:11:3 विकास सम्बन्धी योजनाओं का मूल्यांकन :- पहिले पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में 38:19 करोड रुपये का प्राविधान रक्खा गया था, परन्तु धनाभाव के कारण फिर 9:00 करोड रुपये का प्राविधान रक्खा गया था । पुनः 5:79 करोड रुपये का प्राविधान स्वीकृत किया गया है । वर्ष 1974-75 में मुख्यतः अधिनीत(spill over works) कार्यों पर ही व्यय किया जारहा है । इसके अतिरिक्त कुछ नई सडकों का प्रारम्भिक कार्य भी लिया गया है । पंचम योजना में 579:17 लाख रुपया परिव्यय है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

योजना	पाँचवीं योजना परिव्यय (लाखरु0)	75 76 परिव्यय (लाखरु0)
1: अधिनीति योजनायें	149:66	51:85
2: नई योजनायें	233:00	16:15
3: मोटर मार्गों पुनर्निर्माण एवं सुधार	152:85	--
4: मोटर मार्गों पर पुल(सेतु)	5:14	--
5: अश्व मार्गों पर पुल (सेतु)	41:52	--
	579:17	68:00

संलग्न तालिका मे सभी परियोजना का परिव्यय एवं भौतिक लक्ष्य की सूचना दी गई है ।

पाँचवीं योजना के परियोजनावार परिव्यय /व्यय एवं लक्ष्य /पूर्ति की सूचना भी संलग्न है ।

5:11:4 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य :- जनपद के दीर्घकालीन विकास को देखते हुए 79:29 करोड रुपये की योजना प्रस्तुत कीगई थी। इस योजना के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक गाँव जिनकी आबादी 500 या इससे अधिक हो ऐसा मुख्य ग्राम जो 500 से अधिक आबादी को जोड सके, को 5 मीटर चौडी सडकों से मिलाने का प्रस्ताव था । इसके अलावा जनपद में मुख्य खनिज, पेयजल, फल पट्टी, बन विभाग के उद्योग तथा कृषि उद्योग से विकसित होने वाले उद्योगों को 7 मीटर चौडे मार्ग से जोड दिया गया था । यदि इन मोटर मार्गों का निर्माण हो जाता तो जनपद की संचार व्यवस्था बहुत ठीक हो जावेगी ।

क्रमशः

5:11:5 व 5:11:6 : विकास हेतु सुदृढ़ स्तरीय नीति तथा प्राथमिकता पूर्ण कार्यक्रम :- जनपद के न्यूनतम विकास तथा शासन से उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए अब 5:78 करोड रुपये की पंच वर्षीय योजना प्रस्तुत की जारही है । योजना को बनाते समय यह ध्यान में रक्खा गया है कि जनपद का चतुर्मुखी विकास हो । योजना के अन्दर पुराने मोटर मार्गों का सुधार, पुनः निर्माण नये मोटर मार्ग का निर्माण और उन पर पडने वाले पुल तथा ऐसे नये पुल जो नदी एवं नालों को पगडन्डी द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिये जोडते हैं चुना गया है । इनकी प्राथमिकता जिला परिषद द्वारा चुनी गई प्राथमिकता के अनुसार योजना में रक्खी गई है । इस बात को भी ध्यान में रक्खा गया है कि जनपद की प्रत्येक तहसील में मोटर मार्गों का विकास तहसील की महत्ता एवं पिछडे पन को देखकर होना चाहिये ।

5:11:7: संसाधनों का जुटाया जाना :- सभी परियोजनायें / कार्य राज्य आयोजनागत के अन्तर्गत ही हैं । संस्थागत तथा जन पोषित कोई भी परियोजना नहीं है ।

5:11:8: विकास कार्यक्रमों के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :-

योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय मजदूर एवं राज मिल जाते हैं ।

5:11:9: राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :-

1: अल्मोड़ा - पिथौरागढ सड़क का पूर्ण रूप से पुनः निर्माण एवं सुधार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है, ताकि यह सड़क सभी मौसम में खुली रहे ।

2: मुनस्यारी तहसील के वास्ते जो सड़क इस समय है वह वर्षात एवं हिमपात के समय प्रायः चार एवं पाँच माह के वास्ते बन्द हो जाती है । ऐसी व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जाना है कि मुनस्यारी तहसील के वास्ते सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क उपलब्ध हो सके ।

|| वर्तमान दर विश्लेषण ||

नये कच्चे मोटर मार्ग - प्रति किलोमीटर

1: भूमि अध्याप्ति एवं निर्माण से होने वाली क्षति 12000/-

2: औसतन हिल कटिंग का मूल्य 500 प्रति सैकड़ा घन मीटर मानते हुए
प्रतिकिलोमीटर कटान की मात्रा - 5:6×5:6×2:3× 1000
मूल्य प्रति किलोमीटर - $\frac{5:6\times5:6\times0:6\times1000\times500}{1000}$

3: [illegible] का बनाना - 94080/-

4: पैरापिट का बनाना - 20000/-

5: पक्की तथा कच्ची नाली बनाना - रु0 3000/-
रु0 3000/-

6: स्कपर बनाना	रु0 17,500/-
7: छोटे पुल तथा पुलिया एवं काजवे	रु0 20,000/-
8: मार्ग पर 13 से0मी0 मोटी गिट्टी 0:3 प्रति लम्बाई में बिछाना	रु0 10,000/-
9: वर्षात् विशेष मरम्मत इत्यादि	रु0 8,500/-
10: क्रासिंग गेरोस का बनाना	रु0 6,000/-
11: कि0मी0 स्टोन 9:35 रोरीन तथा साइनबोर्ड तथा कासन बोर्ड का बनाना	रु0 1000 /-
12: नाइट एकोमोडेशन गोदाम, गैंगहट, रेस्ट हाउस इत्यादि	रु0 5000 /-
13: निर्माण कार्य शुरू होने से पहिले केवल पिलर आदि बनाना तथा लोकेशन सर्वे आदि	रु0 2,500/-
5% कन्टीजेन्सी चार्जेज	रु0 190500
	9500
	2,00,000

अर्थात् 2:00 लाख रुपया प्रति किलोमीटर ।

सुदूर सीमान्त क्षेत्र के मोटर मार्गों के लिये 3 लाख प्रति किलोमीटर का प्राविधान किया गया है ।

<u>पुलों के निर्माण हेतु दर</u>

1: मोटर मार्गों पर पुलों का निर्माण
एल0एस0 15000/- रुपया प्रति मीटर स्पान ।

2: अश्व मार्गों पर पैदल पुलों का निर्माण
एल0एस0 7000/- रु0 प्रति मीटर स्पान ।

संचार पाँचवीं योजना का परियोजनावार परिव्यय (हजार रुपये में)

क्रमांक	परियोजना	पाँचवीं योजना का परिव्यय 1974-79	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7	8
1:	अविनीत योजनायें	14880	3533	3510	51.85		
2:	नई योजनायें	22860	--	--	19.15		
3:	मोटर मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार	15206	--	--	--		
4:	मोटर मार्गों पर पुल	514	--	--	--		
5:	अश्व मार्ग पर पुल	4152	--	--	--		
	योग -	57817	3533	3510	69.60		

संचार

पाँचवीं योजना का परिव्यय एवं लक्ष्य

क्र०सं०	योजना	पाँचवीं योजना का परिव्यय (लाख रु०)	पाँचवीं योजना का लक्ष्य (कि०मी०)	1975-76 का परिव्यय (लाख रुपया)	1975-76 का लक्ष्य (कि०मी०)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1:	अविनीत योजनायें	149:66	--	5 :85	--	मोटर तथा अश्व मार्गों का निर्माण, मार्गों का सुधार एवं पुन निर्माण, सेतु
2:	नई योजनायें					ये मोटरमार्ग पंचम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये गये हैं। इनसे फल पट्टियों का [illegible] होगा [illegible] जल संख्या वाले क्षेत्रों में संचार सुविधा का प्रदान होगा क्र०सं० 3 मार्ग सिक्खों के प्रमुख स्थान को मोटर मार्ग से जोड़ेगा।
	1: थल, पाँखू, धरमघर	54:00	27:00	5:30	5:00	
	2: चम्पावत- हेतीखान	65:00	32:30	5: 5	5:00	
	3: [illegible] - रीठा साहिब	32:00	16:00	5:00	5:00	
	4: देवस्थल - [illegible] लीडाला-पीपली	76:00	38:00	[illegible]00	1:00	
		229:00	114:50	16:15	16:00	
3:	मोटर मार्गों का पुनर्निर्माण एवं सुधार।					अल्मोड़ा मोटर मार्ग पिथौरागढ़ जिले का। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं इसे शीघ्र पुनर्निर्माण एवं सुधार किया जाना है।
	1: घाट-रामेश्वर	16:00	8:00	--	--	
	2: बाड़ेछीना -बेरीनाग	56:00	32:00	--	--	
	3: लोहाघाट-धानू-घाट	40:00	20:00	--	--	
	4: सामा-तेजम	20:60	12:00	--	--	
	5: तेजम-गिरगाँव	20:25	17:50	--	--	
		152:85	89:50	--		

(104)

1	2	3	4	5	6	7
4:	**मोटर मार्ग पर पुल**					
	थल, पांखू -धरमधर मोटर मार्ग पर बरड नदी पर लोहे का पुल	5:14	34 मीटर	--	--	एक पुल 34 मीटर स्पैन
5:	अश्व मार्ग पर पैदल सेतुओं का नव निर्माण	41:52	610 मीटर	--	--	इन पुलों की संख्या 14 है। सघन जन संख्या क्षेत्रों के वास्ते वर्षा ऋतु में आवागमन हेतु इनका निर्माण आवश्यक है।
	योगः -	46:66	644 मीटर	--		
	कुल योगः -	578:17		68:00	16:00	

(105)

संचारः - पाँचवीं योजना का परियोजनावार लक्ष / पूर्ति

क्र0सं0	परियोजना	इकाई	31:3:69 तक की स्थिति	31:3:74 तक की स्थिति	पाँचवीं योजना का लक्ष 1974-75	1974-75 लक्ष	पूर्ति	1975-76	1976-77	1977-78	78-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1:	अधिनीत योजनायें (मोटर मार्ग)	कि0मी0	374:50	479:61	520:00	22:91	22:91	10:00		--	--
2:	नई योजनायें	कि0मी0	--	--	114:30	--	--	16:00			
3:	मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	कि0मी0	--	--	89:50	9:86	9:86	10:00			
4:	थल, पाँखू, धरमधर पर पुल	मीटर	--	--	34:00	--	--	--			
5:	अश्व मार्ग पर सेतुओं का निर्माण	मीटर	--	--	615:00	--	--	--			

5-12 शिक्षा

5·12·1 भूमिका :- भौगोलिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि [illegible] के पूर्व यह आवश्यक है कि जनपद के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का विश्लेषण कर लिया जाय। इस जनपद का निर्माण फरवरी 1960 में [illegible] सीमान्त जनपद घोषित होने के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

1960 की स्थिति		1978-79 की स्थिति
1- प्राइमरी स्कूल	204	621 ([illegible])
2- जूनियर हाईस्कूल	17	80
3- हाईस्कूल	7	29
4- इण्टर कालेज	3	14
5- डिग्री कालेज	--	1
6- दीक्षा विद्यालय	-	2 (बी०टी०सी० [illegible] सहित)
7- [illegible] शिक्षा केन्द्र	--	19
8- संस्कृत पाठशाला	2	5
9- पॉलिटेक्निक कालेज	--	(वर्ष 78-79 में शुरू हुआ है)

5·12·2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

चम्पावत तहसील जो कि 1972 से पूर्व अल्मोड़ा जनपद का एक भाग था 1972 में इस जनपद में विलीन किया गया। उक्त तहसील में जनपद के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा शैक्षिक प्रगति कम [illegible] होती है।

पिथौरागढ़ जनपद में कुल आबाद ग्रामों की संख्या 2181 है तथा इन ग्रामों में 3043 बस्तियाँ [illegible] जिनमें से [illegible] बस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें प्राथमिक विद्यालय 2 कि०मी० दूरी पर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार [illegible] स्तर पर 800 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनको जूनियर हाईस्कूल की सुविधा 5 किलोमीटर की दूरी पर भी सुलभ नहीं है। [illegible] 36,893 [illegible] 7479 छात्र/छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दीक्षा विद्यालय में वर्तमान में 80 पुरुष तथा 60 महिला बी०टी०सी० शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। [illegible] में वर्तमान में 537 [illegible] हैं। [illegible] निम्न योजनायें [illegible] प्रस्तावित हैं :-

क्रमांक	योजना का नाम	79-80 की उपलब्धियाँ	[illegible]
1-	[illegible] में छात्र संख्या [illegible] तथा [illegible] हेतु [illegible] तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण।	1803	1930

2 (अ) - ग्रामीण क्षेत्र के जू0 बे0 भवन मरमत ।	5	5
(ब) सी0 बा0 स्कूलों की भवन मरमत ।	1	1
2-(स) जूनियर बेसिक नवीन बिद्यालयों का भवन निर्माण	--	10
(द) सी0वा0 नवीन बिद्यालयों का भवन निर्माण ।	--	1
3- ग्रामीण क्षेत्र में बालक/बालिकाओं के चुने हुए बेसिक स्कूलों में क्रमोत्तर कक्षा का खोलना।	2	2
4- ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/बालिका के चुने हुए जूनियर बेसिक बिद्यालयों में क्रमोत्तर कक्षाओं का खोलना ।	2	2
5- ग्रामीण क्षेत्रों में अंशकालिक कक्षायें खोलना ।	--	15
6- प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना	--	15
7- जू0हा0 का हाइस्कूल स्तर पर उच्चीकरण ।	2	1
8- उ0मा0बि0 में साज सज्जा	30	38
9-हाईस्कूलों का इन्टर में उचीकरण	--	1
10-असहायिक उ0मा0बि0 के लिये अनुदान।	--	2
11-उ0मा0बि0 के भवन निर्माण	3	1
12-उ0मा0बि0 में बिज्ञान प्रगति	2	38

उपयुक्त योजना के अतिरिक्त पंचम पंच वर्षीय योजना काल में राजकीय दीक्षा बिद्यालयों में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का खोलना, पाठ्य पुस्तक बैंक की स्थापना, अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण हेतु रा0दी0बि0 का खोला जाना, महिला दीक्षा बिद्यालयों के साथ आदर्श बिद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक बिद्यालयों में शिक्षकों के लिये रिफ्रेसर कोर्स की स्थापना आदि योजनायें भी प्रस्तावित हैं जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई हैं ।

हाईस्कूल स्तर तक बिद्यालयों में 17 राजकीय तथा 18 प्राइवेट मान्यता प्राप्त हैं जिनमें कक्षा 6 से 8 तक 6,123 बालक एवं 1307 बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं । इन्टर कालेजों की संख्या 14 है जिनमें 2 प्राइवेट तथा 12 राजकीय हैं । इन कालेजों में कक्षा 9 से 12 तक 6,504 बालक तथा 1,101 बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं । उच्चमाध्यमिक स्तर पर छात्र/छात्राओं का अनुपात क्रमशः 5:1 है।

5:12:3 चालू योजनाओं का मूल्यांकन :- प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण की समस्या बनी हुई है । चतुर्थ योजना काल में जनपद में 62 रा0प्रा0 पा0 खोले गये जिनमें केवल 8 का ही भवन निर्माण हुआ है । भवन निर्माण अनुदान अपर्याप्त होने तथा जनता की निर्धनता के कारण इन भवनों का निर्माण नहीं हो सका । जो भवन बने हुए हैं उनकी स्थिति भी दयनीय है बेसिक शिक्षा के स्कूलों में स्वीकृत भवनों की मरमत तथा नवीन विद्यालयों के निर्माण की समस्या बनी हुई है । इस प्रकार जनपद के 30हाईस्कूलों तथा 14 इन्टर कालेजों क्षा में स्थान का अभाव है । कुछ विद्यालय जू0 हा0 की इमारत में कुछ अस्थाई टिन शैडों में और कुछ किराये के भवनों में चलाये जारहे हैं प्रति वर्ष बढ़ती हुई छात्र संख्या के कारण प्रशासन की वार्षिक प्रवेश के समय कठिन परिस्थिति का सामना करना पडता है । प्रायः सभी प्राइवेट हाइस्कूलों तथा इन्टर कालेज आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि स्कूलों में अपेक्षित शिक्षा स्तर को बनाये रखने के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति कर उन्हें समुचित तथा नियमित रूप से वेतन दे पाना उनके लिये मुश्किल हो जाता है । भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल न होने से अन्य प्रदेशों के अध्यापकों का आकर्षित करने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती । महाविद्यालय में लगभग 1000 छात्र तथा 200 छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं बालिकायें जनपद के दूर के अंचलों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आती हैं । उनको छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है । महाविद्यालय अभी भी अनेक कक्षाओं हेतु स्थानाभाव है । मुख्य आवश्यकता इस बात की है जो विद्यालयखोल दिये गये हैं उनमें सुविधायें उपलब्ध कराने में प्राथमिकता बर्ती जाय ।

5:12:4 दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष :- पाँचवीं योजना एवं दीर्घ योजना बनाते समय यह प्रयास किया गया 6-11, 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की क्रमशः प्राइमरी शिक्षा 1:5 कि0मी0 तथा जू0हा0 शिक्षा 5 कि0मी0 तथा 14-18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की 10 कि0मी0 के अन्दर [illegible] शिक्षा सुलभ हो सके । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए जनपद में प्रतिवर्ष 34 प्रा0वि0 तथा प्रथम 2 वर्षों में 14 तथा अन्तिम तीन वर्षों में 12 विद्यालय प्रति वर्ष की दर से जू0 हा0 खोलने का लक्ष्य रखा गया और इस बात का ध्यान रखा कि प्रत्येक 3 जू0हा0 [illegible] गया है । उक्त नीति 1966-67 में राष्ट्रीय अनुसन्धान एवं विकास परिषद दिल्ली के तत्वावधान में जो द्वितीय सर्वेक्षण हुआ परिकल्पित की गई । इस प्रकार 6-11 वर्ष के बालक / बालिकाओं को शत् प्रतिशत् तथा 11-14 आयुवर्ग के बालक / बालिकाओं को 50 प्रतिशत् पाठशाला में प्रविष्ट कराया जावेगा । पाँचवीं योजना के अन्त तक प्राइमरी स्तर तक छात्र संख्या 76,500 हो जावेगी जिसके लिये 2550 अध्यापकों की आवश्यकता

होगी । वर्ष 73-74 के अंत में अध्यापकों की संख्या 2143 है । शेष अध्यापकों की पूर्ति हेतु योजना में प्राविधान रखा गया है । जनपद में प्रति वर्ष 120 बी०टी०सी० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इस प्रकार गहन प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों की संख्या में भी कमी होगी ।

निर्धन एवं निर्बल वर्ग के बालक / बालिकाओं की शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिये इस वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक एवं वस्त्र वितरण का प्राविधान रखा गया है । जिससे निर्धनता उनकी शैक्षिक प्रगति में बाधक न बने । वर्ष 74-75 में तथा 75-76 में इस प्रकार के 1600 तथा 1000 पाठ्य पुस्तकें बालिकाओं / अनुसूचित जाति तथा जन जाति के छात्रों में वितरित की गई ।

शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये विद्यालयों को विज्ञान एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिये भी प्राविधान रखा गया है । विद्यालयों में अतिरिक्त विज्ञान तथा शिक्षण सामग्री प्रदान करने हेतु क्रमशः 500 रु० प्रति विद्यालय की दर से प्रदान करने का प्राविधान[illegible] [illegible] ह्रास एवं अवरोध जैसी विकट समस्याओं को कम करने के लिये प्रति वर्ष 4000 रु० का प्रस्ताव किया गया था जिसका उपयोग प्रचार [illegible] सभाओं का आयोजन एवं शिक्षा सामग्री के वितरण में किया जाना था । प्राइमरी तथा जू० हा० भवन निर्माण एवं मरम्मत के लिये समुचित व्यवस्था पाँचवीं योजना में की गई थी । इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक [illegible] योग्यता बढ़ाने हेतु पुरस्कार स्कूल माताओं की नियुक्ति, मिश्रित स्कूलों में शौचालय निर्माण गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान, अंशकालीन एवं प्रौढ़ पाठशालाओं का खोलना आदि का प्राविधान पाँचवीं योजना में रखा गया था । वर्तमान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं । इन कार्यालयों के भवन आदि निर्माण का भी प्राविधान किया गया था ।

वर्ष 73-74 के अंत में हाईस्कूल स्तर पर अध्यापकों की संख्या 405 तथा इन्टर स्तर पर 403 थी । दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष के सन्दर्भ में 75-76 तक एक पौलिटेक्निक खोलने का लक्ष था जो 75-76 में खुल चुका है । पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में माध्यमिक स्तर पर 10 नये विद्यालय खोलने का लक्ष रखा गया है । 74-75 में दो नये हाईस्कूल, 2 जू०हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर में उच्चीकरण तथा एक डिग्री कालेज का प्रान्तीयकरण हो चुका है ।

5.12.8 [illegible] के लिये राज्य स्तरीय नीति :- पंचम योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि [illegible] तथा अविकसित क्षेत्रों में [illegible] शिक्षा का समान अवसर दिया जाय ।

5:12:6 विकास कार्यक्रमों के लिये प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रमः -

जनपद की चम्पावत तहसील जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है ।

5:12:7 संसाधनों का जुटाया जाना :- जनपद के निवासियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है और उन्हें शिक्षा के लिये राजकीय अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है अपितु विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में जनसहयोग नगण्य है और यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय केवल सरकारी सहायता से ही खोले जा सकते हैं । सभी परिव्यय राज्य आयोजनागत के अन्तर्गत हैं ।

5:12:8 विकास कार्यक्रमों के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता :- इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है ।

5:12:9 राज्य सरकार हेतु विचारणीय प्रश्न :-

1- प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी दूर करने के उपायों पर यथोचित निर्णय लेना

2- विद्यालय के भवनों की कमी तथा समय पर नई कक्षाओं की स्वीकृति का होना जैसी समस्याओं पर कार्यवाही करना । आवश्यकता इस बात की है कि नये विद्यालय खोलने के बजाय पुराने विद्यालयों को साधन सम्पन्न बनाया जाय ।

3- समय पर वित्तीय सहायता की प्राप्ति करने हेतु कार्यवाही करना ।

4- स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना ।

उपर्युक्त क्रम संख्या 1 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशिक्षित स्नातकों को यदि स्थानीय रूप से रखने का अधिकार जिला स्तरीय अधिकारियों को दे दिया जाय तो इस समस्या का हल निकल जायेगा ।

5- इस जनपद में नवीन विद्यालय खोलने की अपेक्षा वर्तमान विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण अधिक उपयुक्त होगा ।

5:13 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

5:13:1, 5:13:2 भूमिका एवं वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन

जनपद पिथौरागढ़ में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन अनुभाग के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य हेतु सन्तोषजनक सुविधा उपलब्ध करवाई गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस जनपद में समस्त प्रकार के चिकित्सालयों की संख्या 85 थी एवं शय्याओं की संख्या 522 थी। इस प्रकार प्रति लाख जन संख्या पर 20 चिकित्सालय एवं 125 शय्यायें उपलब्ध हो गईं, इससे यह प्रतीत होता है कि इस जनपद में चिकित्सा सुविधा काफी सन्तोषजनक रही।

इसके अतिरिक्त इस जनपद में कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु एक सरकारी कुष्ठ निवारण केन्द्र वलुवाकोट में खोला गया तथा 5 एस०ई०टी० सैन्टरों की स्थापना की गई साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 75-76 में दो अन्य एस०ई०टी० सैन्टरों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार अब एस०ई०टी० सैन्टरों की कुल संख्या 7 हो गई है।

क्षय रोग के उपचार हेतु जिला मुख्यालय पर 40 शय्याओं का एक टी०बी० चिकित्सालय की स्थापना की गई तथा इस रोग की रोक थाम के लिये एक बी०सी०जी० टीम की भी स्थापना की गई जो कि प्रत्येक गाँव में जाकर 20 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों को टीका लगावे जिससे इस रोग का उन्मूलन हो सके।

छुआछूत की बीमारी के रोकथाम के लिये जिला मुख्यालय पर एक संक्रामक रोग चिकित्सालय की स्थापना की गई है।

परिवार नियोजनः- इस जनपद में परिवार नियोजन कार्य अन्तर्गत सन्तोषजनक प्रगति रही। वर्ष 66-67, 67-68 एवं 68-69 में इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त कर पारितोषिक प्राप्त किया। वर्ष 74-75 में परिवार नियोजन पर रु० 9:41 लाख व्यय किया गया। नसबन्दी योजना की उपलब्धि 263 व लूप निवेशन की उपलब्धियाँ 736 हुईं।

वर्ष 74-75 में चिकित्सा गर्भ समापन योजना पर विशेष बल दिया गया तथा आगे इसे और विशेष जोरों पर क्रियान्वित करने की योजना है। वर्ष 75-76 के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :-

नसबन्दी 1133 लूप 1889 परम्परागत गर्भ निरोध -
प्र030 -- 2149 खाने वाली गोली 215

इस अभियान को सफल बनाने के लिये राज्य सरकार प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करती आरही है। प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य है कि वह इस अभियान को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे।

चेचक उन्मूलन :- पंचम पंच वर्षीय योजना काल के लिये टीकों का लक्ष क्रमशः 90429 प्राथमिक 339098 पुनर्विद टीके रखा गया है। योजना के प्रथम वर्ष 1974 में 15654 प्राथमिक 105135 पुनर्विद टीके लगवाये गये और 1975 के अन्त तक 18485 प्राथमिक व 61620 पुनर्विद लगवाये गये। इस योजना में विशेष बल चेचक के छूटे हुए तथा बाहर से आये रोगियों की खोज पर रहेगा। इस योजना को सफल बनाने में जनता का सहयोग वांछनीय है। भारत सरकार ने इस रोग की प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को रू0 1000-00 का पुरस्कार भी रखा है।

[illegible]
[illegible] :-

वर्ष 71 में जन गणना के आधार पर इस जनपद की जन संख्या 415165 है जिसे में उपलब्ध चिकित्सालयों का अनुपात का विवरण निम्न प्रकार है जिससे स्पष्ट होता है कि विकास क्षेत्रों में चिकित्सा इकाईयों की सुविधा जन संख्या के आधार पर कम है।

क्र0सं0 विकास क्षेत्र का नाम	1971 की जनसंख्या	चिकित्सा इकाईयों की सं0	जन संख्या के आधार पर चिकित्सा इकाईयों का अनुपात
1-चम्पावत	33479	4	1: 8279
2- लोहाघाट	33837	4	1: 8459
3- बाराकोट	34100	4	1: 8525
4- गंगोलीहाट	50799	8	1: 6338
5- बेरीनाग	36241	7	1: 5173
6- मुनस्यारी	34691	9	1: 3855
7- धारचूला	37815	12	1: 3151
8- डीडीहाट	30117	6	1: 5019
9- कनालीछीना	38556	8	1: 4819
10-मूनाकोट	35844	10	1: 3585
11-बिण(पिथौरागढ़)	37862	6	1: 6310
12-पिथौरागढ़ नगरीय	11942	7	1: 1706

5.13.4 जीवनकालीन परिप्रेक्ष्य :- पांचवीं योजना काल में एक एलोपैथिक चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा एक आयुर्वेदिक नगरीय क्षेत्र में तथा दो होम्योपैथिक ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का प्रस्ताव था तथा 10 अतिरिक्त शय्यायें नगरीय क्षेत्र में बढ़ाने का प्रस्ताव था जो कि उपरोक्त एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अलावा सभी क्रियान्वित हो चुके हैं। पांचवीं योजना पर स्वा० चिकित्सा पर कुल परिव्यय रुपया 28.04 का रखा गया है तथा रुपया 5.53 लाख का केन्द्र द्वारा चेचक उन्मूलन योजना के लिये प्रस्तावित है।

5.13.5) विकास के लिये उपयुक्त नीति

5.13.6) विकास के लिये प्राथमिक युक्तिपूर्ण कार्यक्रम :-

तहसील चम्पावत को इस जनपद में सम्मिलित हो जाने पर उक्त स्थान से इस समय चिकित्सा सुविधा का कुछ अभाव है। अतः उक्त क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार से चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी आवश्यक प्रतीत होती है। इस समय प्रत्येक तहसील मुख्यालय में एक महिला चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव जिला चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सलाहकार समिति पिथौरागढ़ पारित कर चुकी है। जो कि डीडीहाट, धारचूला तथा लोहाघाट में स्थापित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्य चाही जारी है। उक्त स्थानों में महिला चिकित्सालयों की स्थापना हो जाने से इस जनपद में महिलाओं के लिये चिकित्सा सुविधा की उचित व्यवस्था हो जायेगी एवं परिवार नियोजन में कार्यक्रमों में प्रगति व तेजी आयेगी।

5.13.7 संसाधनों का जुटाना :- इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा धन व्यय करना होगा।

5.13.8 विकास कार्य के लिये शारीरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता चिकित्सा से सम्बन्धित नहीं है।

5.13.9 राज्य सरकार के लिये निर्णयणीय प्रश्न :-

(क) भवन :- इस समय जनपद में कार्यरत चिकित्सालयों के लिये नियुक्त चिकित्सकों के लिये भवन उपलब्ध नहीं है जिस कारण कोई भी चिकित्सक भवन के अभाव में कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक चिकित्सालय में चिकित्सक के लिये निवास हेतु भवन का प्राविधान होना अति आवश्यक है।

(ख) जिला मुख्यालय पर परिचारिकाओं के लिये नरसेज होम नहीं है जिस कारण कोई भी परिचारिका इस जनपद में स्थानान्तरण में आना नहीं चाहती है। अतः मुख्यालय में एक नरसेज होम का निर्माण होना अति आवश्यक है।

(ग) इस जनपद में कार्यरत महिला चिकित्सालय के लिये केवल एक ही महिला चिकित्सक है जो कि आउट डोर -इनडोर तथा आपरेशन व अन्य चिकित्सालय के सभी कार्य करने में असमर्थ होती है। अतः अनुरोध है कि महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के लिये दो और महिला चिकित्सकों का प्राविधान किया जाय तथा प्रत्येक तहसील मुख्यालय में एक एक महिला चिकित्सालय खोला जाय।

5:14:1 भूमिका :- सरकार ग्रामीण एवं नगरीय जनता को पेयजल सुविधा प्राथमिकता के आधार पर देती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह न्यूनतम आवश्यक क्रम कार्यक्रम में रखा गया है। इस जनपद में पेयजल एक बड़ी समस्या है क्योंकि इसके लिये प्रायः प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वर्ष 1964 में इस कार्यक्रम हेतु स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग की स्थापना हुई और तब से इस विभाग का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि इस ओर अधिक से अधिक विकास किया जाय। ताकि ग्रामीण जनता को पीने हेतु शुद्ध जल प्राप्त हो। इस समय जनपद में 1130 ग्राम ऐसे हैं जहाँ पेय जल की समस्या बड़ी कठिन है। इस विभाग का मुख्य ध्येय यह है कि लगभग सभी ग्रामों में पेयजल व्यवस्था सुलभ करा दी जाय।

5:14:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- इस समय यहाँ मुख्यालय पर स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग की दो शाखायें कार्यरत हैं जिनमें से एक शाखा निर्माण कार्य करती है तथा दूसरी शाखा सर्वेक्षण कार्य करती है। निर्माण शाखा की एक उप शाखा धारचूला में भी कार्य कर रही है। इस विभाग द्वारा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना से अब तक 209 ग्रामों को शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध करायी गई है, इसमें लगभग 77545 जन संख्या लाभान्वित होती है।

जल निगम:- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 से की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये विश्व बैंक से ऋण मिल रहा है।

जल संस्थान:- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 से की जा चुकी है। जिसका मुख्य कार्य कार्यान्वित पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं का रख रखाव करना है। ताकि जनता को सुचारु रूप से पेयजल सुलभ हो सके।

5:14:3 विगत सम्बन्धी चालू योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन:-

पंचम पंच वर्षीय योजना में 100 ग्रामों में शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 32000 जन संख्या लाभान्वित होने की आशा है। ग्रामों का चयन सर्वेक्षण के उपरान्त ही किया जाता है। इनमें से अधिकांश योजनाओं के आगणन बनाये जा चुके हैं, जिनमें कुल परिव्यय 136 लाख रुपया होने का अनुमान है। प्रति ग्राम लगभग 1:30 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। इस समय यह कहना कठिन है कि किस ग्राम को किस वर्ष में पेय जल सुलभ कराया जायेगा। इसका चयन जैसे जैसे धन

(क) [illegible] :- इसके अन्तर्गत केवल 10 [illegible] ग्रामों में वैयक्तिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इनके [illegible] वैयक्तिक [illegible] का [illegible] सम्मिलित है।

(ख) [illegible] :- इसके अन्तर्गत 920 [illegible] ग्रामों में वैयक्तिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

(ग) [illegible] :- इसके अन्तर्गत 600 ग्रामों में वैयक्तिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

(घ) [illegible] :- इसके अन्तर्गत शेष 465 ग्रामों में वैयक्तिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

इस प्रकार [illegible] प्रस्तावित योजना के अन्त तक समस्त ग्रामों में वैयक्तिक सुविधा [illegible] नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

5.14.5 मिशन के लिये पूरक सहायता [illegible] :- किसी भी देश व राज्य के विकास के लिये [illegible], सड़क एवं [illegible] की [illegible] है। [illegible] ग्रामों में [illegible] है [illegible] पूरक सहायता [illegible] पर [illegible] आवश्यक है [illegible]।

5.14.6 मिशन के लिये आवश्यकतानुसार [illegible] :- [illegible] वैयक्तिक योजनायें कार्यान्वित की गई हैं वे आवश्यकता के आधार पर ही लगाई गई हैं। [illegible] प्रस्तावित योजना में भी योजनाओं का [illegible] आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा ताकि [illegible] का [illegible] योजना के कार्यक्रम से मिलता रहे।

5.14.7 संसाधनों का जुटाया जाना :-

(अ) [illegible] योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये [illegible] विभाग होने से किसी ऋण व अनुदान का प्राविधान नहीं होता है।

(ब) संस्थागत - [illegible] बैंक से वैयक्तिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये ऋण मिल जायेगा।

(स) सरकारी एवं स्थानीय - इनसे [illegible] योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कोई ऋण व अनुदान नहीं मिलता है।

5.14.8 मिशन अवधि के लिये [illegible] एवं [illegible] की आवश्यकता

[illegible] प्रस्तावित योजना में [illegible] वैयक्तिक योजनाओं के कार्यान्वयन में मजदूरों पर [illegible] रुपये व्यय होने का अनुमान है। जिसके लिये कुशल मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। अन्य प्रकार के कार्यों के लिये स्थानीय मजदूर मिल जाते हैं।

आच्छादित होना जायेगा उसी के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनका निर्माण कार्य कराया जायेगा । इस योजना में 9 ग्रामों की सूची संलग्न की गई है । इसके अतिरिक्त निम्न पेय जल योजनायें हैं जिन्हें अतिरिक्त घटक में सम्मिलित किया गया है ।

(क) पिथौरागढ़ पुनर्गठन योजना (रामगंगा नदी से)

इस योजना में लगभग 225 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । इसके अन्तर्गत नगर क्षेत्र के अतिरिक्त इसके निकटवर्ती 60 ग्रामों को जिनमें 14 ग्राम नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, को पेय जल सुविधा दी जानी प्रस्तावित है । जिससे लगभग 24000 जनसंख्या लाभान्वित होने का अनुमान है । इस समय पिथौरागढ़ नगर में जो पेयजल उपलब्ध है वह वर्तमान आवश्यकता की एक तिहाई से भी कम है । पिथौरागढ़ नगर की जन संख्या इस समय लगभग 12000 है । यहाँ की पेय जल समस्या बहुत ही जटिल है । यदि इसका शीघ्र ही उपाय नहीं किया गया तो आगामी वर्षों में यह समस्या गम्भीर रूप ले लेगी । इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को रामगंगा नदी से बनाने की स्वीकृति दी है । नगर की बढ़ती हुई जन संख्या 1979 में लगभग 20000 हो जायेगी । इस योजना में 150 हौर्स पावर वाले 3, 200 हौर्स पावर वाले 3, तथा 400 हौर्स पावर वाले 6 पम्प लगेंगे । रामगंगा नदी में सेराघाट नामक स्थान से जल शुद्धिकरण करते हुए पम्पों की सहायता से पहिले स्टूबल [illegible] जलाशय एन०आर०डी० जलाशय एवं पी०डब्लू०डी० जलाशय पिथौरागढ़ तक जलाशयों में लाया जाना प्रस्तावित है । जहाँ से पानी का वितरण नगर एवं अन्य प्रस्तावित ग्रामों में वितरण किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान समय में पिथौरागढ़ नगर को चैसर [illegible] एवं [illegible] स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । गर्मियों में पेयजल की कमी को देखते हुए विभाग द्वारा रई गाड़ से एक तात्कालिक योजना कार्यान्वित की गई है । पिथौरागढ़ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वित होने तक के लिये कुछ रई गाड़ से बनी तात्कालिक योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि नगर की जनता को आवश्यक मात्रा में पेयजल सुलभ हो सके ।

5.14.1 क्षेत्रीयकरण नीति :- इस विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस जनपद के सभी 2,272 ग्रामों में पेयजल सुविधा सुलभ की जाय जिनमें से अभी तक केवल 209 ग्रामों में पेयजल सुलभ कराई गई है । शेष ग्रामों में पेय जल सुलभ कराने का प्रस्ताव निम्न प्रकार है :-

5.14.9 रक्षण प्रबन्ध के लिये विचारणीय मुद्दे:-

1:- पेयजलाशयों को सम्पोषित करने के लिये नालों एवं सोतों की आवश्यकता होगी जिसके रक्षण हेतु सतर्कता अनिवार्य है।

2:- रक्षा सम्बन्ध में पेय जल योजनाओं के रक्षा सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि प्रायः अनधिकृत व्यक्ति पेय जल लाइनों को व्यक्तिगत बागों एवं खेतों की सिंचाई इत्यादि के लिये तोड़ फोड़ देते हैं क्योंकि अधिकांश पेय जल योजनाओं की अधिकतर पाइप लाइनें जंगलों व रास्तों से होकर निकाली जाती हैं। इसके अतिरिक्त जल स्रोतों की टोंटियों को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा तोड़ दी जाती हैं। इस प्रकार पानी का अपव्यय होता है, जिससे जल सम्भरण वाले व्यक्तियों को पानी मिलने में कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में नियम बनाने आवश्यक हैं जिससे पाइप लाइन एवं स्रोतों पर तोड़ फोड़ की कार्यवाही को रोका जा सके। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर सम्बन्धित व्यक्तियों पर कर निर्धारण कर दिया जाय जिससे अनुरक्षण हेतु व्यय पूरा हो सके। कर की धनराशि प्राप्त करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंपी जाय।

3:- यह आवश्यक है कि या तो वन विभाग या ग्राम वन पंचायत स्रोतों के पास वृक्ष या ऐसे पेड़ लगवायें ताकि स्रोतों पर [illegible] जल को सुरक्षित रख सके। स्रोतों के पास [illegible] के पेड़ों के काटने में प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

5:15 पिछड़ी जातियाँ

5:15:1 भूमिका :- संविधान के अनुसार आर्थिक विकास हेतु पिछड़े वर्गों के लोगों के [illegible] स्वास्थ्य और सामाजिक विकास आवश्यक है। इस जनपद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति जिनमें भोटिया वर्ग का [illegible] रखता है, रहते हैं।

जिले के 1971 की जनगणना के अनुसार जन संख्या 415183 है, अनुसूचित जाति 81,125 और अनुसूचित जन जाति की जन संख्या 15,118 है जो कि कुल जन संख्या का 19.5 व 3.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के लोग यद्यपि जिले में फैले हुए हैं [illegible], [illegible] में इनकी जन संख्या अधिक है। जन जाति के लोग अधिकतर [illegible] और [illegible] में हैं। [illegible], [illegible], [illegible] ब्लॉकों में रहते हैं। अनुसूचित जाति के लोग कृषि एवं मजदूरी करते हैं तथा राज, बढ़ई, लोहार और चमड़े का काम करते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकतर ऊन का काम करते हैं, ये लोग [illegible], [illegible], कम्बल, पंखी, गलीचे आदि बनाते हैं और प्रत्येक परिवार का एक [illegible] बनता है। इन वर्गों में कुछ [illegible] भोटिया सम्पन्न [illegible] हैं अन्य [illegible] होते हैं और उनके पास [illegible] है। जीविका का मुख्य साधन मजदूरी, [illegible], एवं बोझ ढोना है। अनुसूचित जन जाति के भोटिया लोग सर्दियों में [illegible] श्रेणियों में चले जाते हैं और गर्मियों में [illegible] एवं [illegible] में आ जाते हैं। इस प्रकार ये [illegible] करते रहते हैं। [illegible] संख्या 20 है ? [illegible] परिवार [illegible] के [illegible] का [illegible] करते थे परन्तु अब मजदूरी और [illegible] से [illegible] करते हैं।

5:15:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में इन पिछड़े वर्गों के लिये निम्न योजनायें कार्यान्वित हुई हैं।

(1) कक्षा एक से लेकर 10 तक तथा 11 से लेकर स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को [illegible] पुस्तकीय सहायता तथा [illegible] वेतन की क्षति पूर्ति प्रदान की गई। इस कार्य हेतु चतुर्थ योजना काल में [illegible] लगभग 13 लाख रुपया व्यय हुआ।

2- कृषि एवं [illegible], [illegible] उद्योग तथा [illegible] विकास योजनाओं में चतुर्थ योजना के अन्त तक 12.[illegible]5 [illegible] व्यय हुआ।

- निम्न कार्यक्रम चतुर्थ योजनाकाल में चलाये गये -

	भौतिक लक्ष्य	व्यय
(1) आवासीय सुविधा (संख्या)	413	4.37 लाख
(2) कुटीर उद्योग	1006	3.50 लाख
(3) कृषि एवं [illegible] विकास	180	0.90 ,,
(4) पेयजल	155	7.80 ,,
(5) [illegible] सुविधायें	[illegible]	0.64 ,,

धूलकारी में जन जाति छात्रों के लिये एक आश्रम पद्धति विद्यालय निःशुल्क [illegible] पर चलाया गया है ।

5.15.3 विकास सम्बन्धी कालू योजनाओं का मूल्यांकन :-

पाँचवीं पंच वर्षीय योजना के वर्ष 74-75 व 75-76 की योजना की प्रगति निम्न प्रकार है ।

योजनायें	1974-75 भौतिक	परिव्यय (हजार रु० में)	1975-76 भौतिक	परिव्यय (हजार रु० में)
(1) भवन निर्माण	58	67	50	74
(2) कृषि	[illegible]	31	44	44
(3) कुटीर उद्योग	[illegible]	-	19	27
(4) शिक्षा वृत्ति	[illegible]	1	-	-
(5) छात्रावास [illegible]	2	55	3	37

वर्ष 74-75 में भोटिया छात्रों के लिये धारचूला में एक [illegible] छात्रावास की [illegible] की गई जिसमें 50 छात्रों के लिये [illegible] उपलब्ध है । दो छात्रावास [illegible] चलाये जा रहे हैं ।

जनपद में [illegible] के दो प्राइमरी और [illegible] का एक प्राइमरी पाठशाला विभागीय अनुदान के आधार पर हरिजन छात्रों के लिये विशेष रूप से चलाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त 23 [illegible] स्कूलों में से 5 हरिजन बस्तियों में [illegible] द्वारा खोले गये । इसी प्रकार 3 [illegible] बेसिक [illegible] हरिजन बस्ती में 10 प्राइमरी स्कूलों में से 2 हरिजन बस्ती में [illegible] गये ।

[illegible] वर्ष 1974-75 व 75-76 में जो योजनायें चलाई [illegible] विवरण निम्न प्रकार है :-

योजना	1974-75 परिव्यय	1975-76 परिव्यय
सम्पर्क मार्ग	79000	60000
लघु सिंचाई	25000	38500
दुग्ध पशु पालन	30000	--
विद्युतीकरण	55000	60000
[illegible] निर्माण	60000	---

[illegible] (वनराजी) परिवारों के पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 9 परिवारों को [illegible] में भूमि आवंटन कर बसाया गया, जिसमें 31500 रु० भवन निर्माण तथा कृषि सम्बन्धी योजनाओं में व्यय किया गया।

समाज कल्याण :- वर्ष 1974-75 में जनपद के मुख्यालय पर निराश्रित एवं निर्धन महिलाओं के लिये एक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई । इस प्रशिक्षण केन्द्र में अतिरिक्त 50 महिलाओं के लिये आवास, भोजन आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई, इसके अतिरिक्त सिलाई, दस्तकारी हेतु अब तक 18 महिलाओं को 5000 रु० अनुदान स्वरूप दिया गया है । भरण पोषण के लिये सहायता अनुदान वर्ष 74-75 में 29 महिलाओं को 11870 रु० तथा 75-76 में 86 महिलाओं को 35,000 रु० दिया गया ।

5:15:4 दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य
5:15:5 विकास के लिये [illegible] नीति
5:15:6 विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर युक्तिपूर्ण [illegible] ।

इस समय सबसे प्रमुख समस्या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा अन्य परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन किया जाना है । जनपद में इस समय तक कुल 1264 परिवारों [illegible] भिन्न भिन्न परिवारों हेतु 211:07 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है । इसमें 1051 परिवार पिछड़े वर्ग तथा 213 परिवार अन्य हैं । 837 परिवारों को ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवारों को 150 [illegible] के हिसाब से 10:85 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है । इन 837 परिवारों में से 732 परिवार हरिजन (अनुसूचित जाति/जनजाति) के तथा 105 अन्य परिवार हैं । इस प्रकार इस जनपद में ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अन्य परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है । वर्तमान सूचना के अनुसार कोई प्रार्थना पत्र शेष नहीं है ।

5:15:7 संसाधनों का जुटाया जाना :- औद्योगिक और आर्थिक विकास के [illegible] में अनुसूचित जाति एवं [illegible] विकास निगम की स्थापना प्रदेश में की गई है जिसके माध्यम से लघु उद्योगों के लिये अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों के लिये ऋण एवं अनुदान देने की व्यवस्था की गई है जो अपनी निजी अर्थ व्यवस्था पर अब तक सीमित कारोबार चलाते हुए हैं । इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये भी एक वित्त एवं विकास निगम स्थापित करने की योजना है ।

5:15:8 विकास कार्यों के लिये पारिरिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता अनुसूचित जन जाति जिसमें विशेष रूप से भोटिया लोग आते हैं उन्हें ऊनी कारोबार अर्थात् ऊन, कालीन आदि बनाने के लिये आधुनिक बुनाई डिजाइन एवं रंगों के प्रयोग पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है । इसके लिये जनपद के भोटिया वर्ग के लोगों को

माँग है कि बढ़ई से कुशल कारीगरों की देख रेख में प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई गई ।

5:15:9 राज्य सरकार के लिये विचारणीय प्रश्न :-

1- अनुसूचित जाति के लोगों को आवासीय सुविधा के लिये प्रति वर्ष दिये जाने वाले बजट आवंटन बहुत सीमित है । इस मद में कम से कम प्रति वर्ष 50 भवनों के लिये वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये ।

2- आश्रम पद्धति तथा भोटिया छात्रावास के लिये सरकारी भवन की व्यवस्था आवश्यक है ।

3- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना तथा छात्रावास हेतु मुख्यालय में एक सरकारी भवन की व्यवस्था की जाय ।

5:16 पौष्टिक आहार योजना

5:16:1 भूमिका :- विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम राज्य आयोजनागत के अन्दर है तथा व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है एवं महिला मण्डलों के कार्य कलापों को प्रोत्साहन देने की योजना केन्द्र सैक्टर के अर्न्तगत है । इस जनपद में सर्व प्रथम यह योजना विकास खण्ड गंगोलीहाट में वर्ष 1972-73 में प्रारम्भ की गई । इसके पश्चात् वर्ष 1973-74 में यह योजना दिगतड(डीडीहाट) विकास खण्ड में भी लागू की गई ।

5:16:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना काल के अन्त तक इस योजना के अर्न्तगत 9 स्कूल वाटिकाओं का निर्माण, 4 कुक्कुट गृह तथा 134 कुक्कुट इकाईयाँ स्थापित की गई जिसमें 30,000 रु0 का व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त 99 सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को पौष्टिकता में प्रशिक्षण दिया गया ।

5:16:3 विकास सम्बन्धी चालू योजनाओं का मूल्यांकनः- पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये 949.98 हजार रूपये का वित्तीय प्राविधान रखा गया है जिसके अर्न्तगत 36 स्कूल वाटिकाओं की स्थापना, 12 संस्थागत कुक्कुट इकाईयाँ तथा 516 व्यक्तिगत सदस्यों की कुक्कुट इकाईयों की स्थापना की जावेगी । 30 सहयोगी संगठनों को साज सज्जा उपलब्ध कराने के साथ साथ 600 सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों को पुष्टाहार में प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

5:16:4 दीर्घ कालीन रूप रेखा :- अभी तक पौष्टिक आहार योजना जनपद के केवल दो विकास खण्डों में है प्रयास यह किया जाना है कि यह योजना इस जनपद में धारचूला, मुनस्यारी जैसे दूरस्थ विकास खण्डों में भी शुरू की जाये । इन विकास खण्डों में इस योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है , क्यों कि यह क्षेत्र पौष्टिक आहार के परिणामों से बिलकुल अनभिज्ञ है ।

5:16:5 विकास के लिये मुख्य कार्य नीतिः- जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इस योजना को जनपद के अधिकांश विकास खण्डों में शुरू किये जाने हेतु पिछड़े इलाके के क्षेत्रों को ही चुना जाना है । चम्पावत तहसील के बाराकोट विकास खण्ड में भी इस योजना को प्रारम्भ किया जाय ।

5:16:6 प्राथमिकता के आधार पर युक्ति पूर्ण कार्यक्रम- इस योजना को इस जनपद में विस्तृत रूप से शुरू किये जाने के लिये धारचूला, मुनस्यारी एवं बाराकोट विकास खण्डों को सर्व प्रथम

क्योंकि प्राथमिकता देने होंगे तभी दूरस्थ क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे ।

5.16.7 संसाधनों का कुशलतम प्रयोग :- जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि इस योजना के लिये विशेष संसाधन तीन स्रोत से जुटाये जाते हैं : (1) राज्य सरकार द्वारा (2) संयुक्त राष्ट्र [illegible] के (3) केन्द्र सरकार द्वारा पोषाहार योजना हेतु इनका योगदान क्रमशः 697.98, 48.00 तथा 254.86 हजार रुपया है ।

5.16.8 राज्य सरकार के लिये निष्कर्षात्मक सुझाव :- इस योजना के सफल संचालन हेतु यहाँ अपेक्षा राज्य सरकार से इस क्षेत्र की आर्थिक विषमता को देखते हुए अधिक आर्थिक सहायता अपेक्षित है । यह क्षेत्र आर्थिक संसाधनों के वैकल्पिक स्रोतों के साथ ही दूरी से भी सीमित रहता है क्योंकि आय स्रोत सीमित हैं । मैदानों में यह योजना बहुत पहले से ही लागू हो जा चुकी थी । अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि इस जनपद के सभी विकास खंडों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों के साथ साथ विशेष सहायता भी दे उचित मात्रा में उपलब्ध हो ।

5-17 पर्यटन

5-17-1 :- पर्वतीय क्षेत्र में पिथौरागढ़ जनपद पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसके विकास से जनपद के लोगों की आर्थिक स्थिति और आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है । पर्यटन उद्योग को प्राथमिकता देकर इस पिछड़े हुए जनपद का विकास सम्भावित है । इस जनपद में पर्यटन हेतु सुन्दर स्थलों तथा रमणीय स्थानों में श्यामला-ताल, मीठा रीठा साहब, मायावती, एबट माउन्ट, पिथौरागढ़, देवीनाग, अस्कोट, नारायण आश्रम, आदि हैं । मन्दिरों में चम्पावत के प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिर, पुण्यागिरी का देवी का मन्दिर, गंगोलीहाट का कालिका मन्दिर, ध्वज, थलकेदार, पंडाक के आगे वैष्णवी देवी का मन्दिर, नलकेश्वर आदि हैं । इसके अतिरिक्त पाताल भुवनेश्वर, तथा कमलेश्वर की गुफायें देखने लायक हैं । मिलम व नामिक ग्लेशियर प्रसिद्ध व दर्शनीय ग्लेशियर हैं । जिम कार्बेट नामक प्रसिद्ध शिकारी के आखेट का स्थल चम्पावत के वन भी अत्यन्त दर्शनीय हैं । थल, पुण्यागिरी, मोस्टामानु, देवीधुरा, तथा जौलजीबी में प्रसिद्ध मेले लगते हैं।

5-17-2 :- यहाँ रेल हेड से 151 कि०मी० की दूरी के कारण नैनीताल, भवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी की तुलना में सैलानी और पर्यटक बहुत कम संख्या में आते हैं । इसके साथ ही साथ यहाँ पेयजल, आवास, भोजनालय, दुग्ध, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद की अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । यातायात की सुगम सुविधा का भी अभाव है । स्थानीय निकायों की भी आर्थिक स्थिति कमजोर है ।

5-17-3 :- पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में पर्यटन पर 7.13 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । 1974-75 में 1.76 लाख तथा 75-76 में 2.2 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । पाँचवीं योजना काल में पर्यटन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं के विकास व विस्तार को प्राथमिकता दी गई है । इस हेतु लोहाघाट एवं चम्पावत में पर्यटन आवास गृह के निर्माण की योजना है । इस हेतु भूमि का चयन हो चुका है । वर्ष 1975-76 में लोहाघाट में ग्रीष्मोत्सव तथा पिथौरागढ़ में शरदोत्सव मनाने के लिये पाँच पाँच हजार रुपये दिये गये ।

5-17-4 :- इस जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सुगम यातायात, बिजली, पेयजल, सस्ते आवास एवं भोजनालयों की अत्यन्त आवश्यकता है । मनोरंजन के स्थल एवं आमोद प्रमोद की सुविधायें भी उपलब्ध होनी चाहिये । मुख्यालय में एक सस्ता पर्यटक गृह की आवश्यकता है । रेल हेड से मुख्यालय तथा आन्तरिक भाग तक मिनी बसों को चलाया जाय । इन सब सुविधाओं के होने के उपरान्त ही पर्यटन विकास सम्भव है

- - -

5-10-1 आवास

वर्ष 1960 में पिथौरागढ़ एक नया जिला बनाया गया। जिला बनने के उपरान्त इसका निरन्तर विस्तार होरहा है। क्योंकि यहाँ अनेक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय खुल गये हैं। सीमान्त जिला होने के कारण इसका सामरिक महत्व बढ़ गया है। वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्र में आवास की प्रमुख समस्या है। नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार शहरी मकानों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आवास संख्या
1960-61	211
1965-66	251
1973-74	655
1974-75	717
1975-76	783

इससे यह स्पष्ट है कि नगर का विस्तार तीव्र गति से होरहा है। सरकारी कर्मचारियों के वास्ते भी पर्याप्त मात्रा में सरकारी आवास गृह नहीं है जिसके कारण उन्हें अधिक किराया देना पड़ता है। नगर पालिका द्वारा अल्प वर्ग आय (सफाई कर्मचारी) के वास्ते 5 मकान बनाये गये हैं।

यहाँ के वास्ते एक सुनिश्चित मास्टर प्लान बनाकर आवास समस्या हल की जाय। समाज के कमजोर वर्ग अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के वास्ते विशेष योजना बननी आवश्यक है। स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका योगदान इसमें कम है। पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में आवास निर्माण हेतु 5.175 लाख रूपया व्यय करने का प्रस्ताव है जिसमें मध्यम आय वर्ग तथा दुर्बल आय वर्ग के सभी प्रकार के भवन सम्मिलित हैं। 1974-75 एवं 75-76 में कोई व्यय करने का प्रस्ताव नहीं है।

यहाँ के नगरीय विकास एवं आवास समस्या को हल करने के वास्ते पूरे नगरीय क्षेत्र का आवास विकास परिषद एवं नगर-पालिका की समन्वय करके मास्टर प्लान बनाकर मैदानी क्षेत्रों की भाँति सस्ते आवास गृहों का निर्माण करवा कर 'न लाभ न हानि' पर जनता को उपलब्ध करायें।

नगर पालिका सरकार, जीवन बीमा निगम या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के वास्ते आवास गृहों का निर्माण करवायें।

5-18-2 श्रम कल्याण

पंचवर्षीय योजनाओं का दृष्टिकोण समाज के पिछड़े हुए वर्ग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा हित कार्य सुविधायें प्रदान करना है । इसके लिये औद्योगिक विकास के साथ ही साथ श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना किया जाना है । अभी तक इस जनपद में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है परन्तु यह आशा की जाती है कि पंचम पंच वर्षीय योजना काल में मैगनासाईट कारखाने के चालू हो जाने तथा प्रस्तावित सीमेन्ट फैक्टरी के खुल जाने से यहाँ औद्योगिक विकास होगा जिसके लिये श्रम प्रवर्तन कार्य हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है ताकि श्रम कल्याण केन्द्र खोले जा सकें और श्रमिकों को उचित सुविधायें प्राप्त हों । पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में इस कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ किये जाने पर बल दिया गया है । पंचम पंच वर्षीय योजना का परिव्यय 20 हजार रुपया है । 1974-75 तथा 1975-76 में व्यय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

5:19 : आर्थिक सेवायें

5:19:1 भूमिका : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियोजन प्रणालियों में दक्षता लाने तथा नियोजन विभाग के कार्य का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से वर्ष 1971-72 में निर्मित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत एक प्रभाग के रूप में अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तर प्रदेश का रूप दे दिया गया जो अब राज्य नियोजन संस्थान के प्रभाग के रूप में स्थानान्तरित हो गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में केवल उत्तराखंड खण्ड के तीन जिलों के अतिरिक्त जिला सांख्यिकीय कार्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। सांख्यिकीय कार्य की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए इस जनपद में भी सांख्यिकीय कार्यालय की स्थापना अप्रैल 1973 में हुई। इसके पूर्व यहाँ के कार्य का सम्पादन संख्याधिकारी अल्मोड़ा की देखरेख में होता था।

5:19:2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद में सांख्यिकीय अधिष्ठान की स्थापना के उपरान्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपयोगार्थ महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रह हेतु राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण, अन्य विभिन्न सर्वेक्षण, विभिन्न सारिणीकरण, भावों का संग्रह, विकास खण्डों में नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) का सांख्यिकीय कार्य, आधारभूत आँकड़ों का संग्रह, योजना का कार्य विकास कार्यों की समीक्षा तथा अन्य प्रकार की रिपोर्टों व सूचनाओं का संग्रह एवं विवेचन संख्याधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

5:19:3 विकास सम्बन्धी योजनाओं का मूल्यांकन:- जिला योजनाओं को एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करके वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करने हेतु प्रदेश के 51 जिलों में उत्तराखण्ड के तीन जिलों के अतिरिक्त वर्ष 1973 में अर्थ अधिकारी और उसके कार्यालय की स्थापना की गई।

इसके अतिरिक्त जनपद में स्थित सांख्यिकीय कार्यालय की क्षमता बढ़ाने हेतु टाइप मशीन, केलकुलेटर इत्यादि साज सज्जा की सम्पूर्ति की योजना रखी गई। धनाभाव के कारण ये दोनों योजनायें 74-75 में कार्यान्वित न हो पायी।

5:19:4 दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष :- जनपद में सांख्यिकीय अधिष्ठान की क्षमता में वृद्धि लाने हेतु सांख्यिकीय कार्यालय में टाइप राइटर, केलकुलेटर, टेलीफोन, स्टील अलमारी, फर्नीचर इत्यादि की सम्पूर्ति अत्यन्त आवश्यक समझी गई। इसके वास्ते पाँचवीं योजना में 4:0 हजार रुपया का परिव्यय रखा गया है। 75-76 में 3:6 हजार रुपया परिव्यय है।

जिला योजना में तीव्र प्रगति लाने हेतु अन्य जिलों के समान अर्थ अधिकारी के कार्यालय की स्थापना हेतु 129:6 हजार रुपये का प्राविधान पाँचवीं योजना में रखा गया है। वर्ष 1975-76 का 31:3 हजार रुपये का

के परिव्यय का प्राविधान है । दोनों योजनाओं का कुल पाँचवीं योजना का परिव्यय 153:6 हजार रुपये एवं 75-76 का परिव्यय 34:9 हजार रुपये प्रस्तावित है । 74-75 में कोई व्यय नहीं हुआ । इन योजनाओं के बारे कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

5:19:5 विकास हेतु सुदृढ़ स्तरीय नीति ।

5:19:6 विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कार्यक्रम -

इस जनपद में जिला योजनाओं के निर्माण हेतु अर्थ अधिकारी एवं उनके कार्यालय की शीघ्र व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है ।

5:19:7 संसाधन की उपलब्धता :- दोनों योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पूरा वित्तीय परिव्यय राज्य आयोजनागत शीर्षक के अन्तर्गत है । संस्थागत, राज्य निगमों तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित, जनपोषित तथा केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत परिव्यय /व्यय को शून्य समझा जाय ।

5:19:8 अतिरिक्त एवं कुशल शक्तियों की आवश्यकता - प्रश्न नहीं उठता है ।

5:19:9 राज्य सरकार के स्तर निर्णय हेतु प्रश्न :- जिला योजना कार्य के कार्य अर्थ अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र करना अति आवश्यक है ।

अध्याय - 8

वित्तीय एवं ऋण देने वाली संस्थाओं का योगदान

8.1 जनपद की पाँचवीं पंच वर्षीय योजना का अनुमानित परिव्यय 24.23 करोड़ रुपये का है, जिसमें न्यूनतम न्यूनतम कार्यक्रम भी सम्मिलित है। उत्पादन कार्यक्रम अर्थात् कृषि तथा सम्बन्धित कार्यक्रम, सहकारिता, सिंचाई, विद्युत, एवं उद्योगों को 11.31 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है जो कि कुल आवंटन का 47 प्रतिशत है। 1974-75 में 1.63 करोड़ रुपये का व्यय हुआ तथा 1975-76 का परिव्यय 2.24 करोड़ रुपये का है। सबसे अधिक परिव्यय संचार, पेयजल एवं विद्युत परियोजनाओं के लिये प्रस्तावित है।

8.2 विभिन्न परियोजनाओं के लिये संस्थागत वित्त से 1.51 करोड़ रुपये तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित से 52 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त होगा। यदि सभी वाणिज्यिक बैंकों एवं एल०आई०सी० द्वारा वित्तीय सहायता की जानी की आशा है। उद्योग विकास के लिये भी विभिन्न बैंकों से ऋण मिलने की आशा है।

अध्याय - 7

भौतिक आवश्यकतायें ।

7-1 विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू किये जाने के वास्ते यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि उनके लिये क्या क्या सामग्री जैसे, सीमेन्ट, लोहा, स्टील, कोलतार, पाइप , नल आदि की आवश्यकता पड़ेगी । यह इस लिये भी जरूरी है कि समय पर सभी सामग्री निरन्तर उपलब्ध रहे । और विभिन्न कार्यक्रमों का लक्ष्य जितने भी निश्चित किये गये हैं उसी के अन्दर कार्यक्रम पूर्ण हो जाये । यह एक कठिन कार्य है और इसी वास्ते बहुत ही सुनिश्चित ढंग से यह निर्धारित किया जाय कि योजना की विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये सही किस्म की उपलब्ध मात्रा में सामग्री उपलब्ध हो सके ।

7: 2 वास्तव में बिजली, सड़क, नहर एवं पेयजल जैसी योजनाओं को पूरा करने के वास्ते यह पहिले से ही ज्ञात हो जाना चाहिये कि कितना लोहा, स्टील, सीमेन्ट, पाईप, कोलतार की आवश्यकता पड़ेगी और सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में रख कर ही योजना बनाई जाय । सामग्री का क्रय से प्राप्त किया जाना इस लिये भी आवश्यक हो जाता है कि यह जनपद रेल हैड से काफी दूरी पर है ।

7: 3 इस जनपद के विद्युत , सड़क, पेयजल, एवं नहर योजनाओं के लिये पाँचवीं योजना में जितनी भौतिक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी इसका एक मोटा अनुमान निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0 कार्यक्रम	इकाई	सीमेन्ट	स्टील/लोहा	कोलतार	पाइप
1- विद्युत	मी0टन	2,000	3,000	-	-
2- सड़क	,,	2,000	300	2,000	-
3- पेय जल	,,	3,300	250	-	3,0…
4- नहर	,,	25,000	200	-	-

	जी0आई0 पाईप	मीटर में	ट्रक 2(सं…
विद्युत	22,00	-	
पेयजल	-	2	-

(150, 200-400 मीटर पा…

अध्याय - 8

रोजगार क्षमता

इस जनपद में कोई भी पंजीकृत कारखाना नहीं है । केवल 51 पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं, जो रोजगार आधारित हैं और इनमें बहुत कम व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर पाये हैं ।

1971 की जनगणना के अनुसार 43.2 प्रतिशत् श्रमिक एवं 56.8 कार्य न करने वाले व्यक्ति हैं ।

8.2 यह अनुमान कठिन है कि पाँचवीं योजना काल में कितने व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त हो सकेगा, फिर भी यह आशा की जाती है कि सड़क, बिजली, पेय जल, नहर के कार्यों में काफी मजदूरी एवं अन्य कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी और फलस्वरूप स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा । इस समय की सड़कों के निर्माण में स्थानीय व्यक्तियों के अतिरिक्त बाहर के व्यक्ति भी लगे हुए हैं ।

8.3 यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित है कि सैनिक रूप जनपद के अधिकतर व्यक्ति मुख्यतः सेना (फौज) में कार्यरत हैं । यहाँ अभी नियुक्त सैनिक, जो सेवा रत हैं, उनकी संख्या 10003 है ।

अध्याय - 9

न्यूनतम् कार्यक्रम

9.1 सामाजिक न्याय नियोजन का मुख्य ध्येय है। न्यूनतम कार्यक्रम इस दिशा की ओर एक मुख्य अंग है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग को न्यूनतम सामाजिक सुविधायें उपलब्ध कराना है। इससे समाज के कमजोर वर्ग के लोग ऊपर उठ सकते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल पूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क निर्माण, भूमिहीन मजदूरों के आवास के लिये भूमि का आवंटन तथा पुष्टाहार कार्यक्रम आते हैं।

9.2 विभिन्न मदों में परिव्यय की स्थिति निम्न प्रकार है :-
(लाख रुपये में)

योजना	पंचवर्षीय योजना का परिव्यय	1974-75 का व्यय	1975-76 का परिव्यय
प्रारम्भिक शिक्षा	21.33	6.83	1.61
ग्रामीण स्वास्थ्य	8.25	1.75	1.75
पुष्टाहार	—	—	—
ग्रामीण पेयजल	536.82	14.85	38.92
सड़क	229.00	—	16.15
विद्युतीकरण	66.00	—	—

विद्युतीकरण में 1974-75 व 1975-76 में शून्य परिव्यय रखा गया है।

9.3 विभिन्न कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य / पूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :-

कार्यक्रम	31.3.74 तक की स्थिति	पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	74-75 में पूर्ति	75-76 का लक्ष्य
1 (मि०) बालक	2	-	-	-
(प्रा०) बालक	466	15	25	10
2 (मि०) बालिका	1	-	-	-
(प्रा०) बालिका	98	14	4	6
पेयजल युक्त ग्राम	299	108	35	40
ग्रामीण विद्युतीकरण	-	89	-	-
ग्रामीण सड़क (कि०मी०)	-	114.5	23	16

जनपद में इस समय तक कुल 1264 परिवारों को भिन्न भिन्न परियोजना हेतु 2183.87 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इनमें से 1051 परिवार पिछड़े वर्ग तथा 213 परिवार अन्य हैं। 867 परिवार को ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत जिसमें प्रत्येक परिवार को 150 वर्ग गज के हिसाब से 180.35 हैक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन 867 परिवारों में से 732 परिवार हरिजन (अनुसूचित जाति / जन जाति) के तथा 135 अन्य परिवार हैं।

अध्याय - 10

कमजोर वर्ग के लिये कार्यक्रम

10.1 समाज के कमजोर वर्ग में वे लोग हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य विकास कार्यक्रमों में सहयोग नहीं रहता है। यहाँ पर इस वर्ग में छोटे कृषक, भूमिहीन मजदूर व परम्परागत कारीगर आते हैं तथा इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व जनजाति भी है।

10.2 अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के लिये आवास सुविधा, कुटीर उद्योग, पेयजल, शिक्षा सुविधा, विद्युतीकरण सुविधा आदि विकास कार्यक्रम अपनाये गये हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि यहाँ का बहुत ही पिछड़ा वर्ग है के पुनर्वास के लिये यह योजना रखी गई है जिसमें 9 परिवारों को लोहिया नगर में भूमि आवंटित कर बसाया गया है। इसमें 31500 रुपया भवन निर्माण तथा भूमि सुधार की योजनाओं में व्यय हुआ।

10.3 इस प्रखण्ड में एस०एफ०डी०ए० तथा एम०एफ०ए०एल० एवं संगठित लघु कृषक आदि की कोई योजना लागू नहीं होती है। कमजोर वर्ग के लिये [illegible] विशेष तौर पर नहीं है, परन्तु अनुसूचित एवं जनजाति के लिये विकास खंड के विभिन्न कार्यक्रम हैं जिसका विस्तृत विवरण अध्याय 5-15 में दिया गया है।

अध्याय - 11

जनजाति क्षेत्र का विकास -

11.1 इस जनपद के दो विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी में भोटिया जनजाति के लोग अधिकांश संख्या में रहते हैं। ये लोग मुख्यतः भेड़ पालते हैं तथा थुलमा, चुटका, दन व कालीन आदि बनाते हैं और लगभग प्रत्येक परिवार की यह पैतृक दस्तकारी है। इन लोगों में कुछ भोटिया लोग सम्पन्न वर्ग के हैं अन्य लोग उतने गरीब हैं और उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं है। इन लोगों के उत्थान के लिये विभिन्न प्रकार की योजनायें बनाई गई हैं, जिनका विवरण 5-15 अध्याय में दिया गया है।

11.2 जन जाति का दूसरा समुदाय वन रावतों का है। वन रावत जाति के उत्थान के लिये विकास कार्यक्रमों में विभिन्न योजनायें प्रस्तावित हैं, जैसे सम्पर्क मार्ग, लघु सिंचाई, [illegible] आदि रखी गई हैं।

अध्याय - 12

पर्वतीय क्षेत्र का विकास

(पशुपालन, वनीकरण, पर्यटन, औद्योगीकरण)

12.1 पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए यहाँ [illegible] वन से औद्योगीकरण इत्यादि योजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ताकि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो सके तथा लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जा सके। [illegible] पंचवर्षीय [illegible] में इन सभी विभागों की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

12.2 इसके साथ ही साथ ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल योजना तथा सड़कों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंचवर्षीय योजना काल में 3500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाया जायेगा। पशु [illegible] तथा अन्य [illegible] में विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने तथा पशुओं को [illegible] करने के लिये उचित स्थानों पर [illegible] स्थापित किये जायेंगे। [illegible] पशुपालकों को [illegible] का प्रशिक्षण देने की योजना भी है।

12.3 भेड़ तथा कुक्कुट विकास की योजनायें भी पर्वतीय क्षेत्र के लिये प्रस्तावित हैं। पिथौरागढ़ (शिव) में [illegible] कुक्कुट [illegible] का विस्तार भी किया जायेगा। पिथौरागढ़ जनपद की [illegible] के [illegible] की [illegible] को दूर करने के लिये [illegible] एक [illegible] है [illegible] अति [illegible] है। इसी प्रकार क्षेत्र के [illegible] 60 [illegible], पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये 415 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 310 [illegible] तथा [illegible] 33 के0वी0 लाईन व 2.55 के0वी0 [illegible] के निर्माण का [illegible] रखा गया है [illegible] जनपद में [illegible] का [illegible] नहीं [illegible]। पर्यटन में [illegible] 18 और 20 [illegible] का पर्यटन वृद्धि होने का अनुमान है। [illegible] औद्योगिक [illegible] के विकास के लिये भी [illegible] किया गया है। [illegible] में [illegible] के [illegible] तक औद्योगीकरण [illegible] जायेगा।

जिला मिर्जापुर

पाँचवीं योजना परिव्यय

क्र०सं० कार्यक्रम	पाँचवीं योजना परिव्यय					1974-75 परिव्यय				
	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
1- कृषि	3950	-	-	-	3950	351	-	-	-	351
2- गन्ना विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3- चकबन्दी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4- फल उपयोग	13039	2100	314	-	15453	497	-	66	-	563
5- निजी लघु सिंचाई	1465	-	-	-	1465	390	-	-	-	390
6- राजकीय सिंचाई										
(क) लघु सिंचाई	13400	-	-	-	1340	900	-	-	-	900
(ख) बृहद एवं मध्यम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7- भूमिसंरक्षण	3675	-	-	-	3675	1067	-	-	-	1067
7- क- भण्डारण एवं विपणन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8- पशुपालन	7553	-	-	-	7553	431	-	-	-	431

[illegible] - 1

(हजार रुपये में)

[illegible] व्यय					1975-76 का परिव्यय				
राज्य आयोजनागत	सीमागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग	राज्य आयोजनागत	सीमागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
27	-	-	-	27	290	-	-	-	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	68	-	436	835	-	171	-	966
428	-	-	-	428	200	-	-	-	200
460	-	-	-	460	1100	-	-	-	1100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	-	-	-	1273	725	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	-	181	383	-	-	-	383

पाँचवीं योजना परिव्यय

क्र०सं० कार्यक्रम	पाँचवीं योजना परिव्यय: राज्य आयोजनागत	केन्द्रगत	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	केन्द्रीय सेक्टर	योग	1974-75 परिव्यय: राज्य आयोजनागत	केन्द्रगत	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
9- दुग्ध सम्पूर्ति	793		-	-	793	206	-	-	-	206
10- मत्स्य	57	-	-	-	57	8	-	-	-	8
11- वन	21685	-	-	-	21685	534	-	-	-	534
12- सामुदायिक विकास	107	-	-		107	12	-	-	-	12
13- पंचायती राज	185	-	-	-	185	8	-	-	-	8
14- प्रान्तीय दल	61	-	-		61	3	-	-	-	3
15- सहकारिता	1381	-	-	-	1381	220	-	-	-	220
16- बाढ़ सुरक्षा	-	-	-		-	475	-	-	-	475
17- ग्रामीण विद्युतीकरण	37180	-	-	-	37180	1610	-	-	-	1610
18- सिंचाई	1800	-	-	-	1800	350	-	-	-	350

1975-76 का परिव्यय

रु लाख

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	योग
103	-	-	-	103	50	-	-	-	50
-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
434	-	-	-	434	511	-	-	-	511
12	-	-	-	12	40	-	-	-	40
8	-	-	-	8	14	-	-	-	14
3	-	-	-	3	3	-	-	-	3
-	-	-	-	-	196	-	-	-	196
475	-	-	-	475	274	-	-	-	274
1710	-	-	-	1710	992	-	-	-	992
450	-	-	-	450	250	-	-	-	250

क्र०सं० कार्यक्रम	पांचवीं योजना परिव्यय					1974-75 परिव्यय				
					योग					योग
19-वृहत उद्योग	2470	-	-	-	2470	190	-	-	-	190
20-खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	-	1381	-	-	1381	-	218	-	-	218
21-खनिकरण	523	-	-	-	523	103	-	-	-	103
22-सड़कें एवं सेतु	57817	-	-	-	57817	3533	-	-	-	3533
23-सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-पर्यटन	713	-	-	-	713	176	-	-	-	176
25-शिक्षा	2645	-	-	-	2645	111	-	-	-	111
26-प्राविधिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	2804	-	333	-	3137	391	-	151	-	542

1975-76 का [illegible]

रुपए

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
190	-	-	-	190	159	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	192	-	-	192
32	-	-	-	32	52	-	-	-	52
3510	-	-	-	3510	6802	-	-	-	6802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	-	-	-	176	220	-	-	-	220
144	-	-	-	144	229	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-	156	-	408	521	-	55	-	576

पांचवी योजना परिव्यय (144)

क्र० सं० कार्यक्रम	पांचवीं योजना परिव्यय					1974-75 परिव्यय				
	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सैक्टर	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सैक्टर	योग
28-पेयजल एवं जल निकास	45475	11125	-	-	56600	4408	-	-	-	4408
29-पेयजल (तकनीकी विभाग)	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20
30-आवास एवं विकास	-	518	-	-	518	-	-	-	-	-
31- पूर्वला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-(क) प्रशिक्षण एवं [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) श्रमकल्याण	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-
33-(क) हरिजन कल्याण	1666	-	4382	-	6048	42	25	-	67	4 67
(ख) समाज कल्याण	514	-	-	-	514	65	-	-	-	65
34- पुष्टाहार कार्य क्रम	698	48	204	-	950	-	13	60	0:4	73:4

[illegible] आगे से

राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग	1975-76 का परिव्यय राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
5187	-	-	-	5187	3750	3063	-	-	6813
20	-	-	-	20	30	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	-	130	-	597	443	-	730	-	1173
24	-	-	-	24	80	-	-	-	80
-	13	60	0.4	73.4	-	6	60	-	66

क्रम0 तालिका पंचवर्षीय योजना परिव्यय

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	योग
35- [illegible]	87	-	-	-	87	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36- [illegible] एवं प्रशिक्षण, प्रयाग										
37- [illegible]	134	-	-	-	134	24	-	-	-	24
38- [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221297	15172	5233	/	242352	16125	231	302	0.4	16658

विभाग द्वारा प्राप्त के अनुसार परिव्यय -

(1) सहकारिता	925	-	-	206	1131	221	-	-	-	221
(2) सड़कें	57817	-	-	-	57817	3555	-	-	-	3555
(3) स्वास्थ्य	2887	-	8385	-	11272	392	-	1261	-	1653
(4) पशुपालन	8863	-	-	-	8863	396	-	-	-	396

निदेशक द्वारा अधिकारियों से प्राप्त परिव्यय

1- वन	3735	-	-	-	3735	401	-	-	-	401

2- विद्युत - क्रमांक 17 में विद्युत विभाग से प्राप्त परिव्यय दिखाया गया है)

1974-75					1975-76 का परिव्यय				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15934	13	414	884	16361[illegible]	18206	3261	916	-	22383
-	-	-	-	-	196	-	-	-	196
4558	-	-	-	4558	6400	-	-	-	6400
252	-	1003	-	1255	522	-	1078	-	1600
177	-	-	-	177	329	-	-	-	329
401	-	-	-	401	777	-	-	-	777

प्रपत्र - 3

जिला प्रतापगढ़ पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

क्रम सं0	मद	इकाई	31-3-90 तक की स्थिति
1	2	3	4
1- कृषि			
(1)	भौगोलिक क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	907
(2)	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	,,	65
(3)	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	,,	52
(4)	सकल बोया गया क्षेत्र	,,	117
(5)	वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	265
(6)	कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	26
(7)	ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	,,	60
(8)	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	,,	444
(9)	अन्य वृक्षों / कुंजों की फसलों का क्षेत्र	,,	5
(10)	स्थायी चरागाह और अन्य चरागाह	,,	29
(11)	वर्तमान परती भूमि	,,	13
(12)	अन्य परती भूमि	,,	—
(13)	खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	65
(14)	रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	52
(15)	जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	—
(16)	फसल सघनता	,,	—
(17)	खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,	—

	31-3-74 तक की स्थिति	[illegible] वर्षीय [illegible]	वर्ष 74-75 की वास्तविक [illegible]	वर्ष 75-76 का
	5	[illegible]	7	[illegible]
(1)	907	907	907	907
(2)	65	65	65	65
(3)	52	52	52	52
(4)	117	117	117	117
(5)	289	289	289	289
(6)	26	26	26	26
(7)	60	60	60	60
(8)	428	427	427	427
(9)	6	7	7	7
(10)	29	29	29	29
(11)	13	13	13	13
(12)	-	-	-	-
(13)	65	65	65	65
(14)	52	52	52	52
(15)	-	-	-	-
(56)	-	-	-	-
(17)	78 7	28 450	03 214	03 331

1	2	3	4
(18) नहरों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	हजार हैक्टेयर		—
(19) जलाशय के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र	,,		—
(20) सकल सिंचित क्षेत्र	,,		—
(21) शुद्ध सिंचित क्षेत्र	,,		—
(22) सिंचाई की सघनता			
(1) शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में ।	,,		—
(2) कुल सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में ।	,,		—
(23) कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत ।	,,		—
(24) शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत ।	,,		—
(25) सिंचाई के साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र %	हैक्टेयर में		
(1) नहरों से	,,		—
(2) राजकीय नल कूपों	,,		—
(3) निजी नल कूपों	,,		—
(4) अन्य (कुआं, तालाब, लघु सिंचाई)	,,		—
(26) अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का वितरण	क्विंटल		
(1) खरीफ की फसलें	,,		217
(2) रबी की फसलें	,,		194
(27) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र ।	हजार हैक्टेयर		
(क) खरीफ की फसलें			
(1) धान	,,		1·30
(2) मक्का	,,		0·06

	5	6	7	8
(18)	7: 1	2: 083	2: 200	0: 348
(19)	-	-	-	-
(20)	44: 800	4: 533	0: 414	0: 679
(21)	2: 779	2: 459	0: 947	1: 100
(22)				
1-	4: 2	2: 2	1: 4	1: 6
2-	12: 6	3: 8	0: 3	0: 5
(23)	13	13	13	13
(24)	7	7	7	7
(25)				
1-	714	1350	150	121
2-	-	-	-	-
3-	-	-	-	-
4-	1749	1100	64	210
(26)				
1-	766	422	279	392
2-	15	90	35	35
(27) 不-				
1-	3: 81	2: 25	4: 39	2: 10
2-	0: 69	0: 35	0: 16	0: 28

1	2	3	4
	(3) बाजरा	हजार हेक्टेयर	—
	(4) गेहूँ	,,	1.51
	(ख) कमजोर स्थिति		
	(1) धान	,,	2.40
	(2) मक्का	,,	17.69
	(3) बाजरा	,,	—
	(4) गेहूँ	,,	2.00
	(5) ज्वार	,,	—
(26)	पहले सूखे फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र		
	(क) खाद्यान्न		
	(1) धान	,,	33.79
	(2) ज्वार	,,	0.10
	(3) बाजरा	,,	—
	(4) मक्का	,,	5.92
	(5) गेहूँ	,,	36.90
	(6) जौ	,,	9.73
	(7) मडुवा	,,	10.98
	(8) झिंगोरा	,,	9.01
	(9) चना	,,	0.45
	योग —	,,	116.37 102.61
	(ख) दलहन		
	(1) उर्द, (2) मूंग — खरीफ	,,	0.90
	(3) चना, (4) मटर, (5) अरहर, (6) मसूर — रबी	,,	1.25
	योग —	,,	2.15

5	6	7	8
7: 67	2: 60	3: 40	2: 45
4·97 2: 57	3: 00	6: 03	2: 70
2: 24	0: 35	2: 26	0: 3[illegible]
3: 40	3: 00	4: 19	2: [illegible]
[illegible]	3[illegible]: 00	10: 32	34: 40
0: [illegible]	0: 12	0: 20	0: 2[illegible]
5: 35	6: 30	[illegible]	6: 1[illegible]
38: 9[illegible]	42: 32	4[illegible]: 42	40: [illegible]
9: 60	9: 00	9: [illegible]0	9: 3[illegible]
10: 3[illegible]	8: 30	10: 20	9: 5[illegible]
8: 80	8: 00	8: 70	8: 60
0: 45	0: 45	0: 45	0: 45
11[illegible]: 3[illegible] 109·35	109: 72 109·49	85: 79	109: 55
1: 38	1: 4[illegible] 1:43	1: 49	1: 40
1: 26	1: 28	1: 26	1: 27
2: 64	2: 71	2: 75	2: 67

1	2	3	4
	(ग) वाणिज्य फसलें	हजार हैक्टर	[illegible]
	(1) मूंगफली	,,	0·05
	(2) लाही/सरसों	,,	0·04
	(3) सूरज मुखी	,,	—
	(4) सोयाबीन	,,	—
	(5) अन्य तिलहन	,,	—
	(6) गन्ना रेशा फसल	,,	—
	(7) आलू सब्जी / प्रत्येक	,,	2·55
	(8) तम्बाकू	,,	0·12
	(9) अन्य	,,	0·45
	योग		[illegible]
(29)	मुख्य फसलों का उत्पादन	हजार मै०टन	
	(क) खाद्यान्न		
	(1) धान	,,	37·90
	(2) ज्वार	,,	0·29
	(3) बाजरा	,,	—
	(4) मक्का	,,	7·12
	(5) गेहूं	,,	31·67
	(6) जौ	,,	4·36
	(7) मडुवा	,,	0·72
	(8) झंगोरा	,,	1·21
	[illegible]	,,	[illegible]
	योग –	,,	[illegible] 73·57
	(ख) दालें		
	(1) उर्द } (2) मूंग } प्रत्येक	,,	2·69 0.62
	(3) चना } (4) मटर } (5) अरहर } (6) मसूर } रबी	,,	0·62
	(7) अन्य	,,	0·16
	योग –	,,	1·48

(155)

5	6	7	8
0.0?	0.06	0.06	0.05
0.04	0.05	0.05	0.05
-	-	-	-
-	1.50	0.40	1.20
-	-	-	-
-	-	-	-
2.88	3.48	2.98	3.08
0.12	0.12	0.12	0.12
0.45	0.45	0.45	0.45
3.57	5.62	4.06	4.97
34.9?	35.88	34.14	34.72
0.09	0.12	0.10	0.10
-	-	-	-
7.26	7.84	7.35	7.47
31.94	34.64	32.43	32.93
4.80	4.56	4.79	4.67
8.27	9.23	8.62	8.53
7.94	6.40	6.96	6.88
95.40	98.61	94.30	95.20
0.69	0.70	0.69	0.70
0.63	0.69	0.65	0.66
0.18	0.18	0.18	0.18
1.53	1.59	1.52	1.54

1	2	3	4
	(ग) तिलहन उत्पादन	हजार मीट्रिक टन	
	(1) मूंगफली	,,	08.04
	(2) लाही/सरसों	,,	0[illegible]
	(3) सूरजमुखी	,,	—
	(4) सोयाबीन	,,	—
	(5) अन्य तिलहन	,,	—
	(6) [illegible]	,,	—
	(7) [illegible]	,,	1[illegible] 87
	(8) तम्बाकू	,,	0[illegible] 36
	(घ) कुल योग खाद्यान्न उत्पादन		95.65
(30)	पौध सुरक्षा के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	हजार हैक्टेयर	13.75
(31)	भूमि संरक्षण		
	(1) कृषि भूमि में	,,	—
	(2) बेकार भूमि में	,,	—
(32)	[illegible]	,,	—
(33)	रासायनिक उर्वरक वितरण	हजार मी०टन	
	(1) नाइट्रोजन (एन)	,,	0.042
	(क) कृषि विभाग	,,	[illegible]
	(ख) सहकारिता विभाग	,,	—
	(ग) एग्रो	,,	—
	(घ) अन्य सहकारी समितियाँ	,,	—
	(ङ) प्राइवेट एजेन्सी	,,	—
	(2) फास्फोरस (पी०ओ० 5)		
	(क) कृषि विभाग	,,	0.026
	(ख) सहकारिता विभाग	,,	—
	(ग) एग्रो	,,	—
	(घ) अन्य सहकारी समितियाँ	,,	—
	(ङ) प्राइवेट एजेन्सी	,,	—

	5	6	7	8
	0: 04	0: 07	0: 05	0: 06
	0: 15	0: 14	0: 12	0: 13
	0: 50	0: 75	0: 55	0: 60
	14: 77	16: 73	15: 27	15: 78
	0: 36	0: 36	0: 36	0: 36
	94: 90	102: 20	97: 83	96: 98
(30)	31: 95	100: 00	40: 19	95: 00
(31)	1: 65	4: 35	0: 76	0: 30
(1)	1.66	4.35	0.76	0.30
(2)				
	0: 067	0: 400	0: 076	0: 100
	0: 070	0: 200	0: 033	0: 400 0.040

1	2	3	4
	(3) पोटाश (के0टूओ)	हजार मै0टन	
	(क) कृषि विभाग	,,	0.019
	(ख) सहकारिता विभाग	,,	—
	(ग) इफको	,,	—
	(घ) गन्ना सहकारी समितियाँ	,,	—
	(ङ) [illegible]	,,	—
	(4) कम्पोस्ट खाद का उत्पादन	,,	7 03.33
	(5) हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र हजार हैक्टेयर		—
(34)	नियोजित बाजार	संख्या	—
(35)	उपलब्ध संग्रहण क्षमता	हजार मै0टन	
	(क) उर्वरक		
	(1) कृषि विभाग	,,	0.70
	(2) सहकारिता विभाग	,,	—
	(3) अन्य	,,	—
	योग:-	,,	0.70
	(ख) खाद्यान्न		
	(1) सहकारिता विभाग	,,	—
	(2) खाद्य विभाग	,,	—
	(3) अन्य	,,	—
(36)	कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण		
	(1) पम्पिंग सेट	संख्या	—
	(2) [illegible]	,,	—
	(3) [illegible]	,,	—
	(4) [illegible]	,,	—
(37)	कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या		
	(1) कृषि उद्योग निगम	,,	—
	(2) सहकारिता	,,	—
	(3) कृषि विभाग	,,	—
	(4) अन्य	,,	—

(150)

5	6	7	8
0.015	0.150	0.015	0.030
1071.88	642.40	851.90	607.60
	0.07	0.02	0.03
0.70	0.70	0.70	0.70
0.70	0.70	0.70	0.70

क्र०सं०	मद	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति
1	2	3	4
8-	बागवानी क्षेत्र, [illegible] [illegible]		
	(1) [illegible]	हजार हैक्टेयर	3: 60
	(2) [illegible]	,,	0: 11
	(3) [illegible]	,,	0: 36
	(4) फल उत्पादन	हजार मीट्रिक टन	–
	(क) [illegible]	,,	–
	(ख) [illegible]	,,	–
	(ग) अन्य	,,	–
	(फलों के नाम दीजिये)		

	31: 3: 74 शेष को स्थिति।	पांचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
	2	6	7	8
(1)	6: 70	3: 50	0: 44	0: 65
(2)	1: 21	0: 30	0: 32	0: 05
(3)	8: 72	13: 20	2: 06	2: 50
4(क)	—	2: 50	0: 53	0: 50
	8: 00	5: 50	3: 50	3: 50
	—	2: 00	1: 27	1: 00

1	2	3	4
3- पशुपालन			
(1) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या		–
(2) कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या	संख्या हजार		–
(3) कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	,,		–
(4) स्टाकमैन सेन्टर (पशु सेवा केन्द्र)	,,		43
(5) राजकीय कुक्कुट फार्म	,,		1
(6) सहकारी कुक्कुट फार्म	,,		–
(7) पशु चिकित्सालय/औषधालय	,,		8
(8) भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र	,,		–
(9) सघन पशु विकास खण्ड	,,		3
(10) चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	हेक्टेयर		–
(11) पशुओं के बीमारियों की रोकथाम	टीका		
(1) एच०एस०	,,		–
(2) बी०क्यू०	,,		–
(3) रिन्डर पेस्ट	,,		–
4- मत्स्य			
(1) तालों का मत्स्यीकरण	संख्या		–
(2) धीवर मछुआ सहकारी समितियाँ	,,		–
(3) अंगुलिकाओं का वितरण	लाख		–
(4) मत्स्य बीज फार्म	संख्या		–
(5) मत्स्योत्पादन	मी०टन		–

	5	6	7	8
3-				
(1)	2	—	—	—
(2)	1389	—	717	—
(3)	—	7	3	—
(4)	52	—	—	—
(5)	1	—	—	—
(6)	—	—	—	—
(7)	12	—	—	—
(8)	—	4	—	—
(9)	3	—	—	—
(10)	56	282	32	58
(11)				
(1)	30390	—	13090	3000
(2)	22451	—	8305	1600
(3)	4227	—	1002	—
4-				
(1)	—	—	—	—
(2)	—	—	—	—
(3)	—	—	—	—
(4)	—	—	—	—
(5)	—	—	—	—

क्र0सं0	मद	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति
1	2	3	4
5- वन			
(1)	वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	हजार हैक्टेयर में *	75
(2)	वर्क प्लान क्षेत्र	,,	75
(3)	आर्थिक महत्व के वनों का क्षेत्र	,,	—
(4)	जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	,,	—
(5)	ईंधन वृक्षों का क्षेत्र	,,	—
(6)	भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	—
(7)	सड़कों की लम्बाई	कि0मी0	
	(1) तारकोल्ड	,,	—
	(2) अन तारकोल्ड	,,	—
(8)	रेवाइन्स रिक्लेमेशन	हजार हैक्टेयर में	—
(9)	वर्क प्लान के बाहर क्षेत्र	,,	—
6- सिंचाई (अ) सरकारी			
(1)	लघु सिंचाई		
(क)	निजी लघु सिंचाई		
(1)	पक्के कुएं	संख्या	--
(2)	लघु बोरिंग	,,	--
(3)	रहट	,,	--
(4)	नलकूप	,,	--
(5)	पम्प सेट	,,	--
(6)	बंधी	हैक्टेयर	--
(7)	पहाड़ी क्षेत्र में नालियाँ	कि0मी0 राज्य	586
(8)	पहाड़ी क्षेत्र में हौज निर्माण	संख्या ,,	383
(9)	सिंचन क्षमता का सृजन	हजार हैक्टेयर	19220

* सिविल एवं सोयम की रक्षा भी सम्मिलित है,

31-3-74 तक की स्थिति	पांचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
5	6	7	8
112	—	—	—
112	—	—	—
—	240	45*	30*
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
279	42	2	—
—	—	—	—
—	—	—	—
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
789	390	10.16	60 (अ)
608	615	60	155 ,,
1.749	1.100	0.064	0.220

1	2	3	4
(ग)	राजकीय लघु सिंचाई		
(1)	नलकूप	संख्या	--
(2)	गूल निर्माण	कि0मी0	--
(3)	अन्य (विवरण दीजिये)	,,	--
(4)	सिंचन क्षमता का सृजन	हजार हैक्टेयर राज्य	--
(घ)	अनुपयुक्त सिंचन क्षमता में ह्रास		
	(1) निजी लघु सिंचाई	,,	--
	(2) राजकीय लघु सिंचाई	,,	--
	योग-		--
(ङ)	कुल उपलब्ध शुद्ध क्षमता		
	(1) निजी लघु सिंचाई	हजार हैक्टेयर में	1:220
	(2) राजकीय लघु सिंचाई	,,	--
	योग-		1:220
2-	बृहत एवं मध्यम सिंचाई		
	(1) सिंचन क्षमता का सृजन	,,	--
	(2) नहर निर्माण (नहरों का विवरण दीजिये)	कि0मी0	--
3-	सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग		
	(1) निजी लघु सिंचाई	हजार हैक्टेयर राज्य	1:220
	(2) राजकीय लघु सिंचाई	,,	--
	(3) बृहत एवं मध्यम सिंचाई	,,	--
	योग-		1:220

टिप्पणी - सूचना अनुमानित एवं अस्थाई है।

	5	6	7	8
१(ख)				
	–	–	–	–
	141:5	157:80	3:100	35:50
	–	–	–	–
	0:714	1:35	0:15	0:121
(ग)				
	–	–	–	0.00
	0:714	1:35	0:15	0:121
	0:714	1:35	0:15	0:121
(घ)				
	1:749	1:100	0:064	0:210
	0:714	1:350	0:150	0:121
	2:463	2:450	0:214	0:331
2–				
	–	–	–	–
	–	–	–	–
3–				
	1:749	1:100	0:064	0:210
	1:030	1:350	0:883	0:890
	–	–	–	–
	2:779	2:450	0:947	1:100

क्रमांक	मद	इकाई	31-7-69 तक की स्थिति
1	2	3	4
7- उद्योग			
(i)	औद्योगिक इकाइयों की संख्या	संख्या	
	(क) संगठित		
	(i) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत	,,	—
	(ii) अन्य	,,	—
	(ख) असंगठित	,,	—
(ii)	उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या	,,	—
	(क) संगठित क्षेत्र में		
	(i) फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयों में	संख्या	—
	(ii) अन्य	,,	—
	(ख) असंगठित क्षेत्र में	,,	—
(iii)	उत्पादित वस्तुओं का मूल्य	हजार रुपये में	
	(क) संगठित क्षेत्र	,,	—
	(ख) असंगठित क्षेत्र	,,	—
(4)	औद्योगिक अस्थान		
	1- संख्या	राज्य	—
	2- शेडों का निर्माण	,,	—
	3- कार्यरत इकाइयाँ	,,	—
(5)	हथकरघा उद्योग		
	क- हथ करघों की संख्या	,,	—
	ख- सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या	,,	—
	ग- हथकरघों की सहकारी समितियों की संख्या	,,	—
	घ- हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन	(लाख मी0)	—

[illegible]

[illegible]

	5	6	7	8
(i)				
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
(ii)				
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
(iii)				
	–	–	–	–
	–	–	–	–
(4)				
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
(5)				
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

1	2	3	4
6- [illegible] उद्योग			
कोया का उत्पादन		किलोग्राम	83
टसर ([illegible])		संख्या	—
7- [illegible] उद्योग			
[illegible] करघों की संख्या		संख्या	—
सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या		,,	—
[illegible] बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन		,,	—
[illegible] वस्त्र का उत्पादन		मो०टन	—
8- वृहत मात्रा में उत्पादन करने वाली इकाइयाँ		संख्या	
(क) चीनी मिल			
(1) संख्या		संख्या राज्य	—
(2) उत्पादन		टन हजार में	—
(3) रोजगार में लगे व्यक्ति		संख्या	—
(ख) वस्त्र मिल			
(1) संख्या		संख्या राज्य	—
(2) उत्पादन		लाख मीटर	—
(3) कार्यरत व्यक्ति		संख्या	—
9- सहकारिता			
(1) बैंक			
(क) जिला सहकारी बैंक			
(1) बैंकों की संख्या		संख्या	1
(2) शाखाओं की संख्या		संख्या	1
(3) अंश पूँजी		हजार रू० में	300
(4) चालू पूँजी		,,	1645

	5	6	7	8
6—				
	633	5000	200	800
	28482	150000	6067	22500
7—				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
8— (क)				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
(ख)				
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
9— (क)				
	1	—	—	—
	3			—
	763	40	297	15
	5882	—	657	—

क्रमांक	मद	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति
(5)	जमा धनराशि	संख्या हजार रु0 में	309
(6)	ऋण वितरण		
	(क) अल्पकालीन	हजार रु0 में	7139
	(ख) मध्य कालीन	,,	326
	(ग) भूमि विकास बैंक	,,	—
	(i) सदस्य की संख्या	संख्या	—
	(ii) दीर्घ कालीन ऋण वितरण	हजार रु0 में	—
(2)	प्राथमिक ऋण समितियाँ		
	(1) समितियों की संख्या	संख्या	139
	(2) सदस्यता	हजार में	29
	(3) अंश पूंजी	हजार रु0 में	680
	(4) कार्यशील पूंजी	,,	2174
	(5) जमा धनराशि	,,	249
	(6) अल्प कालीन ऋण वितरण	,,	400
	क0 (अ) नकद	,,	400
	ख0 (ब) वस्तु के रूप में	,,	—
	(7) मध्य कालीन ऋण वितरण	,,	—
(3)	क्रय-विक्रय समितियाँ		
	(1) समितियों की संख्या	संख्या	—
	(2) सदस्यता	संख्या हजार में	—
	(3) निजी पूंजी	हजार रु0 में	—
	(4) विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	—
	(क) उर्वरक	,,	—
	(ख) बीज	,,	—
	(ग) खाद्यान्न	,,	—
	(घ) अन्य	,,	—

(173)

	31-3-74 तक की स्थिति	पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की वास्तविक प्राप्ति	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
	5	6	7	8
	2000	600	500	400
	3014	4533	3405	3462
	854	—	863	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
(2)				
	160	—	—	—
	46	6	3	2
	1448	120	177	40
	6945	—	9142	—
	425	300	168	60
	3538	4533	3405	3462
	3538	4533	3405	3462
	—	—	—	—
	—	—	—	—
(3)				
	1	1	—	1
	—	—	—	—
	41	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	316	—	—	—
	—	—	—	—

1	2	3	4
4- सहकारी विपणन समितियाँ			
(1) समितियों की संख्या		संख्या	—
(2) सदस्यता		हजार में	—
(3) हिस्सा पूंजी		हजार रु0 में	—
(4) विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य		,,	—
5- उपभोक्ता सहकारी समितियाँ			
(1) समितियों की संख्या		संख्या	7
(2) सदस्यता		हजार में	2
(3) हिस्सा पूंजी		हजार रु0 में	156
(4) विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य		,,	665
6- सहकारी दुग्ध समितियाँ			
(1) समितियों की संख्या		संख्या	—
(2) सदस्यता		हजार में	—
(3) हिस्सा पूंजी		हजार रु0 में	—
(4) विपणन की गई दुग्ध की मात्रा, हजार लीटर में			—
7- अन्य समितियाँ			
(1) समितियों की संख्या		संख्या	—
(2) सदस्यता		हजार में	—
8- जनता समितियाँ			
(1) समितियों की संख्या		संख्या	—
(2) सदस्यता		हजार में	—
(3) शेयर पूंजी		हजार रु0 में	—
(4) वस्तु पूंजी		,,	—
(5) जमा धनराशि		,,	—

	5	6	7	8
4-				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
5-				
	8	-	-	-
	2	-	-	-
	131	-	-	-
	549	-	-	-
6-				
	21	1	-	1
	2	-	-	-
	2	-	-	-
	-	-	-	-
7-				
	7	-	-	-
	-	-	-	-
8-				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

1	2	3	4
9- व्यवसायिक बैंक			
(1) अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या	संख्या		—
(2) प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या (000में)			—
(3) अनुसूचित व्यवसायिक बैंक में जमा धनराशि	लाख रु० में		*35
(4) अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा वितरण ऋण	,,		2
(5) प्रति व्यक्ति जमा धनराशि	रु० में		—
(6) प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण	,,		—
9- <u>विद्युत</u>			
1- विद्युत का उपयोग	कि०वाट, घण्टे		—
2- विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपभोग	,,		—
(1) घरेलु एवं वाणिज्यिक	,,		—
(2) औद्योगिक	,,		—
(3) कृषि, सिंचाई कार्यों को सम्मिलित करते हुए	,,		—
(4) अन्य	,,		—
3- उपरोक्त मदों (1-4) में प्रति व्यक्ति उपभोग	,,		—
4- विद्युतीकृत ग्राम			
(1) संख्या	संख्या		5
(2) कुल ग्रामों से प्रतिशत	%		—

* जून 69 की तथा जून 74 की

	5	6	7	8
9–				
	9	3	–	1
	49	40	50	46
	152	–	–	–
	6	–	–	–
	34:70	–	–	–
	1:37	–	–	–
9–				
	–	–	–	–
1–	1481458	180,00000	756986	865000
	1074318	50,00000	521934	600000
	339385	56,00000	190345	215000
	–	2,00000	–	–
	67755	72,00000	44707	50000
	3:38	–	1:70	1:90
	60	45	2	27
	–	–	0:0	1:2

क्र०सं०	मद	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति
1	2	3	4
6-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	—
7-	औद्योगिक संस्थान	,,	
	(1) ग्रामीण	,,	—
	(2) शहरी	,,	—
8-	विद्युतीकृत ट्यूबवैल/पंपसेटों की संख्या	,,	—
	(1) राजकीय	,,	—
	(2) निजी	,,	—
	(3) अन्य	,,	—
10-	सड़क		
	1- रेलवे लाईनों की लम्बाई	कि०मी०	—
	2- समतल सड़कों की लम्बाई	,,	
	(1) राष्ट्रीय राज मार्ग	,,	—
	(2) प्रादेशिक राज मार्ग	,,	67:46
	(3) मुख्य जिला सड़कें	,,	—
	(4) अन्य जिला सड़कें	,,	387:14
	(5) ग्रामीण सड़कें	,,	354:59
	3- समस्त ऋतु कालीन सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या	संख्या	204
	4- ग्रामों की संख्या जो समस्त ऋतु कालीन सड़कों से जुड़े नहीं हैं लेकिन 3 कि०मी० की समस्त ऋतु कालीन सड़कों के अन्दर है।	संख्या	454
	5- सड़कों की लम्बाई जिनपर बसें चलती है।		
	(1) निजी	कि०मी०	—
	(2) राज्य की रोडवेज बस	,,	—

31-3-74 तक की स्थिति	पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धियाँ	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
5	6	7	8
14	-	-	-
12	30	2	8
16	30	-	5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
10-			
-	-	-	-
-	-	-	-
67:46	[illegible]	-	-
-	-	63:60	-
412:15	114:70	22:91	16:[illegible]
622:55	34:80	10:90	10:00
204	50	1	1[illegible]
454	111	6	20
-	-	-	-
-	-	-	-

1	2	3	4
8 – प्रचलित बसें			
(1) निजी बसें		संख्या	--
(2) राज्य की रोडवेज बसें		,,	--
11 – शिक्षा			
(1) विद्यालयों की संख्या			
(क) नगरीय			
(1) बेसिक स्कूल		संख्या	7
(2) सीनियर बेसिक स्कूल		,,	1
(3) हायर सेकेण्डरी स्कूल		,,	5
(4) डिग्री कालेज		,,	1
(5) महाविद्यालय		,,	--
(ख) ग्रामीण			
(1) बेसिक स्कूल		,,	615
(2) सीनियर बेसिक स्कूल		,,	45
(3) हायर सेकेण्डरी स्कूल		,,	34
(4) डिग्री कालेज		,,	--
(5) विश्वविद्यालय		,,	--
(2) भर्ती			
(क) योग			
(1) बेसिक स्कूल आयुवर्ग लाख में			0:49
का प्रतिशत %			72
(2) सीनियर बेसिक स्कूल, लाख में			0:053
आयुवर्ग का प्रतिशत %			66
(3) हायर सेकेण्डरी स्कूल लाख में			0:064
आयुवर्ग का प्रतिशत %			20

(471)

	5	6	7	8
6-				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
11-				
(ग)				
	8	-	-	-
	9	-	-	-
	5	5	-	4
	1	-	-	-
	-5	-	-	-
(घ)				
	696	15	23	10
	98	14	4	6
	45	5	3	-
	-	-	-	1 - देरीलगा में
	-	-	-	-
(2)				
क				
	0:53	0:75	[illegible] 0·55	0:57
	74	100	75	76
	0:065	[illegible] 0·135	[illegible] 0·074	0:095
	66	75	72	74
	0:070	0:097	0:076	0:082
	22	25	23	24

1	2	3	4
	(4) डिग्री कालेज	लाख में	0.007
(2)	अनु० जातियाँ		
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल	लाख में	0.20
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,,	0.041
	(3) हायर सेकेन्डरी स्कूल	,,	0.006
	(4) डिग्री कालेज	,,	0.001
	(5) विश्वविद्यालय	,,	--
(3)	अनुसूचित जनजाति	[illegible]	
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल	,,	0.08
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,,	0.01
	(3) हायर सेकेन्डरी स्कूल	,,	0.00
	(4) डिग्री कालेज	,,	0.00
	(5) विश्वविद्यालय	,,	0.00
(3)	शिक्षक शिष्य अनुपात		
	(1) जूनियर बेसिक स्कूल	अनुपात संख्या	1:40
	(2) सीनियर बेसिक स्कूल	,,	1:20
	(3) हायर सेकेन्डरी स्कूल	,,	1:[illegible]
12-	प्राविधिक शिक्षा		
	(1) इन्जीनियरिंग/प्राविधिक संस्थाओं की संख्या	संख्या	--
	(2) डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं की संख्या	संख्या	--
	(3) सर्टीफिकेट स्तर की संस्थाओं की संख्या	संख्या	--

	5	6	7	8
	0.009	0.016	0.011	0.013
(2)				
ख	0.22	0.37	0.23	0.24
	0.012	0.035	0.014	0.02[illegible]
	0.010	0.017	0.011	0.012
	0.00[illegible]	0.005	0.002	0.003
ग-	0.09	--	0.06	0.09
	0.01	--	0.01	0.01
	0.01	--	0.02	0.02
	0.00	--	0.00	0.00
	0.00	--	0.00	0.00
(3)				
	1.30	1.25	1.29	1.28
	1.18	1.18	1.18	1.15
	1.20	1.18	1.19	1.19
12-				
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--

क्र०सं०	मद	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति
1	2	3	4
2- भर्ती			
	(1) डिग्री	संख्या	–
	(2) डिप्लोमा	संख्या	–
	(3) सार्टीफिकेट	संख्या	–
13- जन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन			
	1- एलोपैथिक अस्पताल एवं एवं औषधालय की संख्या	संख्या राज्य	
	(क) राजकीय		
	(1) नगरीय	संख्या	3
	(2) ग्रामीण	,,	10
	(ख) अन्य		
	(1) नगरीय	,,	2
	(2) ग्रामीण	,,	4
	2- आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल/ औषधालय की संख्या		
	(क) राजकीय		
	(1) नगरीय	संख्या –	[illegible]
	(2) ग्रामीण	संख्या	21
	(ख) अन्य		
	(1) नगरीय	संख्या	–
	(2) ग्रामीण	संख्या	2

132 [illegible]

31-3-74 तक की स्थिति	[illegible]	वर्ष 74-75	वर्ष 75-76
5	6	7	8
2-			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
13-1			
(क)			
5	-	-	-
22	-	-	-
(ख)			
2			-

2-			
(क)			
2-	-	-	-
39	-	-	-
	-	-	-
(ख)			
13-1	-	-	-
2	-	-	-
	-	-	-
(ग)			
2	-	-	-
-	-	-	-
(घ)			
-	-	-	-
39	-	-	-
(ङ)			

1	2	3	4
3- होमियोपैथिक अस्पताल/औषधालयों की संख्या		संख्या	
(क) नगरीय			
(1) नगरीय		संख्या	—
(2) ग्रामीण		संख्या	—
4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		,,	9
5- चिकित्सकों की संख्या			
(क) नगरीय			
(1) एलोपैथिक		,,	24 8
(2) आयुर्वेदिक/यूनानी		,,	—
(3) होमियोपैथिक		,,	—
(ख) ग्रामीण			
(1) एलोपैथिक		,,	4 8
(2) आयुर्वेदिक/यूनानी		,,	84
(3) होमियोपैथिक		,,	—
6- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पतालों की संख्या			
(1) टी०बी०		संख्या	1
(2) क्षयरोग		संख्या	—
(3) कुष्ठ की बीमारी		संख्या	1
(4) कुष्ठ रोग		संख्या	2
7- परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या		,,	8
8- मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की संख्या		,,	4 8
9- ए०एन०एम० उप केन्द्रों की संख्या		,,	27

	5	6	7	8
3-				
	-	-	-	-
	-	2	3	1
	11	-	-	-
5(क)				
	250	10	-	10
	-	25	-	25
	-	-	-	-
(ख)				
	94	-	4	-
	156	-	-	-
	-	-	-	-
6-				
	1	-	-	-
	-	-	-	-
	1	-	-	-
	2	-	-	-
	11	-	-	-
	56	-	-	-
	83	-	-	-

1	2	3	4
10	मेडिकल कालेजों की संख्या	संख्या संचय	–
11-	[illegible] क्षमता	संख्या	–
12-	सरकारी अस्पताल/औषधालयों में डाक्टरों की संख्या।	संख्या	44
	परिवार नियोजन		
1-	बन्ध्याकरण		
	(1) पुरुष	संख्या संचय	5782
	(2) स्त्री	संख्या ,,	6
2-	आई०यू०सी०डी०	,, ,,	1288
14-	आवास		
	(1) औद्योगिक आवासों की संख्या	संख्या	--
	(2) मलिन बस्ती निवारण	,,	--
	(3) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	,,	--
	(4) ग्रामीण आवास		
	(क) ग्रामों की संख्या	,,	--
	(ख) निर्मित आवासों की संख्या	,,	--
15-	पिछड़ी जातियों का कल्याण		
	1- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ		
	(क) सामान्य कोर्स		
	(1) अनुसूचित जातियाँ	,,	88
	(2) अनुसूचित जन जातियाँ	,,	108
	(ख) प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स		
	(1) अनुसूचित जातियाँ	,,	--
	(2) अनुसूचित जन जातियाँ	,,	--

-	-	-	-
-	-	-	-
91	3	2	1
8683	8378	280	1133
[illegible] 15	--4 [illegible]	3	--
2707	7177	736	1 089

14-आवास

-	-	-	-
-	-	-	-
-	18	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

15-
(1) क

542	1150	156	212
787	1250	207	233
-	60	-	6
-	40	-	2

1	2	3	4
16- [illegible]			
1- शुद्ध क्षेत्र		हजार रु० मे	--
2- सिंचित क्षेत्र			
(1) [illegible]			
(2) [illegible]		,,	--
(क) [illegible]			
(ख) [illegible]			
(ग) [illegible]			
(3) अन्य		,,	--
17- जल सम्पूर्ति			
(क) नगरीय जल सम्पूर्ति			
(1) नगरों की संख्या		संख्या	1
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार	--
(ख) ग्रामीण जल सम्पूर्ति पाइप द्वारा			
(1) ग्राम		संख्या	47
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार राज्य	10
(ग) हैण्ड पम्प तथा कुएं (ग्रामीण विकास विभाग)			
(1) ग्राम		संख्या	--
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार	--
(घ) नगरीय जल निकास			
(1) नगर [illegible]		संख्या राज्य	1
(2) जन संख्या लाभान्वित		हजार राज्य	--

5	6	7	8
16-			
--	--	--	--
5600	--	--	--
17- (क)			
1	--	--	--
12	34	--	--
(ख)			
209	100	33	40
78	65	11	26
(ग)			
--	--	--	--
--	--	--	--
(घ)			
1	--	--	--
12	34	--	--

विवरण पत्र - 8

जिले के आधारभूत कृषि आँकड़े 31-3-74

('000 हेक्टेयर)

कुल क्षेत्र	907
वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	280
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	65
फलोद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र	6
परती भूमि (कुल) -	
(1) वर्तमान परती भूमि	13
(2) अन्य परती भूमि	—
(क) कृषि योग्य बंजर भूमि	26
(ख) कृषि और कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है (कुल)	
(1) बंजर भूमि जो कृषि योग्य नहीं है।	60
(2) कृषि को कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये काम में लाई जा रही है तथा अन्य।	457

जोतों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र

	संख्या	हेक्टेयर क्षेत्रफल
1 हेक्टेयर तक	133595	35154
1 से 3 हेक्टेयर के बीच	14933	23362
3 से 5 हेक्टेयर के बीच	2212	11342
5 हेक्टेयर तथा उससे अधिक (कुल जोतें)	247 151697	16958 86822

जन संख्या (वर्ष 1971)	नगरीय	ग्रामीण	योग
पुरुष	6,944	1,97,969	204913
स्त्रियाँ	4,998	1,65,252	216956
योग	11,942	4,63,221	415163

कृषकों की संख्या (वर्ष 1971)			
पुरुष	—	—	99589
स्त्रियाँ	—	—	76418
योग	—	—	1,76,007

पिछड़े समुदाय की जन संख्या (वर्ष 1971)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
पुरुष	41397	7649
स्त्रियाँ	39815	7469
योग	81122	15118

(173)
[illegible]

अन्य प्रतिवर्ती किलोमीटर सतत् प्रवाहशील नदियाँ	लम्बाई किमी० में ।
1- काली	,,
2- गोरी	,,
3- राम गंगा	,,
4- सरयू	,,
5- पनार	30
6- सरमा	26
7- लोहावती	50
8- छोटी लोहावती	65
9- बड़ी लोहावती	25
10-गोठिया गाड़	30
11-सपना गाड़	10
12-लधिया	41
13-केरसा	15
14-रतिया गाड़	8
15-पोण्डल	7

मौसमी नदियाँ

1- बर्मी	26
2- सेलगाड़	16
3- रतोल	15
4- पूँगी	8
5- मनगड गाड़	12
6- कुमो	11
7- ठुलर	22
8- कुमार गाड़	8
9- कुलाड	22
10- चम्पावत गाड़	10
11-नागराजो गाड़	15
12-अड़को	18
13-गिरसी गाड़	10
14-जालो गाड़	12
15- रैगड गाड़	15
16-पट गाड़	5
17- जिरली ओल	16
18- पक्षो गाड़	10
19- रैतूल गाड़	20
20- नानपौरी गाड़	38

मिट्टी की मुख्य किस्में :- (क) बलके दोमट, बलुई दोमट, मटियार
(ख) दोमट मटियार

वार्षिक औसत वर्षा 1357.53 मि0मी0

साधनों द्वारा सिंचित शुद्ध क्षेत्र (000 हैक्टेयर)

(अ) नहरों द्वारा	[illegible]	0.714
(ब) कूप एवं तालाब	[illegible]	1.749
योग	[illegible]	2.463

कुल सिंचित क्षेत्र (000 हैक्टेयर)

(अ) शुद्ध	[illegible]	2.463
(ब) सकल	[illegible]	14.800

महत्वपूर्ण फसलों के नाम क्षेत्रफल (000 हैक्टेयर)

क्र0सं0 फसल का नाम	क्षेत्र	औसत उपज प्रति हैक्टेयर, कि0ग्रा0
1- धान	38.000	1000
2- ज्वार	0.190	550
3- मक्का	6.050	1000
4- कोदरा	0.800	800
5- मडुवा	10.335	800
6- अन्य अनाज	0.400	400
7- उड़द	0.760	500
8- मूँग	0.500	500
9- अन्य खरीफ दाल	0.100	500
10- गेहूँ	59.925	800
11- जौ	9.696	500
12- अन्य	0.070	400
13- मटर	0.095	500
14- मसूर	1.170	500
योग :-	111.870	
1- तिल	3.060	500
2- राई सरसों	0.180	500
3- मूँगफली	0.055	800
4- सोयाबीन	1.000	500
5- आलू खरीफ	2.000	5,000
6- आलू रबी	0.875	5,000
7- सब्जी खरीफ	0.460	700
8- सब्जी रबी	0.500	700

9- [illegible]	03 270	300
10- [illegible]	03 075	2,000
11- [illegible]	03 060	2,500
12- [illegible]	03 120	500
13- धारी	03 912	40,000
योग: -	53 667	

महत्वपूर्ण फलों के नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	
1- सेब	3168	
2- आडू	115	951
3- खुबानी	[illegible]	
4- आम	[illegible]	
5- नाशपाती	3- 2	
6- अखरोट	7 -6	
7- नीबू प्रजातीय	1267	
8- अमरूद	634	
9- अन्य	316	

महत्वपूर्ण वन उपज के नाम - टिम्बर, जलाने की लकड़ी, कोयला, जड़ीबूटी, कुथा, बिरोजा, विस्फोटक की खाल, गोंद, लीसा, माचिस उद्योग, तीरों जाने वाली लकड़ी, रिंगाल एवं बांस ।

व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के नाम - बालू एवं रेत, लवण, चूना, खड़िया, मैग्नेसाइट पत्थर ।

महत्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक उत्पादन के नाम- ऊन उद्योग, कृषि यंत्र एवं उपकरण, रिंगाल उद्योग, बेकरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, दस्ती उद्योग, रासायनिक सामग्री, तांबा उद्योग ।

रेलवे लाइनों की लम्बाई - शून्य

सड़कों की लम्बाई (क) समतल 479 कि0मी0
(ख) असमतल 1938 कि0मी0

बिजली की लाइनों की लम्बाई

(अ) एच0टी0 लाईन [illegible]3812
(ब) एल0टी0 लाईन [illegible]6789

कृषि क्षेत्र (1971-72)

1- [illegible] ([illegible])	[illegible]
2- सहायक [illegible] ,,	9[illegible]491
3- बागों और [illegible] ,,	15[illegible]4[illegible]2
4- अन्य ,,	[illegible]
5- योग	384[illegible]794
कुल [illegible] ,,	1[illegible]196
तहसीलों की संख्या	5
ब्लाकों की संख्या	11
ग्रामों की संख्या	2272
नगर क्षेत्र सहित नगरों/ कस्बों की संख्या	
10,000 तक	[illegible]
10,000 से 20,000 तक	1

नगरों के प्रकार :-

क- (1) जिनमें बिजली है	1 1971 की जनगणनानुसार
(2) ,, ,,	[illegible] 1971 की जनगणना [illegible]
ख- (1) जिनमें पक्की सड़क द्वारा पहुँचा जा सकता है	1 1971 की जनगणनानुसार
(2) ,, ,, ,,	4 1971 की जनगणना [illegible]

गाँवों की संख्या :-

(अ) जिनमें बिजली है	62
(ब) जिनमें पक्की सड़क द्वारा पहुँचा जा सकता है	209 [illegible]

विद्यालयों की संख्या

(क) प्राथमिक	684
ख- जूनियर	99
ग- हाईस्कूल	15
घ- इन्टर	38
ङ- डिग्री	1
च- [illegible] विद्यालय	2
छ- [illegible]	[illegible]
ज- [illegible]	4
प्राविधिक शिक्षा संस्थायें	[illegible]

अनुसूचित वर्गो की संख्या (केवल स्टेट बैंक की शाखा है)

अ- नगर क्षेत्रों में	4 (कस्बा)
ब- ग्रामीण क्षेत्रों में	5 (में सीमित)
प्राथमिक / पशुपालन / साधन सहकारिता की संख्या	60
कृषक सेवा समितियों की संख्या	--
सहकारी [illegible] की संख्या	4 ([illegible])
क्रय विक्रय समितियों की संख्या	1
सहकारी बैंक शाखाओं की संख्या	1 मुख्यालय, 3 शाखा
[illegible] की संख्या	--

गोदाम	संख्या	भंडारण क्षमता (मी०टन)
सरकारी	15	4[illegible]1714
सहकारी	6	[illegible]
अन्य	-	--
उर्वरक डीपो -		
1- कृषि [illegible]	12	9700
2- सहकारी	--	--
[illegible] फर्म		
संख्या	1	
[illegible]	6 ([illegible] में)	

पशु चिकित्सालयों / औषधालयों की संख्या -	12
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	2
पशु पालन केन्द्रों की संख्या	52
चिकित्सालयों / औषधालयों की संख्या -	
शहरी -	7
ग्रामीण -	67
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	11
चिकित्सालयों / औषधालयों में शय्याओं की संख्या -	
1- शहरी -	272
2- ग्रामीण -	259

अन्य टिप्पणी :- 1- श्री [illegible] एवं जैत के समस्त आँकड़े यहाँ उपलब्ध न होने के कारण अस्थायी एवं अनुमानित हैं।

2- जन संख्या के आँकड़े भी अस्थायी हैं।

National Institute of Educational Planning and Administration * LIBRARY *